लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-9
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४९--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/ अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२--८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०–९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . . २४९१—९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८–९९

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९—२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

पृष्ठ

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . २५०२–०५

खंड २, ३ और १ . . २५०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २५०५

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५०५—२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २५२४

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . २५२५—३१

अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २५३३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६ २५३३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१ २५५५—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२ . २५६१–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५९५–९६

राज्य सभा से सन्देश २५९७

दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में . २५९७

बाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में . २५९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां . २५९८–९९

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . २५९९

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५९९—२६०७

खंड २ से ४१ और १ . . . . . २६०४—०७

पारित करने का प्रस्ताव २६०७

पृष्ठ

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २६०७–२०

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव २६२०–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २६३४

दैनिक संक्षेपिका २६३५–४२

अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . . २६४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६ २६६५–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६ २६६८–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . २६९४

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . . २६९५–९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . . २६९६

प्राक्कलन समिति —

एक सौ एकवां प्रतिवेदन २६९७

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . . २६९७–९९

विचार करने का प्रस्ताव २६९७

खंड २ से ६ और १ . . . . २६९७–९९

पारित करने का प्रस्ताव २६९९

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६९९–२७१४

अधिमान–प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २७१४–२०

खंड २ से ७ और १ . . २७२०

पारित करने का प्रस्ताव . . २७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन के बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८५८—६३

अंक २५—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४–२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ और ९७९ से ९९७ . . . ३००५—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५९ से २०४७ . . ३०१४—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३

(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३

कार्य मंत्रणा समिति—

साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३

अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६

असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२

दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००

अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९

प्राक्कलन समिति—

निन्यानवेवां प्रतिवेदन ३१७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

पृष्ठ

लाम्रोस की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३१७०

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३१७०—३२०२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १ . . . . ३२०२—०३

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची . . . . ३२०३—०५

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३२०५—१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५—क ३२१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०—क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२—क, और १०५३ . . . . ३२४३—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४—क . . . ३२५३—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८—९९

राज्य सभा से सन्देश ३२९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३३००

लोक-लेखा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ३३००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन. ३३००—०२

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य . . . . ३३०२—०६

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति को प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१–३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

	पृष्ठ
ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य .	३४३४—३६
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३४३६—६०
निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४६०—६५
राज्य व्यापार निग म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३४६५—६९
दैनिक संक्षेपिका . . .	३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७	३४७७—३५०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . .	३५०१—१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ .	३५१०—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . .	३५१५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३५६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६०—६२
तीसरी पंवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश .	३५६२–६३
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	३५६३
कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . .	३५६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . .	३५६४—६६
(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना	३५६६
(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और	
(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना	३५६६
विधेयक पुरःस्थापित—	
(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक	३५६७
(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . .	३५६७
(३) विशिष्ट सहायता विधेयक	३५६७
(४) अवधि विधेयक	३५६८

	पृष्ठ
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित .	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत. . . .	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का] . . .	३५८९–९०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत . . .	३५९०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५९०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा. .	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

लोक-सभा

गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०

२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली नगर निगम

†*६१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त किये गये विशेषाधिकारी की रिपोर्ट के बारे में अन्तिम फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को जारी किये गये पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०**]

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से प्रतीत होता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अर्थात् १९६०–६१ में निगम को वर्तमान आधार पर सहायतानुदान दिये जायेंगे । सहायतानुदान के रूप में इस वर्ष अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : लगभग १४३ रुपये की रकम दी गई है और इस वर्ष के आयव्ययक में २९३·९८ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि सरकार ने निगम की आय बढ़ाने के लिये कुछ सुझाव दिये थे । क्या नगर निगम उन्हें अपनाने के लिये सहमत हो गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है । मेरे ख्याल में नगर निगम के विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1679 (Ai) LSD—1.

†श्री भक्त दर्शन : स्पेशल आफिसर की सिफारिश पर गवर्नमेंट ने जो निर्णय किया है क्या उस से म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने अपनी सहमति प्रकट की है, और क्या यह सत्य है कि वे और भी मांगें इस सम्बन्ध में कर रहे हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि इस बारे में म्यूनिसिपल कारपोरेशन से काफी बात चीत होती रही, और वह ज्यादा जरूर चाहता रहा होगा। जितना मिलता है हमेशा लोग उस से ज्यादा चाहते हैं ।

†श्री संगामणि : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो योजनायें दिल्ली प्रशासन से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित की जा रही हैं उन के लिये सहायतानुदानों के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

†श्री गो० ब० पन्त : चालू वर्ष के लिये इस कार्य के हेतु ७२ · ९८ लाख रुपये दिये गये हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या दिल्ली निगम को कर प्रणाली की जांच कर ली गई है और क्या यह सच है कि दिल्ली में कर बम्बई के मुकाबले में कहीं कम हैं और यदि वे उस स्तर तक लगाये जायें, तो आवश्यकता से अधिक आय हो जायेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : मेरे विचार में दिल्ली के लोगों के ऊपर बम्बई या कलकत्ता के समान अधिक कर नहीं हैं ।

†श्री वासानी : गत तीन वर्षों में दिल्ली निगम को कितनी रकम दी गई तथा उन अनुदानों का आधार क्या है ?

†श्री गो० ब० पन्त : १९५८–५९ में अनुदानों के रूप में १६०·५६ लाख रुपये दिये गये। यह रकम उस रकम के अलावा है जो कुछ करों के बदले में दिल्ली प्रशासन को दे दी जाती है : वह रकम १३७ लाख रुपये थी। इस प्रकार कुल २९७·५६ लाख रुपये दिये गये। १९५९–६० में १८३·९९ लाख रुपये दिये गये, करों से १६९ लाख रुपये की आय हुई और कुल ३५२·९९ लाख रुपये दिये गये। १९६०–६१ में, जैसा मैं ने कहा, १४३.४० लाख रुपये और करों के बदले में ३६ लाख रुपये दिये गये हैं। पूरे वर्ष का आय व्ययक अनुदानों के रूप में २९३·९८ लाख रुपये का और निगम की ओर से लगाये गये करों के रूप में १७३·८ लाख रुपये का है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सरकार द्वारा बनाये गये करों में से कोई कर दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाया गया है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं प्रश्न का उतर दे चुका हूं। जहां तक मुझे पता है, कोई नहीं लगाया है ।

मझगांव गोदी

†*९१८. { श्री राजेश्वर पटेल :
श्री सँ० अ० मेह :
श्री मुरारका : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव गोदी, बम्बई को अधिग्रहण करने के समझौते की शर्तों को प्रकट करने के लिये विक्रेताओं की सहमति प्राप्त कर ली गई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) सरकार ३१-३-६० को जमा खर्च खाते में दिये गये आंकड़ों के आधार पर गार्डन रीच वर्कशाप तथा मजगांव डाक्स लिमिटेड के विक्रय मूल्य में अग्रेतर कमी के लिये पी० एण्ड ओ० ग्रुप की कम्पनियों से बातचीत कर रही है । इस वार्ता के समाप्त होते ही हम पी० एण्ड ओ० ग्रुप की कम्पनियों को सूचित कर के करार की सारी शर्तें सभा के समक्ष रख देंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : यदि किन्हीं विशेष कारणों से हमें अपेक्षित जानकारी नहीं दी जा सकती है तो हम आशा करते हैं कि जब पूर्ण विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा, तब यह नहीं कह दिया जायेगा कि विक्रेता नहीं चाहते अतः ब्योरा नहीं दिया जा सकता है ।

†**श्री रघुरामैया** : वस्तुतः आप ने गत बार यह निदेश दिया था कि विक्रेताओं के मना करने पर भी हमें इसे सभा-पटल पर रखना चाहिये । हम ऐसा करेंगे ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि मजगांव गोदी को खरीदने के लिये सारी रकम पौंड-पावने में दी जायेगी और यदि हां, तो कितने समय में रकम अदा की जायेगी ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं नहीं जानता कि आप यह चाहते हैं कि इस प्रक्रम पर मैं विस्तार में उन बातों की विवेचना करूं । किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि एक मुख्य विचार यह है कि जो रकम देनी है, हम उसे मरम्मत के काम में से निकाल सकते हैं ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि मरम्मत से प्रति वर्ष जो रकम प्राप्त होगी वह कुल देय रकम से अधिक होगी ?

†**श्री रघुरामैया** : यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तुतः मरम्मत का कितना काम होता है । सभा की जानकारी के लिये मैं कह सकता हूं कि चालू वर्ष में गोदी में लगभग ८० लाख रुपये तक के मरम्मत के काम के होने की आशा है ।

पहली लाटरी में इनाम जीतने वाले बांड

†*११९. +
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधारमण:
श्री नरदेव स्नातक :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री आसर :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली त्रैमासिक लाटरी में इनाम जीतने वाले बांडों की संख्या कितनी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनामों की अदायगी के लिये इनाम जीतने वाले कुल कितने बांड पेश किये गये ;

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा इनाम जीतने वाले कितने बांडों की इनाम की रकम की अदायगी अब तक कर दी गयी है ; और

(घ) क्या इनाम जीतने वाले बांडों की सूचियां छपवायी गई हैं और देश के डाकघरों में भेज दी गयी हैं ताकि इनामी बांड खरीदने वाले लोग उन्हें देख सकें ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) ५,००८ । इन में से २,५३८ जनता द्वारा जीते गये ।

(ख) और (ग). १० दिसम्बर, १९६० तक १७१० क्लेम प्राप्त हुये जिनमें से उस तारीख तक १६४७ का भुगतान कर दिया गया ।

(घ) जी, हां ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि इनाम जीतने वाले बहुत से बांड जनता को नहीं बेचे गये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ३० जून तक बेचे गये इनामी बांडों का कुल मूल्य २२ करोड़ रुपये था । उन में से , पहली लाटरी में १०० रुपये वाले बांड १४ करोड़ रुपये के थे और ५ रुपये वाले बांड ८ करोड़ रुपये के थे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि बहुत से बांडों पर जो जनता को नहीं बेचे गये, इनाम निकले और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे कितने के हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : पहली लाटरी में ५६० इनाम दिये गये । ३० जून तक १०० रुपये वाले ४·६५ करोड़ के और ५ रुपये वाले ५·२६ करोड़ रुपये के बांड बेचे गये, अर्थात ३० जून तक ४१ प्रतिशत बांड बेचे गये । उसमें से १०० रुपये वाले लगभग ३१ प्रतिशत बांड पर तथा ५ रुपये वाले ५३ प्रतिशत बांड पर इनाम के रूप में दिये गये ।

†**श्री गोरे** : प्रश्न यह था कि कुछ बांड बिल्कुल नहीं बेचे गये और जब इनाम दिये गये तब कई नम्बरों के ऐसे बांड थे जो बेचे नहीं गये थे । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनमें से कितने इस तरह के थे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जब सीरीज बेचने के लिये रक्खी गई, कुछ तो पूरी-पूरी बिक गईं और कुछ अंशतः बिकीं । दोनों ही सीरीज़ को लाटरी में रखा गया क्योंकि हम अंशतः बिकी सीरीज़ में से खरीदार को इनाम से वंचित नहीं कर सकते । १०० रुपये वाली १४ सीरीज और ५ रुपये वाली १६ सीरीज बेचने के लिये रखी गईं । कुछ पूरी बिक गईं और कुछ कम बिकीं । जो सीरीज बिल्कुल नहीं बिकीं, उसे लाटरी में नहीं रखा गया ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : लगभग कितने के ऐसे बांडों पर इनाम निकले जो बिके नहीं थे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं । मैं बता चुकी हूं कि कितने इनामी बांड बिके, कितने के बिके, जनता को कितने तथा कितने मूल्य के इनाम मिले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : जो ९ करोड़ रुपये के बांड बिके थे, उनमें से लाटरी के बाद कितना बचा ? दूसरी लाटरी में कितने इनाम दिये गये हैं तथा कितने बांड बिके हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, दूसरी लाटरी में कितने बां ड बिके तथा कितने इनाम दिये गये, इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, ३० जून तक लगभग ५० प्रतिशत बांडों ने इनाम जीते तथा १०० रुपये वाले बांडों पर ३.९८ लाख रुपये का और ५ रुपये वाले बांडों पर ३.८३ लाख रुपये का इनाम दिया गया अर्थात् पहले में लगभग ३१ प्रतिशत और दूसरे में ५३ प्रतिशत।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कि अधिकांश सदस्यों की इसमें दिलचस्पी है, तो माननीय मंत्री सभा-पटल पर उसका एक विवरण क्यों नहीं रख देतीं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ऐसा करूंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरुआ** : जो इनाम जीते गये हैं उनको देखते हुये

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैंने काफी अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। इसके बारे में मैं एक प्रश्न पर एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। हाउस आफ कामन्स में सैंकड़ों प्रश्न होते हैं। अन्यथा, हम कैसे काम कर सकते हैं ? विवरण रखे जाने के बाद यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि इस विषय पर उनके विचार व्यक्त होने चाहिएं, तो मैं चर्चा की अनुमति दे दूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यह तरीका रुपया एकत्र करने के लिये अपनाया गया है। हम सब चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ हो। सभा पटल पर विवरण के रखे जाने के बाद यदि मैं यह देखूंगा कि चर्चा उठाने की आवश्यकता है, तो मैं अल्प चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड

+

†*९२०. { **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि प्रयोगात्मक आधार पर दो अग्रिम परियोजनाएं एक शहरी और एक ग्राम्य---शुरू की जायें ताकि यह निश्चय किया जा सके कि मनोरंजन सम्बन्धी किन गति-विधियों का मूल्य अधिकतम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये दोनों परियोजनायें चालू कर दी गयी हैं ; और

(ग) इन प्रयोगों के परिणाम का कब तक पता लग जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड ने अपनी मनोरंजन उपसमिति से बोर्ड की सिफारिशों की दृष्टि में कार्यक्रम का खाका तैयार करने के लिये कहा था। उपसमिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के प्रारूप को जब बोर्ड स्वीकार कर लेगा, तब भारत सरकार उस पर विचार करेगी।

†**श्री रा० च० माझी** : उपसमिति से कार्यक्रम का जो खाका तैयार करने के लिये कहा गया है, तो मैं जान सकता हूं कि वह कब तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड ने १७ अप्रैल, १९५९ को एक उपसमिति स्थापित कर दी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश में मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियों के विकास के लिये एक कार्यक्रम तैयार करने के लिये कहा है।

†**श्री रा० च० माझी** : उपसमिति कब रिपोर्ट देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १६ अप्रैल, १९६० को समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट दी थी।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में कहा गया है :

> "उपसमिति द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के प्रारूप को जब बोर्ड स्वीकार कर लेगा, तब भारत सरकार उस पर विचार करेगी।"

बोर्ड अपनी स्वीकृति कब देगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह समिति बोर्ड द्वारा नियुक्त की गयी थी। स्वभावतः सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के पूर्व बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करना होगा। जैसे ही बोर्ड रिपोर्ट पर विचार कर लेगा, सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी। बोर्ड की बैठक अगले कुछ महीनों में कभी भी हो सकती है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस उपसमिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रस्ताव यह था कि मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियों के लिये दो अग्रिम परियोजनायें स्थापित की जायें, एक शहरी क्षेत्र में और दूसरी ग्रामीण क्षेत्र में।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

†*९२२. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के उर्वरक संयंत्र में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन होने लगेगा ;

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या विदेशों से आने वाले सभी कल पुर्जे प्राप्त हो गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) मार्च, १९६२ में उर्वरक संयंत्र चालू होगा। यह आशा है कि इस कार्यक्रम के अनुसार ही काम होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अमोनिया उत्पादक संयंत्र में सिविल इंजीनियरिंग का लगभग ६५ प्रतिशत काम और मशीनें लगाने आदि सम्बन्धी लगभग १८ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अमोनिया बनाने के संयंत्र में सिविल इंजीनियरिंग का लगभग ३५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

(ग) अमोनिया उत्पादक संयंत्र के लिये लगभग ४३ परसेंट विदेशी पुर्जे प्राप्त हो गये हैं और अमोनिया बनाने के संयंत्र लिये लगभग १ परसेंट विदेशी पुर्जे प्राप्त हो चुके हैं।

†**श्री मुरारका** : इस संयंत्र पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है। नवीनतम प्राक्कलन क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे सूचना की आवश्यकता है क्योंकि यह ब्यौरे की बात है कि अब तक कुल कितना व्यय हुआ है। माननीय सदस्य को निस्संदेह ज्ञात होगा कि अमोनिया बनाने का यंत्र का काम सिन्द्री फर्टीलाइजर्स द्वारा किया जा रहा है जब कि अमोनिया उत्पादक संयंत्र का काम एक जर्मन फर्म द्वारा किया जा रहा है।

†**श्री मुरारका** : इस संयंत्र को चलाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सिन्द्री फर्टीलाइजर्स पर होगी अथवा विदेशी संभरणकर्ताओं पर ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सम्पूर्ण जिम्मेदारी हिन्दुस्तान स्टील की होगी। ये दोनों संयंत्र सम्बन्धि सम्भरणकर्ताओं द्वारा बनाये जायेंगे तथा तैयार किये जायेंगे। मशीने लगाने के बाद संयंत्र को चलाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी हिन्दुस्तान स्टील की होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के २,००० कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल कर दी थी और यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? क्या किसी के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम दूसरे विषय पर जा रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वस्तुत: इसी विषय पर या तो इन माननीय सदस्य ने अथवा किसी अन्य सदस्य ने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है। किन्तु वह भी अब निरर्थक हो गई है क्यों कि हड़ताल समाप्त कर दी गई है। ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के बीच कुछ विवाद था।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संयंत्र की मूल क्षमता कायम रखी जायेगी अथवा उस में कुछ कमी बेशी की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नहीं श्रीमान् जहां तक मुझे पता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

'टिस्को' और 'इस्को' को ऋण

†*९२३. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री रामेश्वर टांटिया** : **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : **श्री राम कृष्ण गुप्त** : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये ऋण को चुकता करने की शर्तों को इस बीच अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो ऐसा करने में सम्भवतः कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं । ब्याज १ जुलाई, १९५८ से देय है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १ अप्रैल, १९६० से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी मुख्य-उत्पादकों के लिये लोहे और इस्पात के धारण-मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न के साथ ही साथ यह प्रश्न अंतिम रूप से निबटाया जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अभिलेखों से मुझे यह दिखाई पड़ता है कि प्रायः ऐसा ही प्रश्न दिसम्बर, १९५९, मार्च, १९६० और अगस्त, १९६० में पूछा गया था और इसी प्रकार उसका उत्तर दिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि वापसी भुगतान की शर्तें तय करने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? किन मदों के बारे में इतना विवाद है जिससे इतना समय लग रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वास्तव में यदि यही प्रश्न है, तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि उत्तर भी वही है । यदि स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ हो तो मेरी समझ में उत्तर भी वही होना चाहिये । जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, वह गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को अपने विस्तार कार्यक्रम के लिये दिया गया था । वापसी भुगतान के बारे में मैंने अपने उत्तर के भाग (क) में पहले ही बता दिया है कि ब्याज लिया जा रहा है । अब वास्तविक किस्तें और उस तरह की चीजों के बारे में तो यह बात चीत का विषय है और निश्चय ही वह होगी । लेकिन इसमें किसी तरह की जल्दबाजी की बात नहीं है जिसके विषय में माननीय सदस्य को चिन्ता प्रकट करने की आवश्यकता हो ।

†**श्री वारियर** : क्या यह बात है कि ऋण का विषय पहले आता है और चुकता करने का विषय बाद में । ऐसा क्यों नहीं होता कि ऋण देने की बातचीत में ही ये सारी शर्तें आ जायें ? ये शर्तें करार में ही क्यों नहीं रखी गयीं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सात या आठ साल पहले जो करार हुआ था उसमें यह बात नहीं थी । नौ साल बाद मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता कि मूल करार में वह क्यों नहीं रखी गयी । जो स्थिति है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिये । आप इस पर अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि मूल करार आपको पसन्द है या नापसन्द ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि पिछला प्रश्न पूछे जाने के बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है ।

†**श्री वारियर** : माननीय मंत्री द्वारा पद संभालने के बाद भी ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बात मूल्य-निर्धारित करने के विषय से सम्बद्ध है । भाग (ग) के उत्तर में मैंने बताया है कि १ अप्रैल, १९६० के बाद की अवधि के लिये धारण मूल्य निर्धारित करने के मामले में प्रशुल्क आयोग के परामर्श से छानबीन की जा रही है । वह बहुत ही पेचीदा तरीका है और उसमें कुछ समय लग सकता है । इस बीच पूरे ऋण पर ब्याज लेकर इस प्रकार ब्याज सुरक्षित रखा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** औचित्य प्रश्न के हेतु । अभी माननीय मंत्री ने बताया कि यह विषय धारण-मूल्य से संबंधित है । मेरे माननीय मित्र का यह कहना है कि ९–१२–५९ को यह प्रश्न गलत रूप में अतारांकित प्रश्न के तौर पर पूछा गया और उसका उत्तर था :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फिर ८–३–६० को वही प्रश्न अतारांकित प्रश्न के तौर पर पूछा गया और उसका उत्तर था :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फिर ११–८–६० को वही प्रश्न तारांकित प्रश्न के तौर पर पूछा गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी:** मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री ऐसा कर सकते हैं कि विलम्ब का सच्चा कारण न बतायें । उन्होंने कहा : (क) जी नहीं, (ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अब वह कहते हैं कि यह धारण-मूल्य का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि यह मामला प्रशुल्क आयोग के हाथ में है । धारण-मूल्य उन्हें निर्धारित करना है । आगे की शर्तें आदि उन मूल्यों पर निर्भर होंगी जो प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किये जा रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह बात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने यह पहले क्यों नहीं बताया इसके लिये झगड़ने से कोई लाभ नहीं । उन्होंने अब बता दिया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जब एक ओर ऋण चुकता करने की ये शर्तें तय की जा रही हैं तब दूसरी ओर पिछली अवधि के लिये धारण-मूल्य बढ़ा दिया गया है । ऋण चुकता करने की शर्तें तय किये बिना यह कैसे किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि वापसी भुगतान धारण मूल्य पर निर्भर है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** धारण-मूल्य बढ़ा दिया गया है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं इस बात को स्पष्ट करदूं । जहां तक धारण-मूल्य में अभी हाल की वृद्धि का सम्बन्ध है प्रशुल्क आयोग की मूल सिफारिश को जारी रखा गया है । प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है और मेरे पहले के मन्त्री ने जिसे घोषित किया था, यह कहा गया है कि कच्चे माल और इसी तरह की चीजों की लागत जैसी कुछ परिस्थितियों के आधार पर धारण मूल्य बढ़ेगा या घटेगा । वह सूत्र अभी भी जारी है जब तक कि उसकी जगह कोई नया सूत्र न रखा जाये । इस लिये जो भी वृद्धि की गई है, वास्तव में वह उस वचन को पूरा करने के लिये है जो सरकार पहले ही दे चुकी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सदस्यों के लाभ के लिये सभा पटल पर करार की प्रति रखने में माननीय मंत्री को कोई कठिनाई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह पहले ही किया जा चुका है । ७ वर्ष पहले ही वह रखी जा चुकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नयी शर्तें जिनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री का कहना है कि उनके बारे में बातचीत चल रही है । ज्यों ही वे तय हो जायें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ज्यों ही वह तय हो जायेंगी मैं सभा को सिफारिशें बता दूंगा और यह भी कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : माननीय मंत्री ने बताया है कि ब्याज सुरक्षित है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या उपरोक्त कम्पनी से ब्याज की कोई रकम प्राप्त हुई है और यदि हां तो कितनी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक निश्चित तारीख से ब्याज देय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या ब्याज प्राप्त हुआ है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं जानता कि ब्याज वास्तव में प्राप्त हुआ है या नहीं । इस में संदेह नहीं कि वह देय है । कम्पनियां काफी धनी हैं । वे ब्याज दे देंगी । उस में कोई संदेह नहीं ।

†**श्री त्यागी** : खर्च निकाल देने के बाद कितना प्रतिशत मुनाफा धारण-मूल्य में शामिल है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह एक सामान्य प्रश्न है । जहां तक सरकार का संबंध है वह विषय सामान्यतया प्रशुल्क आयोग पर छोड़ दिया जाता है यद्यपि किसी विशिष्ट उद्योग की उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है कि उचित मुनाफा क्या है । माननीय सदस्य को अपने अनुभव से मालूम होगा कि प्रशुल्क आयोग, विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर, पूंजी पर ८ से १० प्रतिशत आय को उचित लाभ समझती है ।

†**श्री महन्ती** : क्या यह सच है कि धारण-मूल्य में वृद्धि ब्याज की दर के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है और उस स्थिति में, कम्पनियों द्वारा ब्याज दिये जाने के बजाय उपभोक्ता क्यों ब्याज दे रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रशुल्क आयोग की सिफारिश की कल्पना कर लेना उचित नहीं होगा । ब्याज की यह दर अन्तरिम अवधि के लिए है । यह कल्पना करना मेरे लिये ठीक नहीं होगा कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिश क्या होगी और सरकार उस पर क्या निर्णय करेगी ? मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्यों ही सिफारिश प्राप्त हो जायेगी और सरकार उस पर निर्णय कर लेगी, मैं सभा को सूचित कर दूंगा ।

†**श्री महन्ती** : प्रश्न नयी सिफारिश का नहीं है । ये सिफारिशें सभी को मालूम हैं कि प्रशुल्क आयोग ने धारण मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि कम्पनी ब्याज दे सके । इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी ब्याज दे सके इसके लिए उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** प्रश्न का पहला भाग स्वीकार नहीं किया जाता और दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह केवल यह जानना चाहते हैं कि धारण मूल्य बढ़ाये जाने के बाद ब्याज की दर तय की गयी है । माननीय सदस्य यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्याज दे सकने के लिए ही धारण मूल्य बढ़ाया गया है जिस दशा में कि वे केवल उपभोक्ताओं से ले रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने ठीक इसी बात का जवाब देने की कोशिश की थी । मैं यह नहीं मानता कि धारणमूल्य इसलिए बढ़ाया गया था कि ब्याज चुकता किया जा सके । इसीलिए मैंने कहा था कि प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दामानी :** उन्होंने धारण मूल्य के तौर पर कितनी रकम मांगी थी और उसमें से कितनी सरकार ने मंजूर की और क्या सरकार ने पूरे भुगतान को या आंशिक भुगतान की मंजूरी दी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कोई भी जो कुछ मांगता है उसमें से हर चीज सरकार आम तौर से मंजूर नहीं करती ।

†**श्री दामानी :** मेरा प्रश्न यह था कि सरकार ने पूरे दावे या उसके कुछ हिस्से के भुगतान की मंजूरी दी है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग द्वारा संशोधित वर्तमान धारण मूल्य के बारे में 'टिस्को' और 'इस्को' ने आपत्ति की है या वे अधिक मूल्य चाहते थे या इस बात के कारण देर हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि उत्पादक अपना अपने अनुमान प्रस्तुत करेंगे कि यह लागत होनी चाहिये और अमुक मूल्य धारणमूल्य होना चाहिये । उसकी छानबीन की जाती है लागत लेखापाल उसका परीक्षण करते हैं और कई बातों पर विचार किया जाता है । इस तरफ के माननीय सदस्य के इस प्रश्न के संबंध में कि जो कुछ उन्होंने मांगा था क्या हमने हर चीज मंजूर कर ली है, तो उत्तर यह है कि वह कभी नहीं किया जाता । पूर्ण परीक्षण के बाद जो उचित समझा जाता है वही मंजूर किया जाता है ।

†**श्री मुरारका :** जो ब्याज देय होगा उसकी दर क्या होगी और क्या ब्याज ऋण की तारीख से लिया जायगा या अब से आगे लिया जायगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने बताया है कि वह १ जुलाई, १९५८ से देय है । ऋण की तारीख बहुत पहले है । यह बात पहले भी बतायी जा चुकी है कि आरंभ में कई वर्षों तक ऋण पर ब्याज नहीं लिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : कारण कई बार यहां बताया जा चुका है । मुझसे पहले के मंत्री ने बताया था कि कई वर्षों तक मूल ऋण पर ब्याज न लेना क्यों मंजूर किया गया था । मुख्य कारण यह था कि किसी न किसी रूप में अंतिम मूल्य पर वित्तीय सहायता के ढंग का प्रभाव पड़ता है और यह नियंत्रित वस्तु होने के कारण, प्रत्येक बात पर विचार किया गया और कुछ सहायता दी गयी, वर्तमान स्थिति में प्रश्न यह है कि ब्याज की दर क्या हो और ऋण चुकता करने की शर्तें क्या हों ।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि ब्याज की दर क्या निर्धारित की गयी है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं । १ जुलाई, १९५८ से ।

†अध्यक्ष महोदय : ब्याज की दर क्या है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि वह लगभग ५ प्रतिशत है लेकिन यह मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूं ।

प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापक

+

†*९२४. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्र हैं ;

(ख) इन केन्द्रों पर (१) राज्य सरकारों द्वारा तथा (२) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय किया जाता है ;

(ग) इन अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों के सुधार के लिये यदि कोई सुझाव दिये गये हैं, तो वे क्या हैं ;

(घ) क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन संस्थाओं की आलोचना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या आलोचना की गयी है और उसका उपाय क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]

(घ) और (ङ). जी नहीं । प्राथमिक अध्यापकों की शिक्षा संबंधी प्रथम राष्ट्रीय गोष्ठी में जो अक्तूबर, १९६० में दिल्ली में आयोजित की गयी थी, अध्यापकों के प्रशिक्षण की संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था । मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में पद, चुनाव, भर्ती, पारिश्रमिक, सेवा की शर्तें और प्रशिक्षण के लिए दी गयी सुविधाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्टें तैयार की थीं । ये रिपोर्टें और मंत्रालय के सुझाव राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जो अध्ययन किया गया है और जो नोट तैयार किया गया है क्या उसमें यह मान लिया गया है कि कार्यप्रणाली अत्यंत असंतोषजनक है, और यदि हां, तो क्या कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और क्या किसी मामले में सरकार ने अनुदान बंद कर दिये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय और उसके पदाधिकारियों ने किये थे और सुझाव अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं। वास्तव में, इस गोष्ठी में, जो संगठित की जा रही थी, इन सभी समस्याओं पर चर्चा हुई थी और अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों के स्तर ऊंचे करने के लिए केन्द्रीय सरकार उन्हें सभी संभव सहायता दे रही है ।

श्री खादीवाला : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य सरकारों की तरफ से जो प्रशिक्षण शिविर खोले जाते हैं, उन में कई जगह साधनों की कमी रहती है और आचार्य नहीं मिलते हैं और जो मिलते हैं, वे दूसरे स्थानों से शिक्षण का काम छोड़ कर आते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, इस तरह की कई कमियां हो सकती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को सौ प्रतिशत ग्रान्ट्स इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्ज के लिए दी गई हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि अध्यापक-प्रशिक्षण संबंधी प्रथम राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि संपूर्ण अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र निर्जीव हैं, अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों के वातावरण से कोई प्रेरणा और विचारधारा नहीं प्राप्त होती, अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र पुराने हो गये हैं और प्रशिक्षार्थी इस कारण इस पेशे में आ गया है कि उसे और दूसरा कोई मार्ग नहीं था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे जानकारी मांग रहे हैं या दे रहे हैं? माननीय सदस्य एक प्रिन्सिपिल हैं किन्तु जानकारी मांगने के बजाय देने से क्या लाभ है ?

†**श्री हेम बरुआ :** मैं जानकारी मांग रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर यह भूमिका क्यों ?

†**श्री हेम बरुआ :** यदि यह सच है, तो अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों की इस खुली आलोचना से क्या संपूर्ण अध्यापक-प्रशिक्षणार्थी वर्ग के धैर्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह देश भर के शिक्षा-प्रशासकों की गोष्ठी थी और इसी गोष्ठी में यह चर्चा हुई थी। वह सार्वजनिक आलोचना नहीं थी । वास्तव में, इन बातों की चर्चा गोष्ठी में ही हुई थी। गोष्ठी का आयोजन इसी प्रयोजन के लिये किया गया था ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** ये ११०० अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिये सरकार २५५ लाख रुपये की रकम खर्च करती है । क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि ये केन्द्र ठीक ढंग से चलाये जा रहे हैं ?

†**श्री तंगामणि :** यह रकम राज्य सरकारें खर्च करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरा सर्वेक्षण किया गया था और सभी केन्द्रों के सुधार के लिये कई सुझाव राज्य सरकारों को दिये गये हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार अध्यापक-प्रशिक्षण सुविधायें बढ़ाने और स्तर ऊंचे करने के लिये राज्य सरकारों को शतप्रतिशत सहायता दे रही है। अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों के सुधार के लिये निरन्तर प्रयत्न हो रहा है। १९५९–६० में और अधिक अनुदान दिये गये हैं। हमारे पास पूरी पूरी जानकारी नहीं है और मैं माननीय सदस्य के लाभ के लिये उन विवरणों को भी सभा पटल पर रख दूंगा।

†श्री यादव नारायण जाधव : मुझे एक निवेदन करना है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के १९५७–५८ तक के आंकड़े दिये गये हैं किन्तु महाराष्ट्र और गुजरात के आंकड़े नहीं दिये गये हैं, केवल बम्बई राज्य के आंकड़े दिखाये गये हैं। विभाजन हो कर सात महीने हो गये हैं। मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र और गुजरात के आंकड़े क्यों नहीं दिये गये हैं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे इन आंकड़ों के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है और मैंने बताया है कि ज्योंही आंकड़े दिये जायेंगे, वे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

†श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों के माध्यम से जो अनुशासनहीनता चल रही है, उसमें अध्यापकों का भी एक बहुत बड़ा स्थान है ? इसलिये क्या प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापकों के लिये कुछ आचार संहिता का निर्माण किया जायगा, जिसे उनके भावी जीवन पर प्रभाव पड़े और अनुशासनहीनताओं में उनका हाथ न हो सके ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य के इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

†पंडित कु० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री नन्हें बच्चों की शिक्षा, किशोरों और उन लोगों को जो बड़े हो गये हैं, हठधर्मिता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना के सुझाव पर विचार करेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : क्या बड़े लोगों की हठधर्मिता का अध्ययन करने के लिये अनुसंधान संस्था ?

†पंडित कु० चं० शर्मा : आप कहते हैं कि कालेज के छात्र सड़कों पर इधर-उधर घूमते हैं।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे सन्देह है कि यह विषय सीधे इस मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। बड़े लोगों की हठधर्मिता का विषय तो और कोई उठाये।

†अध्यक्ष महोदय : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि देश के सामने क्या आदर्श है। क्या इन अध्यापकों को स्वतंत्रता आन्दोलन, अहिंसा के बारे में कुछ सिखाया जाता है ? ये महत्वपूर्ण विषय हैं। मालूम होता है कि अध्यापकों को पुराने तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। वह यही जानना चाहते हैं। जब योजनायें तैयार की जाती हैं तो क्या यह ध्यान में रखा जाता है कि देश वास्तव में क्या चाहता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्र इन बातों को निरन्तर ध्यान में रखते हैं और हमारा निरन्तर ही यह प्रयत्न रहता है कि हमारे संविधान में जो आदर्श दिये हुये हैं, अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें प्राप्त किया जाये। सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : माननीय मंत्री ने बताया कि अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार के लिये राज्यों को शतप्रतिशत सहायता दी जा रही है किन्तु १९५७-५८ तक केवल सात राज्यों को सहायता प्राप्त हुई है। क्या पश्चिम बंगाल ने कोई अनुदान नहीं मांगा था ? क्या उसने १९६०-६१ के लिये भी कोई अनुदान नहीं मांगा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५९-६० में पश्चिम बंगाल को ५ लाख रुपये की रकम दी गई थी। १९५७-५८ में शायद उसने अनुदान का उपयोग न किया हो। १९५९-६० में पश्चिम बंगाल को अनुदान दिया गया है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : विवरण से यह दिखाई पड़ता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल एक ही ऐसा केन्द्र है। जब कि वहां पढ़ाने के लिये अन्य स्थानों से अध्यापक ले जाने पड़ते हैं तो क्या सभी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये वह पर्याप्त समझा जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशिक्षण सुविधायें उस क्षेत्र के लिये पर्याप्त हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने मेरा कहना मान लिया है कि उन्होंने कुछ आलोचना की थी लेकिन वे कहते हैं कि वह आलोचना केवल गोष्टी तक ही सीमित थी और उसे सार्वजनिक संपत्ति नहीं बनाया गया था लेकिन आलोचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और बहुत संभव है कि उससे अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के धैर्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मैत्री के तौर पर जो आलोचना की गयी वह समाचारपत्रों में प्रकाशित न हो और उससे अध्यापक-प्रशिक्षार्थियों के धैर्य पर प्रभाव पड़े इसके लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सद्भावना पूर्ण आलोचना का बुरा प्रभाव अध्यापक-प्रशिक्षार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिये और न पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस समय देश में निरंतर आत्म-परीक्षण की आवश्यकता है। वास्तव में शिक्षा विषयक प्रशासकों की यह गोष्ठी थी और हम विभिन्न समस्याओं के बारे में सोच रहे थे। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार के आत्मपरीक्षण से कोई नुकसान हुआ है।

†**श्री वारियर** : क्या निजी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली पगड़ी के प्रश्न पर भी इस गोष्ठी में कोई चर्चा हुई थी और क्या इस विषय में कोई अंतिम निष्कर्ष निकला ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो तो वह मुझे बतायें और मैं उस बारे में पूछ ताछ करूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री ने इस बात पर गौर किया है कि इन अध्यापक-प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापक -प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए अ-प्रशिक्षित मैट्रिक योग्यता के व्यक्ति हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, यह किसी हद तक ठीक हो सकता है क्योंकि इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था कि इन में से कुछ केन्द्रों में ऐसे भी लोग हैं जो मैट्रिक भी नहीं हैं। वास्तव में गोष्ठी में जिन बातों पर हमने विचार किया उन में एक यह भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या इस पर इतना अधिक विचार करने की आवश्यकता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है । हमने इसकी कड़ी आलोचना की है और हम ने इन बातों को ठीक करने के लिए राज्य सरकारों से प्रार्थना की है ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों को इस में रुचि मालूम होती है । हम इस विषय पर आधे घंटे गोष्ठी करें । यदि माननीय सदस्यों को रूचि हो तो मैं इस के लिए आधा घंटा दे सकता हूं । हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं । यह आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार इस तरह की चीज करें । राज्य सरकार भी जिम्मेदार लोगों के हाथ में है । एक अध्यापक-प्रशिक्षक संस्था किसी अ-प्रशिक्षित व्यक्ति और वह भी जो मैट्रिक न हो उस के अधिकार में कैसे रखी जा सकती है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : फिर मुझे यह कहना पड़ेगा कि ये कुछ छिटपुट एक दो उदाहरण हैं । एक दो केन्द्रों में ही ऐसा हुआ होगा । यह न समझा जाये कि यही सामान्य नियम है । अधिकतर अध्यापक-प्रशिक्षित केन्द्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग है और संभव है कि एक-दो संस्थाओं में ऐसा हुआ हो और इस बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र

+

†*९२५. { **श्री रामी रेड्डी :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री मं० वें० कृष्ण राव : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक समिति ने आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) समिति की उपपातियां क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) परीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रामी रेड्डी : क्या प्रविधिक समिति आंध्र प्रदेश में गई थी और यदि हां, तो वह किन स्थानों पर गई थी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह समिति आंध्र प्रदेश में जा चुकी है और इस ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है । आधुनिकतम स्थिति यह है कि राज्य सरकार सिंगरैनी कोयला खानें और प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु कार्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला के

---

†मूल अंग्रेजी में

निदेशक को उस प्रयोगशाला के द्वारा किये जाने वाले अग्रिम संयंत्र प्रयोगों के लिये, कुछ मात्रा में कच्चा माल देंगे । यह स्वीकार किया गया था कि अधिक से अधिक फरवरी के अन्त तक यह कच्चा माल पूर्णतया भेजा जाना चाहिये । लगभग अप्रैल या मई १९६१ तक अग्रिम संयंत्र प्रयोग पूरे हो जाने की संभावना है ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह तथ्य है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग ७० करोड़ रुपये की लागत और १०० टन क्षमता के इस्पात संयंत्र की संभावना की जांच की है और यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन का परीक्षण प्रविधिक समिति या सरकार द्वारा किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: मैं समझता हूं कि यह प्रविधिक समिति वास्तव में उस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के लिये बनाई गई थी जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं । समिति में आंध्र प्रदेश के भी प्रतिनिधि हैं, और मुझे विश्वास है कि सब संगत बातें प्रविधिक समिति के सामने रखी जाएंगी ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या जमशेदपुर में किया जाने वाला परीक्षण सिंगरैनी में उपलब्ध गैर-धातु कार्मिक कोयला के बारे में है या किसी और बारे में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह उस क्षेत्र में उपलब्ध कोयला और लौह अयस्क दोनों के बारे में है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : यह मान लिया गया है कि आंध्र प्रदेश और मैसूर के इर्द गिर्द में ऊंचे दर्जे का लोह अयस्क बहुत है और कोयला भी उपलब्ध है । क्या तीसरी योजना में दक्षिण में इस्पात संयंत्र लगाने का कोई ठोस प्रस्ताव है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यही उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा था कि प्रविधिक समिति एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और प्रविधिक संभाव्यता होने पर तथा आर्थिक दृष्टि से यदि यह चल सका, तो उपयुक्त संयंत्र लगाया जा सकता है । परन्तु इस मामले में साधारणतया यह बात भुला दी जाती है कि कच्चा लोहा या इस्पात बनाने के लिये, निस्सन्देह लौह अयस्क एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है, परन्तु कोयला भी उतना ही महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है और मात्रा भी उतनी ही होती है ।

†**डा० अचलम्मा** : चूंकि आंध्र प्रदेश के पास कोयला है, क्या इस संयंत्र को तीसरी योजना में सम्मिलित किये जाने की कोई संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीया महिला सदस्या से प्रार्थना करूंगा कि वह विस्तृत परीक्षण की परीक्षा करें, जो इस समय यह प्रविधिक समिति कर रही है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टील प्लांट लगाये जा रहे हैं और उन में जो करीब ६० लाख टन का उत्पादन हो रहा है, इस से और ज्यादा अगर उत्पादन होता है तो क्या बाजार में मन्दी नहीं आ जाएगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय मैम्बर साहब जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है । चालीस करोड़ से ज्यादा इसकी आबादी है । हम आइन्दा १५–२० साल जितना

---

†मूल अंग्रेजी में

भी ज्यादा से ज्यादा स्टील पैदा कर सकेंगे उस सभी की खपत हमारे देश में हो जाएगी ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

+

*९२६. { श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में विवाहित स्त्रियों के संबंध में कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब जैसे अन्य राज्य भी इसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वयं इस अधिनियम में वह संशोधन क्यों नहीं कर देती ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) पंजाब सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव अधिनियम में संशोधन करने के लिये प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : हिन्दू परिवार में विवाहित कन्याओं का जो अचल सम्पति में भाग इस विधेयक में रखा गया है, उस प्रश्न को ले कर समाज में एक बहुत बड़ी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है जिस से अभियोगों आदि में भी वृद्धि हो रही है । ऐसी हालत में क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार स्वयं इस प्रकार का परिवर्तन कर लेती जिस से कि प्रान्तीय सरकारों को इस प्रकार के परिवर्तम करने की आवश्यकता ही न पड़े ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं नहीं मानता कि अधिनियम में संशोधन करने के पक्ष में कोई लोक मत बना हुआ है ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि पंजाब विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है कि बेटियों को भू-सम्पति या कम से कम कृषि सम्पति देने से संबंधित यह इस भाग में संशोधन कर लिया दिया जाए ?

†**श्री अ० कु० सेन** : समाचार पत्रों में यह प्रतीत होता है कि मार्च १९६० में, पंजाब विधान सभा में एक गैर-सरकारी संकल्प रखा गया था कि राज्य सरकार को कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

जाए कि वह केन्द्र से यह प्रार्थना करे कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये कि बेटी को उस के श्वसुर की सम्पति में भागीदार बनाया जाए, न कि विवाह के पश्चात् उस के पिता की सम्पति में । समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि पंजाब सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो उपरोक्त गैर-सरकारी संकल्प के संबंध में पंजाब विधान सभा में जो चर्चा हुई थी, उसको दृष्टि में रखते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधनों का सुझाव दे । उन समाचारों के अतिरिरिक्त केन्द्रीय सरकार को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में संशोधन के बारे में और किसी कार्यवाही की सूचना नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब ऐसे समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं तो क्या मंत्रालय सही जानकारी के लिये संबद्ध राज्य सरकारों से इनका उल्लेख नहीं करता ?

†**श्री अ० कु० सेन** : ऐसे मामले में, संशोधन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आना चाहिये। चूंकि हमारे पास राज्य से कोई शासकीय सूचना नहीं मिली, हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका निर्देश एक समिति को किया गया है । यदि आरंभ में ही, माननीय मंत्री इसे समाप्त करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें उनको नहीं लिखना चाहिये ? जब तक कोई गैर-सरकारी इसे सरकार के ध्यान में नहीं लाता, क्या उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी जब कि सरकार को इस मामले में दिलचस्पी है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि राज्य सरकार विधान सभा में व्यक्त किये गये सुझावों का परीक्षण करने के हेतु एक समिति नियुक्त करना उचित समझती है, तो मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार के लिये उसे आरंभ से ही समाप्त करना उचित होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे अलग रहने दीजिये। क्या उन्हें सूचना की सच्चाई में दिलचस्पी नहीं है, क्या वास्तव में ही वे इस मामले का परीक्षण कर रहे हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जब कोई प्रस्ताव नहीं आता तो ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†**श्री नरसिंहन्** : (ख) का उत्तर "न" है। परन्तु माननीय मंत्री द्वारा दी गई सूचना उस के साथ पूर्णतया मेल नहीं खाती । एक सुझाव दिया गया है परन्तु उसका उत्तर है कि नहीं दिया गया ।

†**श्री अ० कु० सेन** : निस्सन्देह (ख) भाग का उत्तर 'न' है। पंजाब या अन्य किसी राज्य सरकार से अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया। प्रश्न यह था और यह प्रश्न था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इच्छा जानने का यही एक तरीका है।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से इस प्रकार का सुझाव लेती जिसमें भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई से बचा जा सके और राज्य और केन्द्र के बीच कोई टकराव उत्पन्न न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच किसी विवाद की कोई संभावना है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस समय सरकार की ओर से नहीं कह सकता—मैं ऐसे किसी संशोधन का अत्यधिक विरोध करूंगा जो सम्पत्ति में लड़कियों को अपना भाग लेने से वंचित करने के लिये हो।

श्री खादीवाला : अंग्रेजी उत्तर को हिन्दी में भी देना चाहिये। जब हिन्दी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में भी देते हैं तो अंग्रेजी जवाब भी हिन्दी में दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कभी कभी अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं अब राजभाषा हैं। यह सभा हिन्दी के लिये कोई प्रशिक्षण कक्षा नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में साथ साथ अनुवाद होना चाहिये। मैं इसे यथाशीघ्र कर रहा हूं। अब कुछ माननीय सदस्यों के लिये इसका अध्ययन करना कठिन है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को यह मालूम रहे कि सभा में क्या हो रहा है। यदि कोई सदस्य हिन्दी में बोलता है, तो मैं उन सदस्यों से पूछूंगा जो हिन्दी नहीं जानते, कि क्या वे यह जानना चाहते हैं कि हिन्दी में भाषण करने वाला सदस्य क्या कह रहा है। मैं सोचता हूं कि उस का संकेत देने के लिये मैं द्विभाषियों का प्रबन्ध करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई सदस्य यह जाने बिना कि क्या हो रहा है, किसी एक पक्ष में मत दे। मुझे पता है कि ७० सदस्यों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। वे अंग्रेजी समझ नहीं सकते। उनके लाभार्थ मैं अंग्रेजी भाषणों का भी अनुवाद उनको दिलाने का प्रबन्ध करूंगा। इसीलिये मैंने साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था की है। मैं इसे यथा शीघ्र करवाऊंगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह केवल उनके लिये है जो अंग्रेजी या हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वे हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी भाषा नहीं जानते, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन

†*९२९. **श्री प्र० के० देव :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष इस्पात और धातु मिश्रित इस्पात के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये आयुद्ध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी पार्टियों की ओर से तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विशेष इस्पात के उत्पादन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में विशेष इस्पात और धातुमिश्रित इस्पात की जितनी आवश्यकता होगी उस सब का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जी, नहीं। गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ इकाइयां मंजूर करने का प्रस्ताव है।

†**श्री प्र० के० देव :** तीसरी योजना में इस विशेष इस्पात और मिश्रित इस्पात की कितनी जरूरत है और अब देश में यह कितना तैयार होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : इन शब्द 'विशेष इस्पात और मिश्रत इस्पात' की परिभाषा देना सरल नहीं है। इसमें बहुत से मिश्र धातु शामिल हैं। उनकी आवश्यकताओं को बताने और उनका टनभार देने से कुल आवश्यकता के बारे में गलत धारणा हो सकती है। परन्तु अब इरादा यह है कि सरकारी क्षेत्र में एक विशेष इस्पात और मिश्रित इस्पात संयंत्र खोला जाये जिसमें स्टेनलेस स्टील शामिल हो, जिसकी वार्षिक क्षमता ८०,००० टन होगी। उसके अतिरिक्त, गैर सरकारी क्षेत्र में भी, एक लाख टन तक क्षमता मंजूर की जा सकती है। परन्तु टनभार कुछ भ्रांति मूलक हो सकता है, क्योंकि इन इस्पातों के मूल्य में बहुत अधिक अन्तर होता है, जो इस पर निर्भर होता है कि किस प्रकार के मिश्र धातु बनाये जाते हैं। इसका अंकन किया जा रहा है। और अभी कोई अन्तिम चित्र तैयार नहीं है। मुझे आशा है कि जब तक योजना के बारे में अन्तिम चर्चायें पूरी होंगी, अन्तिम चित्र मिल सकेगा।

†श्री प्र० के० देव : सरकारी क्षेत्र में ८०,००० की टन क्षमता का यह संयंत्र कहां लगाया जायेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : दुर्गापुर में।

†श्री सूपकार : गैर सरकारी क्षेत्र को इस चीज के बारे में सरकारी क्षेत्र के साथ साथ क्यों रहने दिया जाता है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे इसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। मैं समझता था कि यह सदस्य जिस दल से संबंध रखते हैं, वह सरकारी क्षेत्र की बड़ी समर्थक नहीं है।

†श्री सूपकार : ऐसा मंत्री को किसने बताया ? मैं यह जानना चाहता था कि ऐसे मामलों में सरकार की नीति क्या है जहां गैर-सरकारी क्षेत्र को इस चीज के बारे में सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक आवंटन दिया जाता है।

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें अधिक आवंटन मिलेगा। गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक आबंटन नहीं दिया जायेगा। परन्तु हमने इसे नीति का अंग बनाया है कि कुछ क्षेत्रों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों का विस्तार होने दिया जाये। विशेष इस्पात वह क्षेत्र है जिसमें हम गैर-सरकारी क्षेत्र को भी विस्तार करने दग।

†डा० म० स० अणे : छोटे पैमाने के उद्योग की क्या परिभाषा है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : छोटा पैमाना उद्योग वह होता है जो बहुत बड़ा नहीं होता।

†डा० मा० श्री० अणे : यह कहने से कि छोटे पैमाने का उद्योग वह होता है जो बड़ा नहीं होता, हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसके बारे में धन संबंधी मूल्य जानना चाहते हैं कि क्या कोई सीमा होती है। पंजी निगर्म बढ़ाने की मंजूरी देने के उद्देश्य के लिये, जिन उद्योगों की पंजी ५ लाख रुपये से कम होती है, सरकार के सामने नहीं आते। क्या सीमा संबंधी ऐसा कोई मद जिस तक किसी उद्योग को छोटे पैमाने का समझा जायगा, और इससे अधिक उसे बड़े पैमाने का उद्योग समझा जायेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब ५ लाख रुपये की सीमा में ढील कर दी गई है और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय १० लाख रुपये तक भी लाइसेंस लेने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

आग्रह नहीं करता । इसी प्रकार बिजली की भट्टियों और छोटे बेलन मिलों के मामले में मैंने कुछ महीने पूर्व सभा को बताया था कि हमने भी एक निर्णय किया है कि छोटे बेलन मिलों को, जहां कुल व्यय ५ लाख रुपये से कम है और ५० से कम लोग काम करते हैं, लाइसेंस के बिना भी लगने दिया जाये । परन्तु मा० सदस्य का प्रश्न लाइसेंस पर आग्रह पर न करने के बारे में इतना प्रविधिक नहीं था ।

छोटे पैमाने के उद्योग की परिभाषा सरल नहीं है । यह ऐसा उद्योग होता है जो बहुत बड़ा नहीं होता और उसमें भी क्षेत्र क्षेत्र में अन्तर होता है । उदाहरण के लिये, कच्चा लोहा का वह संयंत्र छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है जो लगभग १५००० टन प्रतिवर्ष उत्पादन करता है परन्तु उस पर पूंजी ६० या ७० लाख रुपये तक होती है । जैसा कि कुछ सदस्यों को विदित है । अतः इसकी परिभाषा सरल नहीं क्योंकि छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच कोई मान्य परिभाषा नहीं है । हम कुटीर, अल्प स्तर और वृहत् स्तर उद्योगों का प्रयोग करते हैं ।

†**श्री दामानी :** क्या किसी गैर सरकारी कम्पनी को विशेष इस्पात बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है, मात्रा क्या है और वे कब तक उत्पादन आरम्भ करने में समर्थ होंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें एक प्रश्न में पूछ ली हैं । हाल ही में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया । उन सब पर अभी विचार हो रहा है । परन्तु मैं समझता हूं कि एक वर्ष या लगभग समय हुआ, थोड़ी मात्रा में विशेष इस्पात के निर्माण के लिये एक या दो समवायों को लाइसेंस दिये गये थे ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** तारांकित प्रश्न संख्या ९३१ का उत्तर सभा पटल पर दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी हमने इस्पात संबंधी प्रश्नों के अनुपूरक पूरे नहीं किये ।

†**श्री मुहम्मद इमाम :** क्या यह सच नहीं है कि मैसूर लोहा और अयस्क कारखाना, भद्रावती ने विशेष इस्पात, लौह मिश्रित धातु और दूसरी चीजें बनाने के लिये योजना पेश की है और यह बहुत देर से मंजूरी के लिये सरकार के पास लम्बित पड़ी है । क्या रूरकेला या दुर्गापुर के पक्ष में इस योजना की उपेक्षा की जा रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हम मैसूर सरकार और भद्रावती परियोजना प्राधिकारियों के साथ विशेष इस्पात के लिये संयंत्र स्थापना के बारे में पहले से बातचीत कर रहे हैं । ठीक कितना उत्पादन किया जायेगा और कितना बड़ा संयंत्र होगा, इन मामलों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है जो ११ दिसम्बर, १९६० को प्रकाशित हुआ है कि एक मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र का टाटा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है । वह प्रस्ताव क्या है और क्या योजना सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है जो एक अमरीकी फर्म के सहयोग के साथ स्थापित किया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह अभी प्रस्ताव ही है और स्वीकार नहीं किया गया है । समाचार गलत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे :** कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री ने कहा कि गैर-सरकारी क्षेत्र को कच्चा लोहा बनाने दिया जायेगा । अब वह कह रहे हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को विशेष इस्पात बनाने की भी अनुमति दी जायेगी । क्या इसका यह अर्थ है कि औद्योगिक नीति में बड़ा परिवर्तन हो गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं । नीति में कोई परिवर्तन नहीं, बड़े परिवर्तन की तो बात ही क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** भाग (क) और (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने "हां" कहा है । क्या प्रतिरक्षा मंत्री के परामर्श से कोई योजना बनाई गई है जिससे आयुध फैक्टरियों में विशेष मिश्र इस्पात तैयार करने की योजना को बढ़ाया जायेगा ? यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य वह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछ लें । यह सच है कि आयुध फैक्टरियों की क्षमता बढ़ाई जायेगी । उन फैक्टरियों में जो काम किया जाता है उसका ब्योरा देने की प्रथा नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रश्न आयुध फैक्टरियों के बारे में है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को दूसरे मंत्रालय से कुछ सूचना होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां कहीं एक से अधिक मंत्रालयों का संबंध होता है इसके पश्चात् वह प्रश्न दोनों मंत्रालयों को भेजा जाये ताकि एक मंत्रालय को यह कहने की बजाये कि वह दूसरे मंत्रालय को उसे भेजे हम स्वयं ऐसा करेंगे । । ऐसे मामले में दोनों मंत्रियों से यहां उसका उत्तर देने के लिये उपस्थित रहने की अपेक्षा की जायेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमा-शुल्क विभाग म पड़े हुए पार्सल

†***९२१. श्री रामजी वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क कार्यालयों में हजारों रुपये के मूल्य के अनेक पार्सल छुड़वाने के लिये पड़े हुये हैं ;

(ख) सीमा शुल्क कार्यालयों से प्रति सप्ताह कितने डाक-पार्सल छुड़ाये जाते हैं ;

(ग) क्या डाक मूल्यांकन अनुभाग (पोस्टल एप्रेजिग सेक्शन) बड़े दिन के अवसर पर बम्बई पहुंचने वाले हजारों पार्सलों संबंधी कार्य को संभाल सकेगा ; और

(घ) क्या स्थिति का सामना करने के लिये सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) नवम्बर, १९६० के आरम्भ में लगभग २४,७०० डाक पार्सल और पैकट भारत के विदेशी डाकघरों में छुड़ाने के लिये पड़े हुये थ । उनमें जो माल था उसके मूल्य के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) लगभग १३००० डाक पार्सल और पैकट प्रति सप्ताह ।

(ग) तथा (घ). जी हां । प्रत्याशित कार्याधिक्य को पूरा करने के लिये ५ अतिरिक्त मूल्यांकन अधिकारी नवम्बर के पहले सप्ताह १९६० के बम्बई डाक मूल्यांकन अनुभाग में लगा दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छिद्रण उपकरण

†*९२७. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में, भारत के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये अपेक्षित उपकरणों के उत्पादन की दिशा में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या आयुध कारखानों में पम्पिंग सेट और छोटे छिद्रण-यंत्र बनाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी, हां। इस बारे में पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां। तथापि आयुध फैक्टरियों के महानिदेशक ने आयुध फैक्टरियों में पम्पों और छिद्रण उपकरण के कुछ पुर्जे बनाना स्वीकार कर लिया है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*९२८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात की चीजों के आयात के कोटे में १२ प्रतिशत कमी कर दी गयी है किन्तु विकास शाखा की सूची में उल्लिखित बड़े पैमाने के उद्योगों के मामले में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). विकास कक्ष की सूची में छोटे पैमाने या बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात के आयात के अभ्यंश निश्चित नहीं हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रति छः महीने में तदर्थ आधार पर आयात के लाइसेंस दिये जाते हैं, और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा देशी साधनों से उपलब्ध संभरण की स्थिति पर निर्भर होता है। विदेशी मुद्रा की तंगी के कारण विकास कक्ष की सूची के बड़े पैमाने के उद्योगों या राज्य सरकारों के उद्योग निदेशकों द्वारा सिफारिश किये गये छोटे पैमाने के उद्योगों की पूरी मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

सिविल इंजीनियरी विभाग, रूरकेला

†*९३०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में सिविल इंजीनियरी विभाग के सर्वेयर और चीफ इंजीनियर की शारीरिक असमर्थता के कारण उस विभाग का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थायी किस्म के रोगों के कारण ये दोनों पदाधिकारी बस्ती (टाउनशिप) का दौरा नहीं कर सकते ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि विभाग का काम ठीक तरह से चलता रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाहौल और स्पिती का भूतत्वीय सर्वेक्षण

***९३१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाहौल और स्पिती का भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) तथा (ख). अब तक कुछ कार्य किया गया है और यह विचार है कि इसे जारी रखा जाय ।

सेना में अफसर

***९३२. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का प्रादेशिक सेना के ऐसे अफसरों को, जो प्रादेशिक सेना में नियमित अफसरों की भांति काम कर रहे हैं, स्थायी कमीशन देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : एक सुझाव विचाराधीन है, कि प्रादेशिक सेना के अफसरों को भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेष्टि की आज्ञा दी जाय, कि उस के अनन्तर उन्हें नियमित रूप से स्थायी कमीशन दी जा सके ।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था

†***९३३. श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् के सुझाव क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद ने स्त्रियों को उच्च स्तरीय नेतृत्व के स्थानों तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया है। परिषद द्वारा प्रस्ताव का व्योरा बनाने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गई है। जब प्रस्ताव का पूरा व्योरा प्राप्त हो जायगा तो सरकार सुझावों पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन कोंडा के अवशेष

†*९३४. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन कोंडा में पाये गये अवशेषों को पहाड़ी की चोटी पर ले जाये जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वृताकार मंच वाली रंगशाला (एम्फीथियेटर) और नदी के तट की सीढ़ियों जैसे अवशेषों को सही सलामत रखने के लिये कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित संग्रहालय और उसके प्रांगण में अवशेषों को रखने के लिये पर्याप्त स्थान होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अन्य स्थानों पर स्थापित किये जाने के लिये चुने गये दस स्मारकों में से पांच पर कार्य पूरा हो गया है और एक अन्य पर कार्य पूरा होने वाला है। बाकी चार पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) और (ग). जी, हां। (१) विश्वविद्यालय स्थान और (२) श्रोतृ-शाला (आडिटोरियम) इन दो को छोड़कर संग्रहालय में उठायी जाने वाली सब वस्तुएं होंगी। ये दोनों अवशेष नागार्जुन कोंडा से माचेरला जाने वाली सड़क के किनारे किसी चुने हुये स्थान पर स्थापित कर दिये जायेंगे।

नागाओं की हिरासत में भारतीय वायुसेना के चालक

†*९३५. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १ दिसम्बर, १९६० को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के जिन चार कर्मचारियों को शरीर बन्धक के रूप में नजरबन्द रखा गया था, उन्हें अभी हाल ही में नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र में एक गुप्त अदालत द्वारा तीन महीने की कद की सजा दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी, हां। परन्तु इस बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है।

अनुसूचित जातियों, अनसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए समुद्र पार छात्रवृत्तियां

†*९३६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुय वर्गों के कितने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये चुना गया और बाहर भेजा गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ वर्गों को भारत सरकार की समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना के अधीन वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में चुने गये और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजे गये पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	चुने गये विद्यार्थियों की संख्या			विदेश भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या		
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग
१९५८–५९	४	४	४	२	२	३
१९५९–६०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
१९६०–६१ (अब तक)	[विचाराधीन]					

गृह-कार्य मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग

†*९३७. **श्री अजराज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री २९ नवम्बर, १९६० को कांग्रेस उच्च सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के विमान द्वारा अथवा भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा दिल्ली से लखनऊ गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय अथवा कांग्रेस दल द्वारा भाड़ा दिया गया है और कितने व्यक्तियों को भाड़ा दिया गया है ;

(ग) उक्त वायुयान को कितने समय तक लखनऊ में रोक रखा गया ;

(घ) क्या देश के अन्य नागरिकों को भी भारतीय वायुसेना के विमान अथवा राष्ट्रपति के विमान का उपयोग करने की अनुमति है ; और

(ङ) यदि हां तो अब तक किन किन अवसरों पर और किन व्यक्तियों द्वारा इन विमानों का उपयोग किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) गृह-कार्य मंत्री २९ नवम्बर, १९६० को भारतीय वायुसेना के एक विमान द्वारा दिल्ली से लखनऊ गये थे । वे कांग्रेस उच्च सत्ता के प्रतिनिधि की हैसियत से लखनऊ नहीं गये थे ।

(ख) गृह-कार्य मंत्री ने अपना तथा तीन अन्य गैर-हकदार व्यक्तियों का किराया दिया ।

(ग) विमान गृह-कार्य मंत्री को लखनऊ में उतार कर उसी दिन दिल्ली वापस आ गया ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी हां, जब ऐसा करना लोक हित में हो अथवा राज्य के कारणों से ऐसा करना वांछनीय समझा जाये ।

(ङ) अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

मंत्रियों द्वारा और विशेष रूप से प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय नियम है।

दयापूर्ण प्रयोजनों के लिये तथा दैवी विपत्तियों में सहायता और निरीक्षण कार्यों आदि के लिये भी ये विमान दिये जाते हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†*९३८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री राधारमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या शिक्षा मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ६—११ वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये ८० प्रतिशत छात्र नाम दर्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अभी तक निम्नलिखित पग उठाये गये हैं ?

(१) प्रत्येक बच्चे के घर से कम दूरी के अन्दर अन्दर एक स्कूल खोलने के विचार से नये प्राइमरी स्कूलों का स्थान निश्चित करने के लिये देश में एक शिक्षण सर्वेक्षण किया गया है ।

(२) प्रशिक्षित प्राइमरी अध्यापकों से अधिक कार्य लेने के लिये अध्यापक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने के लिये वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में राज्य सरकारों को अनुदान दिये गये हैं ।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में लड़कियों का नाम दर्ज करने में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक उपाय किये गये हैं ।

(४) अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये एक आदर्श विधान बनाया गया था। वह अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा सम्बन्धी नियमों में संशोधन के आधार के रूप में सब राज्य सरकारों को पारिचालित कर दिया गया है । आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्यों ने अपने विधान मंडलों में आदर्श अधिनियम की तरह अनिवार्य

†मूल अंग्रेजी में

प्राइमरी शिक्षा विधेयक पुरस्थापित कर दिये हैं। आसाम और मैसूर की सरकारें आदर्श अधिनियम को ध्यान में रख कर वर्तमान नियमों को पुनरीक्षित करने का प्रयत्न कर रही हैं।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने ६—११ वर्ष के बालकों के लिये शिक्षा के विस्तार के लिये अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है। उन्नत राज्यों में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिये लक्ष्य ९० प्रतिशत रखा गया है। पिछड़े राज्यों में लड़कों के लिये नाम दर्ज करने का लक्ष्य ९० प्रतिशत है और लड़कियों के लिये नाम दर्ज करने का लक्ष्य ५० प्रतिशत है।

इन योजनाओं की क्रियान्वित अप्रैल, १९६१ से आरम्भ होगी।

राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन

†*९३९. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन के बारे में फिल्म तैयार कर ली गयी है ; और

(ख) इस फिल्म की तैयारी पर कुल कितनी लागत आयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी नहीं। इस समय फिल्म 'स्क्रिप्ट' तैयार की जा रही है। इस पर ११,६०० रुपये लागत आने की आशा है।

निवेली में उर्वरक कारखाना

†*९४०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवेली में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : विभिन्न गैस होल्डरों के लिये संयंत्र और नींव स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

ब्रांच रेलवे साइडिंग के लिये मिट्टी का काम, जैसे भूमि को समतल करना और किनारों का निर्माण, पूरा हो गया है। अब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य और अन्य सम्बन्धित कार्य आरम्भ करेगी।

संयंत्र और मशीनों की पहली खेप के मद्रास बन्दरगाह में जनवरी, १९६१ तक पहुंचने की आशा है।

शिबपुर वानस्पतिक उद्यान, कलकत्ता

†*९४१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शिबपुर वानस्पतिक उद्यान को अपने हाथ में लेने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). अभी पश्चिम बंगाल सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है ।

लद्दाख का खनिज सर्वेक्षण

***९४२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सर्वेक्षण दल ने लद्दाख (जम्मू और काश्मीर) का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये लेह का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल अब भी लद्दाख में काम कर रहा है ; और

(ग) क्या वहां अब तक किये गये कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ग). १९५५, १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ वर्षों के दौरान में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के दलों ने लद्दाख का दौरा किया । इस दौरे के परिणामस्वरूप निम्नलिखित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं :—

(१) १९५५ के गर्मी के मौसम में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जिला लद्दाख के भागों की भौमिकी का नोट ।

(२) सिन्धु वादी और लद्दाख में जास्कर पर्वतावली के दक्षिण-पश्चिम में की गई भूगर्भीय सांरेखग[1] की रिपोर्ट ।

(३) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जिला लद्दाख के कराकोरम प्रदेश के भौमिकी की रिपोर्ट ; जिसका सासेर कांगड़ी अभियान के दौरान में अन्वेषण किया गया था ।

(४) लेह (लद्दाख) से लेकर मनाली (पंजाब) तक के भूगर्भीय सांरेखण की रिपोर्ट ।

(५) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जिला लद्दाख के कराकोरम प्रदेश के कुछ ग्लेशियरों की रिपोर्ट।

(ख) लद्दाख में अब कोई दल काम नहीं कर रहा है । ऋतु की प्रतिकूल स्थितियों के कारण भौमिकीविज्ञों के लिये इस मौसम में वहां पर काम करना सम्भव नहीं है ।

स्नातकोत्तर डिग्रिया

†***९४३. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान, श्री सी० डी० देशमुख, ने एम० ए० और एम० एस० सी० परीक्षाओं में तीसरी श्रेणी में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपनी श्रेणी बढ़ाने के लिये परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति देने के लिये विश्वविद्यालय विनियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Geological traverse.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां। यह सुझाव १६ नवम्बर, १९६० को जबलपुर विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में दिया गया था।

(ख) इस सुझाव पर संभतवतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी अगली बैठक में विचार करेगा।

ईसाई मिशनों की शिक्षा संस्थायें

१८३७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में (क्षेत्र-वार) ईसाई मिशनों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को १९५९-६० में सहायता के तौर पर कितना धन दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इन शिक्षा संस्थाओं में बाइबल की शिक्षा और ईसाई धर्म के सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से ज्ञान कराया जाता है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों में अधिकांश छात्रवृत्तियां भी ईसाई बच्चों को ही दी जाती हैं।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) संघ राज्य-क्षेत्रों में ईसाई मिशनों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को १९५९-६० में निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई :—

	रु०
(१) दिल्ली	३,३३,७४१
(२) त्रिपुरा	७६०
(३) हिमाचल प्रदेश	५,३९८
(४) मणिपुर	कुछ नहीं
(५) अंदनाम और निकोबार द्वीपसमूह	कुछ नहीं
(६) लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	कुछ नहीं

(ख) ये स्कूल धार्मिक शिक्षा अवश्य देते हैं लेकिन ऐसी शिक्षा उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है जो उसको लेना चाहे। यदि किसी छात्र के माता पिता या संरक्षक पहले से ही स्कूल अधिकारियों को अपनी यह इच्छा बतला दें कि उनके बच्चे को धार्मिक शिक्षा की कक्षा में उपस्थित होने के लिये या किसी धार्मिक कर्म में भाग लेने के लिए न कहा जाए तो अनुदान के नियमों के अनुसार उस बच्चे को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई छात्र धार्मिक शिक्षा न ले या धार्मिक कार्यक्रम में भाग न ले तो उसे इस कारण कोई हानि नहीं उठानी पड़ती।

(ग) ईसाई मिशन स्कूल निर्धन ईसाई विद्यार्थियों को कुछ आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन जहां तक सरकारी छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, वे केवल योग्यता के आधार पर ही दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदान

†१८३८. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक स्कूलों और कालिजों में खेल के मैदानों की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को कोई धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों और कालिजों के क्या नाम हैं जिन्होंने इससे लाभ उठाया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

१९५९–६०	४०,००० रुपये
१९६०–६१	७६,००० रुपये

(ख) **१९५९–६०**

१. गवर्नमेंट हाई स्कूल, राजपुर

२. गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, खारगांव

३. गवर्नमेंट हाई स्कूल, उदयपुरा

४. गवर्नमेंट हाई स्कूल, शाहगंज

५. आर० डी० तिवारी हायर सेकेण्डरी स्कूल, रायपुर

६. महावीर हायर सेकेण्डरी स्कूल, रायपुर

१९६०–६१

अभी राज्य सरकार से जानकारी अपेक्षित है।

मध्य प्रदेश में श्रम और समाज सेवा शिविर

†१८३९. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक मध्य प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुदान से कितने श्रम और समाज सेवा शिविरों का आयोजन किया गया ;

(ख) इस अवधि में क्या कार्य किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५९–६०	१९६०–६१
३२७ शिविर	(अप्रैल से नवम्बर, १९६०) १०३ शिविर

(ख) विद्यार्थियों को और युवकों को ग्राम समुदाय से समार्क स्थापित करने और शारीरिक श्रम की महत्ता को समझने के लिये अवसर देने के अतिरिक्त शिविर ने उनको 'श्रमदान' का मौका दिया । शिविर में रहने वाले व्यक्तियों ने कई छोटे छोटे कार्य किये

†मूल अंग्रेजी में

जैसे उपागमन सड़कों की मरम्मत और निर्माण; खेल के मैदान को एक सार करना, कम्पोस्ट गढे, सूखे गढे, नालियां, पाखाने और पेड़ उगाने के लिये गढे खोदना ; ग्राम्य तालाबों की मरम्मत और खुदाई; कुओं की मरम्मत और खुदाई; ग्राम्य प्लेटफार्मों का निर्माण, स्कूलों की इमारतों और पंचायत-घरों की सफाई, सफेदी करना और मरम्मत करना। शिविर वासियों ने स्कूल की इमारतों और सामुदायिक घरों के निर्माण में अप्रवीण श्रमिकों का भी काम किया और कुछ गांवों में स्वच्छता आन्दोलन में भाग लिया। शिविरवासी बालिकाओं ने घरेलू सेवा की जैसे घरों की सफाई, बच्चों की सुरक्षा, कुओं को कीटाणुहीन, गांव की गलियों और नालियां की सफाई आदि।

दिल्ली में इंजीनियरिंग कालिज

†१८४०. **श्री बाल्मीकि :**
श्री वेंकटा सुब्बया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भूमि अर्जन कलेक्टर दिल्ली इंजीनियरिंग कालिज के विस्तार के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांकृतिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भूमि के अर्जन के मामले में कार्य-वाही कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) भ-स्वामियों कों क्या क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री) (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति देने तक सभी प्रावस्थाओं में लगे समय के बारे में कुछ भी कह सकना संभव नहीं है। क्षतिपूर्ति की रकम भूमि अर्जन कलेक्टर द्वारा कई बातों को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है, जिसमें कई आंकड़े संकलित करना शामिल है।

(ग) नकद भुगतान ।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†१८४१. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में ३० नवम्बर, १९६० को भूतपूर्व-सैनिकों की जिले-वार संख्या क्या है ;

(ख) १९५३ से पूर्व सेवा निवृत हुए और १९५३ के बाद सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों की क्या संख्या है ; और

(ग) नवम्बर, १९६० तक काम पर लगाये गये व्यक्तियों की क्या संख्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजाब राज्य में मई, १९५१ से सितम्बर, १९६० तक १५,९७४ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में नौकरी मिली। अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चांदामरी क्षेत्र में दुर्घटना

†१८४२. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ फरवरी, १९५७ को टांडा चांदमारी क्षेत्र में हुई दुर्घटना के मामलों में क्षति-पूर्ति की रकम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि कितनी है और क्या उसका भुगतान कर दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) मृतक के पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में ८१० रुपये दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश को नगरपालिका मेहतरों को सुविधाएं देने के लिये सहायता

†१८४३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश राज्य को नगरपालिका मेहतरों को सुविधायें देने के लिये क्या कोई सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

†**गृह कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये उपबन्ध में से कुछ भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में संरक्षित स्मारकों की मरम्मत

†१८४४. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० के लिये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, लखनऊ, फतेहपुर और आगरा जिलों में प्रत्येक संरक्षित स्मारक के संधारण और विशेष मरम्मत के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये वर्ष १९५८–५९ के लिये आवंटित धनराशि पूर्ण रूप से खर्च कर ली गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) यह जानकारी प्राप्त करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) जी, हां।

भारत और अमरीका के बीच विद्यार्थियों का आदान प्रदान

†१८४५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अमरीका के बीच विद्यार्थियों[1] की अदला बदली की योजना लागू होने के बाद से अमरीका को भेजे गये भारतीय विद्यार्थियों के क्या नाम हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Exchange of Scholars.

(ख) उनके क्या नाम हैं जो वापस आ गये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

उत्तर प्रदेश को कच्चे लोहे का आवंटन

†**१८४६. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में उत्तर प्रदेश को कुल कितने कच्चे लोहे का आवंटन किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में वास्तव में कितनी मात्रा का संभरण किया गया?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कच्चे लोहे का आवंटन जन, १९५९ तक पत्री वर्ष के अनुसार किया गया। १-७-१९५९ से आवंटन की कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई और उपभोक्ताओं को कोटा प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृति के बगैर इन्डेन्ट करने की आज्ञा दे दी गयी। जनवरी से जून, १९५९ तक की अवधि में २४,७१९ टन का आवंटन किया गया। जुलाई, १९५९ से मार्च, १९६० तक की अवधि में कुल २७,६१६ टन के इन्डेन्ट प्राप्त हुए।

(ख) लगभग ६०,००० टन।

उत्तर प्रदेश में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा

†**१८४७. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक उत्तर प्रदेश में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के लिये कोई धनराशि दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी गयी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं 'गूंगे तथा बहरे व्यक्तियों की संस्था, आगरा' और 'अंधे व्यक्तियों की संस्था, गोरखपुर' की कार्यान्विति के लिये १९५६-५८ में ३८,५०० रुपये दिये गये हैं। द्वितीय योजना के बाकी वर्षों के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान योजनाओं के चार शीर्षों, अर्थात प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और 'अन्य शैक्षणिक योजनाएं' के अधीन मंजूर की जाती है।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियां

†**१८४८. श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के भतपूर्व सैनिकों के लिये अब तक कितनी बस्तियां स्थापित की गयी हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय बस्तियों में कितने व्यक्ति रहते हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) उत्तर प्रदेश और पंजाब के भूतपूर्व सनिकों को बसाने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के सहयोग से अभी तक अफजल गढ़ और मनुनगर में दो बस्तियां स्थापित की गयी हैं।

(ख) १००६। इनमें ६२१ उत्तर प्रदेश के हैं और ३८५ पंजाब के।

उत्तर प्रदेश को कोयले का संभरण

†१८४९. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में उत्तर प्रदेश ने कितने कोयले की मांग की ;

(ख) किस सीमा तक यह मांग पूरी की गयी तथा वहां के ईंट बनाने के उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की गयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). स्वीकृत कोटा तथा १९५९–६० में भेजे गये माल डिब्बों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	कोटा	मालडिब्बे
घरेलू तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए . .	१५,०००	१०,५४३
ईंट पकाने के उद्योग के लिए . . .	३९,९००	३७,५२४
अन्य अयोगों के लिए . . .	३५,३९९	२३,२२५

ईंट पकाने के कोयले की तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तदर्थ स्वीकृतियां दी गयी थीं और प्राथमिकता के आधार पर माल डिब्बे भेजे गये थे।

उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१८५०. **श्री सरज पांडेय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भतत्वीय सवक्षण विभाग ने १९५९–६० के दौरान में उत्तर प्रदेश के किन इलाकों का सर्वेक्षण किया ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). बांदा, झांसी, उरई, चमोली, पिथौरगढ़, अलमोड़ा, टीहरी, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर,

---

†मूल अंग्रेजी में

आगरा, मथुरा, और मुरादाबाद जिलों के कुछ हिस्सों का सवक्षण १९५९–६० में किया गया । परिणाम नीचे संक्षेप से दिये जाते हैं :—

बांदा जिले की करवाई तहसील में लगभग ३८८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का मान चित्र १:६३३६० माप के आधार पर तैयार किया गया। इस से पता चला कि वहां पर, निर्माण सामग्री, सड़कों का सामान, रेलवे लाइनों पर डाली जाने वाली रोड़ी तथा चून का पत्थर का प्राचुर्य है ।

चमोली जिले में भी २०७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र का मान चित्र १:६३३६० के माप के आधार पर बनाया गया । वहां पुखानी के निकट मैगनेजाइट का पता चला है ।

मिर्जापुर जिले में भी १:३६०० माप के आधार पर ९५३१८ वर्ग मीटर का मान चित्र बनाया गया है ।

सिक्के और तांबे के लिए भी, अलमोड़ा जिले के आगर, बारवेसी, रैनागार, शीश-खानी बलालदेव क्षेत्रों तथा पिथौरा गढ़ और चमोली जिले में भी सविस्तार मान चित्र तैयार किये गये ; खुदाई तथा गढ़े खोदने का काम भी हुआ है । २७०० भू-रासायनिक नमूनों का विश्लेषण भी संग्रहीत किया गया है । इस काम के परिणाम से पता चला है कि इस क्षेत्र में खनिकल का अभाव है ; शीशखानी क्षेत्र अपवाद स्वरूप है । इन क्षेत्रों के निक्षेपों को आंकने के लिए काम चल रहा है ।

तांबे और सिक्के की खोज के साथ साथ, मैगनेजाइट तथा टाक के अनुसंधान का काम भी चलाया गया और देवल, थाल, रैन आगार तथा शीशखानी बलालदेव क्षेत्रों में इन के काफी निक्षेप का पता भी चला ।

झांसी जिले के ललितपुर सब डिवीजन में सोप-स्टोन का अनुसंधान किया गया । अस्थायी अनुमानानुसार वहां पर ७२.१२ मीट्रिक टन पत्थर मिलने की आशा है ।

नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में भमि के नीचे के पानी के अनुसंधान पर यह ज्ञात हुआ कि भमि से ६०.९६ तथा ७६.२ मीटर के बीच आर्टिजन कूपों की अवस्था विद्यमान है ।

देहरादून जिले में ३९५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भू-जलीय सांख्यकी एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया ।

मार्चूला में पुल के स्थान का परीक्षण किया गया और एक स्थान के बारे में सिफारिश भी कर दी गयी । रामगंगा, पूर्णगिरी, चलती, कलसी तथा रिहंद में बांध स्थलों का भी अनुसंधान हुआ ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर बन्ध-पत्रों की खरीद

१८५१. श्री खुशवक्त राय : क्या शिक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर बांडों (बन्ध-पत्रों) की खरीद के बारे में न्यायाधीश देसाई द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर रखने के लिये रिपोर्ट की प्रतियां अपेक्षित संख्या में संसद् कार्य विभाग के पास ९ दिसम्बर, १९६० को भेज दी गई हैं ।

नौ सेना प्रशिक्षण

†१८५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक कुल कितने भारतीयों को बाहर नौ सैना का प्रशिक्षण पाने को भेजा गया है ; और

(ख) उन्हें किन किन देशों में भेजा गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) इकत्तीस ।

(ख) इंग्लैंड ।

पंजाब में अल्प बचत योजना

†१८५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरदासपुर जिले में विशेषकर तथा पंजाब में सामान्यतया १९५९–६० के दौरान अल्प बचत योजना के अधीन कुल कितना रुपया इकट्ठा किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: आवश्यक जानकारी नीचे दी जाती है :—

१९५९–६० के दौरान स्थूल शुद्ध संग्रहण

(हजार रुपयों में)

गुरदासपुर जिला .	२८,७८
पंजाब राज्य . . .	७,५८,९१

सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केंद्र

†१८५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सरकारी बस्तियों में मनोरंजन बस्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी और कहां कहां उन्हें बनाया गया है ;

(ग) अब तक उन पर कितना रुपया खर्च हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). निम्न नौ बस्तियों में एक एक मनोरंजन गृह बनेगा जिन पर कुल व्यय २,६४,९०० रुपया होगा :—

१. चाणक्यपुरी

२. मोती बाग-१

३. लक्ष्मीबाई नगर

†मूल अंग्रेजी में

४. पंडारा रोड

५. भारती नगर

६. रावेंद्र नगर

७. कस्तूरबा नगर

८. लोधी बस्ती

९. मोती बाग-२.

चाणक्यपुरी का मनोरंजन गृह तैयार हो चुका है और शेष का निर्माण हो रहा है। श्रीनिवासपुरी के खंड संख्या ८०,८५ तथा ८५क, पंचकुंइयां रोड तथा राजा बाजार खंड संख्या ९० में भी एक एक मनोरंजन गृह बनाने का विचार है जिन पर अनुमानतः ४९,४४० रुपये का व्यय होगा।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में चीनी विद्यार्थी

†१८५५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में कितने चीनी विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** दस ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†१८५६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के आधार पर कितने भारतीय विद्यार्थी विदेशों में वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं ;

(ख) किन-किन देशों नें भारतीय विद्यार्थियों को ऐसी सुविधायें दी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मों० दास) :** ऐसे भारतीय विद्यार्थियों की संख्या जो यहां पर अध्ययन पूरा कर के बाहर चले गये और छात्रवृत्तियां पाकर वैज्ञानिक गवेषणा कर रहे हैं, ५५ है ।

(ख) पूर्वी जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमरीका तथा पश्चिमी जर्मनी।

नई दिल्ली में तिब्बतियों के लिए विश्रामगृह

†१८५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी दिल्ली में बेला रोड़ पर तिब्बतियों के लिए दो मंज़िला विश्राम गृह बनाने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** प्रगति का विवरण नीचे दिया जाता है :—

(१) १६ रहने के कमरों, (जिन में से ८ नीचे और ८ पहली मंजिल पर होंगे) पुस्तकालय, वाचनालय, शौचालयों तथा रसोई घर के निर्माण का ७५ पर सेंट काम पूरा हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सभा मंडप की देहलीज तथा बुनियादों, २० रहने के कमरों (जिन में १० ऊपर और १० नीचे की मंजिल में हैं) दो हाल कमरों तथा रसोई और शौचालयों के निर्माण का ८० पर सेंट काम पूरा हो चुका है ।

(३) भाग (२) में वर्णित भवन का ऊपरी ढांचा बनाने के लिए टेंडर मंगाये गये हैं। इनकी जांच हो रही है ।

(४) स्वास्थ्य संबंधी प्रतिष्ठानों का काम भी शुरू है ।

दिल्ली में लड़के और लड़कियों का अपहरण

†१८५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ६ मास में दिल्ली में कितने लड़कों तथा लड़कियों का अपहरण हुआ है ; और

(ख) इस चीज की रोक थाम के लिए क्या किया गया या करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जून से नवम्बर, १९६० तक लड़के तथा ६५ लड़कियां का अपहरण किया गया । उन में से ९ लड़कों तथा ५६ लड़कियों को प्राप्त कर लिया गया है ।

(ख) पुलिस चौकसी रखती है और अपहरण के मामलों के तुरन्त अनुसन्धान के लिये दिल्ली में एक विशेष दस्ता बनाया गया है ।

छावनी अधिनियम में संशोधन

१८५९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) संशोधन करने वाला विधेयक संसद् के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५ से २४३ अनुभागों से सम्बन्धित संशोधनों का निरीक्षण सम्पूर्ण हो चुका है ।

(ख) इस समय यह बतलाना संभव नहीं है कि विधेयक संसद् में कब प्रस्तुत किया जायेगा ।

कोलम्बो योजना के अधीन सहायता

†१८६०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या वित्त मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय हुआ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर कितना व्यय हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

कानपुर के कारखानादारों से कर

†१८६१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों से आयकर, धनकर तथा दानकर की बकाया रकम वसूल कर ली गयी है ;

(ख) यदि नहीं तो १ अक्तूबर, १९६० को कितनी रकम शेष थी ; और

(ग) १ अक्तूबर, १९६० तक कितनी रकम वसूल हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कानपुर के कारखानादारों से अभी सारी बकाया रकम वसूल नहीं की गयी है ।

(ख) १ अक्तूबर, १९६० को ३·१३ लाख रुपये का बकाया था ; और

(ग) बकाया राशि में से १·६७ लाख रुपये की कमी हो गयी है।

पाकिस्तान को भेजा गया धन

१८६२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासिम अली एंड कम्पनी, बन्दर स्ट्रीट, मद्रास के मालिक कासिम अली द्वारा पाकिस्तान को भेजे गये धन की जांच का कार्य पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो भेजे गये कितने धन का अब तक पता लगा है ; और

(ग) क्या इस धन को पाकिस्तान भेजने में किसी भारतीय अधिकारी अथवा कम्पनी का भी हाथ है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । जांच का काम अभी जारी है ।

(ख) और (ग). अब तक की जांच से पैसे भेजने के बारे में कोई पक्की बात नहीं मालूम हो सकी है ।

महापुरुषों सम्बन्धी फिल्में

†*१८६३. **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यूनेस्को को, महापुरुषों, महान शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा सांस्कृतज्ञों सम्बन्धी फिल्मों के बारे में सूचना भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने चित्रों का संभरण किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राउरकेला में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रेजीडेंट डायरेक्टर

†१८६४. { श्री मुरारका :
श्री अमजद अली :
श्री पुन्नूस :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात कारखाने के रेजीडेंट निदेशक ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस कारण से ; और

(ग) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). राउरकेला के रेजीडेंट निदेशक हिन्दुस्तान लिमिटेड की सेवा कुछ व्यक्तिगत कारणों से छोड़ना चाहते थे और उन्होंने नौकरी के करार की शर्तों के अधीन आवश्यक पूर्व सूचना दी । सरकार ने उनको त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ।

आदिवासियों को रोजगार

†१८६५. श्री प्र० गं० देव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया था कि छोटा नागपुर के दो निगमों अर्थात्, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील में ५०० रुपये से कम की नौकरियों में उन आदिवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनकी जमीनें परियोजना में आ गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने पदों पर आदिवासियों को लगाया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) दोनों निगमों के लिये अर्जित की गयी भूमि से विस्थापित व्यक्तियों को जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं) नौकरियों में यथासंभव प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में अखबार के प्रतिनिधि को धमकी

†१८६६. { श्री बें० च० मलिक :
श्री पुन्नूस :
श्री साधन गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री लै० अचौ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ सितम्बर, १९६० को एक अखबारी प्रतिनिधि को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धमकी दी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि जब उस समय ड्यूटी पर खड़े पुलिस वाले को सहायता के लिये कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया ;

(ग) अदालतों में ही ऐसी चीजों को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है और लोगों की हिफाजत के लिये क्या किया जा रहा है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : यह पता चला है कि २८ सितम्बर, १९६० को किसी ने अतिरिक्त न्यायाधीश की अदालत में अखबारी प्रतिनिधि को घूर कर देखा जब कि रिपोर्टर नोट ले रहा था ।

(ख) नहीं ।

(ग) पुलिस चौकसी रख रही है और सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात की गयी है ताकि अदालतों में पूरी व्यवस्था रखी जाये ।

नन्दाघुटी पर्वत को अभियान

†१८६७. श्री प्र० गं० देव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नंदाघुंटी पर्वत के लिये कोई अभियान गया था ;

(ख) अभियान में कौन कौन लोग थे ;

(ग) अभियान का परिणाम क्या निकला है ;

(घ) क्या उनके द्वारा प्रयुक्त पर्वतारोहन सज्जा भारत की ही बनी थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो आयात चीजें कौनसी थीं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) यह पता चला है कि आनन्द बाजार पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता ने इस वर्ष नन्दाघुंटी के लिये एक अभियान का गठन किया था ।

(ख) अभियान के नेता एक अध्यापक श्री सुकुमार रे थे और वैसे उसमें १६ सदस्य थे । उनमें सात सदस्य नियमित थे, सात शेरपा लोग थे और दो पत्र प्रतिनिधि थे (जिनमें से एक अमृत बाजार पत्रिका के रिपोर्टर तथा दूसरे फोटोग्राफर थे) ।

(ग) परिपोषकों का कहना है कि श्री सुकुमार रे तथा दिलीप बनर्जी चार शेरपाओं के साथ २२ अक्तूबर, १९६० को चोटी पर (२०,७०० फीट) चढ़ गये ।

(घ) से (ङ). परिपोषकों ने बताया है कि सामान ज्यादातर बारह से मंगाया गया था और कुछ एक बार और कुछ दो बार प्रयुक्त था । किन्तु कुछ छोटा मोटा सामान यहां भी बना था ।

फ्लाइंग साइकिल

†१८६८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री आर० ए० पाराशर ने फ्लाइंग साइकिल के विकास के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के पास उपयुक्त योजना समर्पित कर दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : नहीं श्रीमान् ।

दिल्ली के स्कूलों के बारे में कृपालानी समिति

१८७०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के सरकारी सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के बारे में कृपालानी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप शिक्षकों और स्कूलों की स्थिति में क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) ये सिफारिशें कब से लागू की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). सरकारी सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के लिये जांच समिति (जो श्रीमती सुचेता कृपालानी की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी) की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों में से कुछ पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का विवरण ७ अप्रैल, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या २७०८ के उत्तर में लोक-सभा पटल पर रख दिया गया था। समिति की वित्तीय संबंधित बाकी सिफारिशों पर किये गये सरकारी निर्णयों का एक और विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]। शिक्षकों और स्कूलों की स्थिति में किये गये परिवर्तनों का उल्लेख उपरोक्त विवरणों में दिया हुआ है। पहिले विवरण में दिये गये निर्णय २ अप्रैल, १९५९ से लागू किये गये। दूसरे विवरण में दिये गये निर्णयों को लागू करने की तारीख विवरण के तीसरे स्तम्भ (कालम) में दी हुई है।

कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम

†१८७१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति, पत्नी को एक स्थान पर नियुक्त करने के बारे में कुछ नियम हैं ; और

(ख) क्या ऐसे मामलों में विशेष विचार किया जाता है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) सक्षम अधिकारी हर मामले पर उसके गुणदोषों के आधार पर विचार करते हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा जाता है ।

दुर्गापुर में प्रतीक्षा कर्मचारियों का नियोजन

†१८७२. श्री सुबिमन घोष : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के ठेकेदारों द्वारा छंटनी में निकाले जाने वाले कर्मचारियों को प्रतिरक्षा विभाग में स्थान देने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो लगभग कितने कर्मचारियों को लगाया जायेगा ; और

(ग) यदि आवश्यक हो तो कब विभाग इस संबंध में नियम ढीले करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रतिरक्षा कारखानें

†१८७३. श्री प्रकाश नारायण जावरा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा कारखानों में काफी काम नहीं है और उन्हे एक ही पाली तक चलाया जाता है ;

(ख) क्या उत्तरी सीमा पर लगे लोगों ने काफी सामान की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस मांग की पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) युद्धास्त्र कारखानों से सामान्यतया सेनाओं की जरूरतें पूरी की जाती हैं चाहे वे शांति कालीन हों या युद्ध कालीन । सामान्य समय में युद्धास्त्र निर्माण का जोर स्वाभाविक रूप से कम होगा । किन्तु इन कारखानों में सामान्य प्रयोजनीय संयंत्र भी होते हैं । इन्हें ज्यादा दूसरे काम में लगाया जाता है । कई कारखानों में अनेक पालियां चलती हैं ।

(ख) और (ग). उत्तरी सीमांत के सैनिकों की आवश्यकताओं को इन कारखानों के उत्पादन से यथासंभव पूरा किया जा रहा है । यह बताना लोकहित में न होगा कि उन्हें कितने सामान की जरूरत है या उसकी पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ।

विश्वविद्यालय

†१८७४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० के दौरान किस किस विश्वविद्यालय ने अपना पूरा अनुदान प्रयोग किया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ऋण पर दिया गया ब्याज

†१८७५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० के दौरान ऋणों पर कितना ब्याज विदेशी मुद्रा के रूप में दिया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १९५९–६० में विदेशी ऋणों पर विदेशी मुद्रा में लगभग १३.०३ करोड़ रुपये के व्याज का भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में विदेशी मुद्रा में सरकारी क्षेत्र के अ-सरकारी संगठनों तथा प्राइवेट सेक्टर के अभिकरणों ने विदेशी ऋणों के बदले ४.२१ करोड़ रुपये की अदायगी की ।

भूमि संबंधी विवाद

†१८७६. श्री अरविन्द घोषाल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच, खान क्षेत्रों में भूमियों के स्वामित्व के मामले में कोई विवाद है ; और

---

†मूल अंग्रेजी

(ख) यदि हां, तो विवाद का क्या मामला है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). कोयला वाले क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों को, रानीगंज कोयला क्षेत्र में न खोदे गये क्षेत्रों के विकास के लिये लागू करने के बारे में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है। पत्र-व्यवहार का ब्यौरा बताना लोक-हित में नहीं है।

तथापि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विरुद्ध, आसनसोल के मुनसिफ के न्यायालय में, रानीगंज कोयला क्षेत्र में अधिनियम के अन्तर्गत घोषित कतिपय क्षेत्रों में निगम के प्रवेश के अधिकार के विरुद्ध एक दावा दर्ज किया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्ष

†१८७७. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बनारस, अलीगढ़ और विश्वभारती केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्षों के पद को समाप्त करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मामला अभी विचाराधीन है।

विद्यार्थियों के लिये नमूने के प्रश्न

†१८७८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक नये प्रकार के नमूने के प्रश्न जारी करने का मामला किस स्थिति में है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों में रटने की आदत को हटाया जायेगा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, अर्थ शास्त्र, भौतिकी और रसायन शास्त्र के नमूने के प्रश्न पत्र अन्तिम रूप में तैयार हो चुके हैं और हायर सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हायर सैकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को दिये गये हैं ताकि वे संबद्ध विषयों के अध्यापकों को उनकी सूचना दें और यदि इनके कुछ सुझाव हों तो उन्हें बोर्ड को भेजने को कहें।

केरल सरकार को खेलों के मैदानों के लिये सहायता

†१८७९. श्री वारियर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खेल के मैदानों और खेल के सामान लेने के लिये केरल राज्य सरकार से सहायता के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षण संस्थाओं द्वारा खेल के मैदान लेने और खेल के सामान खरीदने के लिये निम्न अनुदान मंजूर किये गये थे :—

१९५९–६०

	रुपये
खेल के मैदान लेने के लिये . . .	५६,०००
खेल के सामान खरीदने के लिये	६,०००

†मूल अंग्रेजी में

१९६०-६१

	रुपये
खेल के मैदान लेने के लिये	१,०६,०००
खेल के सामान खरीदने के लिये	६,०००

आंध्र प्रदेश के महालेखापाल का दफ्तर

†१८८०. श्री रामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के महालेखापाल का कुछ दफ्तर अभी भी मद्रास नगर में है ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को दफ्तर ले जाने का क्या कारण है ;

(ग) मद्रास से हैदराबाद में दफ्तर बदलने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) क्या यह सच नहीं है कि बिलों आदि के पास होने और दूसरे काम के निपटाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। क्योंकि दफ्तर आंध्र प्रदेश राज्य से बाहर है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) हैदराबाद में उपयुक्त और पर्याप्त दफ्तर तथा आवास स्थान न मिलने के कारण पूरे ब्रांच दफ्तर को मद्रास से हैदराबाद ले जाना संभव नहीं हुआ है।

(ग) पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय, राज्य सरकार और गैर-सरकारी संसाधनों की मार्फत अपेक्षित दफ्तर और आवास स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु उपयुक्त और पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो सका। अभी हाल ही में यह फैसला किया गया है कि पहले कदम के रूप में, मद्रास से हैदराबाद में ब्रांच दफ्तर का एक छोटा सा हिस्सा तथा उन १०० कर्मचारियों को लाया जाये जिन्होंने हैदराबाद जाना स्वीकार किया है। हैदराबाद में महालेखापाल के दफ्तर की वर्तमान इमारत के साथ एक दफ्तर की इमारत बनाने का भी विचार है।

(घ) भुगतान के लिये बिल पास करना मद्रास शाखा दफ्तर का काम नहीं है। इसलिये उन बिलों के भुगतान में विलम्ब का प्रश्न उत्पन्ननहीं होता। दूसरे काम में विलम्ब की कोई किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

पाकिस्तानी स्त्री-तस्कर व्यापारी

†१८८१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९६० से अब तक कितनी पाकिस्तानी स्त्री-तस्कर व्यापारी पकड़ी या गिरफ्तार की गई हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जनवरी-अक्तूबर, १९६० की अवधि में भारत में ३४ पाकिस्तानी स्त्री-तस्कर व्यापारी पकड़ी या गिरफ्तार की गई थीं।

विदेशी मुद्रा प्राप्त करना

१८८२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ के किसी धनी नवाब परिवार को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये पेरिस में कुछ मूल्यवान आभूषण बेचने की अनुमति दी गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसकी आड़ में कुछ ऐतिहासिक आभूषण, जिनमें नूरजहां का प्रसिद्ध नौलखा हार भी था, बेच दिये गये थे ;

(ग) क्या इस नौलखा हार को बेचने के लिये सरकार से विशेष अनुमति ली गई थी ; और

(घ) नौलखा हार किस कीमत पर बेचा गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के एक महाराजकुमार को प्राचीन वस्तु निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ [एण्टिक्विटीज (एक्सपोर्ट कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७] और विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, १९४७ (फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन ऐक्ट, १९४७) के अनुसार, अपने एजेण्ट की मारफत (१) हीरे-पन्ने का एक हार और (२) हीरा-पन्ना जड़ी एक जोड़ी बालियां विदेश भेजने और उन्हें वहां बेचन का परमिट दिया गया है। प्राचीन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ के अनुसार परिमिट तभी दिया गया जब सरकार ने इस बात की तसल्ली कर ली कि प्राचीनता या ऐतिहासिकता की दृष्टि से इन गहनों का बहुत महत्व नहीं है। इस बात की भी मजबूती कर ली गयी है कि अगर ये गहने विदेश में बिक जायें तो उनकी बिक्री से मिली सारी विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (फारेन एक्सचेंज रेगलेशन ऐक्ट) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले कर दी जायेगी ।

(घ) जहां तक सरकार को मालूम है, यह एजेण्ट अभी भारत वापस नहीं आया।

दिल्ली में कृत्रिम नभोमंडल (प्लेनेटेरियम)

†१८८३. **{श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा**

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में उस भवन के निर्माण के सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है, जहां कृत्रिम नभोमंडल (प्लेनेटेरियम) जनता द्वारा देखे जाने के लिये स्थापित किया जायेगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : कृत्रिम नभोमंडल (प्लेनेटेरियम) के लिये इमारत बनाने और बिजली लगाने के काम पूरे हो चुके हैं।

अनुड़नशील वनस्पति तेलों पर उत्पादन-शुल्क

†१८८४. **{श्री अगाडी :
श्री वोडयार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६० से आज तक मैसूर राज्य में अनुड़नशील वनस्पति तेलों से जिलावार कितना उत्पादन-शुल्क प्रति मास प्राप्त हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि कोल्हुओं पर 'कम्पाउन्डेड लेवी स्कीम' के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क लगाने से राजस्व में बहुत कमी हो गई है और स्टैंडर्ड कोल्हुओं वाली फैक्टरियों को बन्द होना पड़ा है क्योंकि स्टैंडर्ड कोल्हुओं पर 'कम्पाउन्डेड लेवी' का कुप्रभाव पड़ा है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]।

(ख) सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व में कमी केवल ३% के लगभग हुई है। इस कमी का कारण है कि बीजों की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई है ।

मैसूर राज्य में 'कम्पान्उन्डेड लेवी स्कीम' के कुप्रभाव के कारण किसी स्टैंडर्ड कोल्हू के बन्द होने की सूचना नहीं मिली है । हां, कुछ इकाइयां मूंगफली न मिलने के कारण अस्थायी तौर पर बन्द हुई हैं ।

यूनाइटेड प्राविसेज कमर्शियल कारपोरेशन, कलकत्ता

†१८८५. { श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १ अक्तूबर, १९६० के 'ब्लिट्ज' में यूनाइटेड प्राविसेज कमर्शियल कारपोरेशन, कलकत्ता के विरुद्ध आरोप पढ़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की क्या स्थिति है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) फर्म को ५ कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं और मामले कलकत्ता सीमा शुल्क अधिकारियों के न्यायनिर्णयाधीन हैं ।

असम के लिये पुलिस रेजीमेंट

†१८८६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, १९६० के पश्चात् असम को कोई पुलिस रेजीमेंट भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियां और कब ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री पन्त): (क) और (ख). विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने में उनकी सहायता करने के लिये भारत सरकार ने, असम राज्य सरकार की प्रार्थना पर केन्द्रीय रक्षित पुलिस की चार कम्पनियां सितम्बर, १९६० में असम को भेजी थीं और अक्तूबर, १९६० में आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस की एक बटालियन, जिसमें छः कम्पनियां हैं, भेजने की भी व्यवस्था की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ललित कला तथा शिल्प विद्यालय

†१८८७. **श्री कालिका सिंह :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ललित कला और शिल्प के कितने कालेज हैं, वे कहां और उनकी स्थिति तथा क्षमता कितनी है ?

(ख) यदि सरकार ने और ऐसे कालेज खोलने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं तो क्या ;

(ग) क्या गैर-सरकारी ट्रस्ट (न्यास) और एन्डाउमेंट (धर्मस्व) भी कला और शिल्प संस्थायें चला रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हें सरकार से कितनी सहायता मिलती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस विषय का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है।

(ख) यह भी राज्य सरकारों का विषय है ।

(ग) भारत सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि कितने गैर-सरकारी ट्रस्ट (न्यास) और एन्डाउमेंट (धर्मस्व) कला और शिल्प की संस्थायें चला रहे हैं ।

(घ) जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज

†१८८८. **श्री कोडियान :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि तीसरी योजना अवधि में केरल में एक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या रुख है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

हिन्दी में विज्ञप्तियों का प्रकाशन

१८८९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी आदि की विज्ञप्तियां गजट आफ इंडिया में हिन्दी में प्रकाशित करने के बारे में कभी विचार किया है ;

(ख) ऐसी विज्ञप्तियां गजट में हिन्दी में प्रकाशित करने में कौन सी कठिनाइयां हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनके निराकरण के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (ग). अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के लिये कार्यक्रम बनाने के सिलसिले में इस पर विचार किया जा रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें

१८९०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गत दो वर्षों में ली गई कितनी परीक्षाओं के लिये हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम मान लिया गया है ;

(ख) शेष परीक्षाओं के लिये यह व्यवस्था संभवतः कब तक हो जायेगी ; और

(ग) क्या हिन्दी के माध्यम से कुछ व्यक्तियों ने परीक्षायें दी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेश के परिच्छेद ९ के अनुसार अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं की भरती की परीक्षाओं में हिन्दी को कुछ समय पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श द्वारा विचार किया जा रहा है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिये हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम स्वीकार करने के विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूल

†१८९१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपों में इस समय कुल कितने प्राथमिक, बुनियादी, मिडल और हाई स्कूल हैं ; और

(ख) उनमें कितने विद्यार्थी और कर्मचारी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख).

	कुल संख्या	विद्यार्थी	कर्मचारी
प्राथमिक स्कूल (कनिष्ठ बुनियादी स्कूलों समेत)	७५	४,७०६	१३१
मिडल स्कूल	२	१९४	८
हाई स्कूल	..	..	..
हायर सैकन्डरी स्कूल	३	६५५	४६

इनामी बांडों की बिक्री

†१८९२. **श्री जंगामणि** : क्या वित्त मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनामी बांडों की बिक्री तब से बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम के बांड बेचे जा चुके हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले अवसर पर बेचे गये ९ करोड़ की तुलना में ये कितने हैं ; और

(घ) किन २ राज्यों में ये अधिक बिके हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९६० तक १०.६२ करोड़ रुपये की राशि के इनामी बांड बेचे गये हैं जबकि १५ जुलाई, १९६० तक ९.१७ करोड़ के बेचे गये थे।

(घ) राज्यवार बिक्री के आंकड़ों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]।

सिक्किम लाटरी

†१८९३. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने देश में सिक्किम लाटरी की अनुमति दी है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने इस बीच सिक्किम लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ग) क्या सरकार को किसी राज्य में इस समय इस लाटरी के विरुद्ध लोकमत का पता है ;

(घ) यदि हां, तो किस राज्य में ; और

(ङ) १९५९–६० में देश में इस लाटरी के कुल कितने टिकट बेचे गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) एच० आर० चेरिटीज़ फंड सिक्किम लाटरी पश्चिम बंगाल, मैसूर (कुछ जिलों को छोड़कर) और भूतपूर्व बंबई राज्य की सरकारों ने इसकी अनुमति दी थी।

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने भूतपूर्व बंबई सरकार द्वारा दी गई अनुमति वापिस ले ली है।

(ग) और (घ). बताया गया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में लाटरी की अनुमति वापिस लिये जाने से पूर्व कुछ विरोध था ।

(ङ) यह सूचना भारत सरकार के पास नहीं है ।

विश्व बैंक की ब्याज की दर में कमी

†१८९४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने एक टिप्पण में यह विचार व्यक्त किया है कि विश्व बैंक अपने ऋणों पर जो ब्याज दर और कमीशन लेता है उस में कमी की गुंजाइश है ।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई टिप्पण नहीं आया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का उत्पादन

†१८९५. **श्री कु० उ० परमार :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम आकार के संयंत्रों के द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ;

(ख) क्या गुजरात में ऐसे छोटे संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात बनाने के लिये गये यूनिट लगाने की अनुमति देना नहीं चाहती, परन्तु अभी हाल में फैसला किया गया है कि प्रति वर्ष १,००,००० टन अधिकतम क्षमता तक कच्चा लोहा बनाने के लिये संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(ख) गुजरात में कच्चा लोहा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव अभी तक किसी की ओर से सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना

†१८९६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना के लिये १९६०–६१ में अब तक पंजाब सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) उक्त अवधि में पंजाब सरकार ने कितनी राशि की मांग की थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) और (ख). पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना के लिये १९६०–६१ में ४·४० लाख रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था, और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था।

इस्पात की खरीद

१८९७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९६० तक टेंडरों द्वारा खरीदे गये इस्पात के संबंन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेंडर का नम्बर, इस्पात का ब्यौरा तथा उसकी मात्रा;

(ख) जिन पार्टियों से कोटेशन (भाव) प्राप्त हुये थे उन के नाम तथा उन में से प्रत्येक द्वारा दिया गया भाव;

(ग) किन पार्टियों को टेंडर दिये गये और किस दर पर;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) किस डिलीवरी के लिये टेंडर स्वीकार किया गया था,

(ङ) जहाज से माल ले जाने के पूर्व/पश्चात दर में कितना परिवर्तन किया गया और डिलीवरी को कितना स्थगित किया गया, और

(च) जहाज से माल ले जाने से पूर्व / पश्चात् जो परिवर्तन-कर न दिये गये उनका पूरा-पूरा ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (च). १९५५ से १९६० के पंचवर्षीय काल में लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा इस्पात के खरीदने के लिए सैकड़ों टेंडर जारी किये गये हैं। मुझे भय है कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा सह-संपर्क स्थापित करने में जितना समय तथा परिश्रम लगेगा और इस के अनुरूप प्राप्त परिणाम / उपयोगिता द्वारा इतना लाभ न हो सकेगा ।

तिब्बत में भारतीय साहित्य

१८९८. श्री पद्म देव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि तिब्बत के विभिन्न पुस्तकालयों में भारतीय साहित्य की अमूल्य कृतियां तिब्बती लिपि में पड़ी हुई हैं ।

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि कुछ साहित्य भारत में भी बौद्ध पुस्तकालयों में पड़ा हुआ है,

(ग) क्या इस साहित्य के अनुसंधान और उसकी रक्षा के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). लामाओं के लिये दस फैलोशिपें (अधि-छात्रवृत्तियां) रखी गई हैं। ये फैलो अनुसंधान और अध्ययन कार्य के लिये विभिन्न केन्द्रों में रखे जायेंगे ।

मध्य प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

†**१८९९. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में तेल का पता लगाने के लिये मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या अब तक कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि, हां, तो प्रगति का अध्ययन ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश में तेल के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं भारत में ईसाइयों के विवाह तथा विवाह-विच्छेद सम्बन्धी कानून के बारे में विधि आयोग के पन्द्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—२५४०/६०]

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधिन जारी की गई अधिसूचनायें

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६७ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति ।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१५ ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४१६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—२५३८/६०, २५४१/६०]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३—ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४२७ ।

(दो) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४२८ ।

(तीन) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४२९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५४२/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मैं लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४०६ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५३९/६०]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक के बारे में जिसे लोक-सभा ने ७ दिसम्बर, १९६० को पारित किया था राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं और सभा पटल पर उन सदस्यों के नामों की सूची भी रखता हूं जो ग्यारहवें सत्र में सभा की बैठकों से लगातार १५ दिन या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहे।

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरुबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन के बारे में याचिका

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं भारत और पाकिस्तान के बीच बेरुबाड़ी यूनियन संख्या १२ के प्रस्तावित विभाजन के संबंध में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

> "मनीपुर राइफल्स के अगले दस्ते और नागा विद्रोहियों के बीच ९ दिसम्बर, १९६० को हुई मुठभेड़ में उक्त दस्ते के दो सिपाहियों की कथित मृत्यु और एक सिपाही को आई चोट।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): कांगचुप तामेंगलोंग राज्य राजपथ के २६ वें मील के आसपास मनीपुर राइफ़ल्स के पशु परिवहन दस्ते के अग्रिम गार्ड पर ९ दिसम्बर, १९६० के प्रातः लगभग ८० नागा विद्रोहियों ने गोली चलाई। विद्रोही रास्ते को तीन ओर से घेर कर मौके की जगह खड़े थे। मुख्य मार्गरक्षक दस्ते ने शीघ्रता से अग्रिम गार्ड के पास पहुंचकर गोली का प्रत्युत्तर दिया। मुठभेड़ लगभग पांच घंटे तक होती रही जिसमें दो राइफलमैन मारे गये तथा एक घायल हो गया। विद्रोहियों के हताहत हुये लोगों की संख्या ज्ञात नहीं है। पूरा सरकारी माल और पशुओं को बचा लिया गया तथा केवल एक बैंबबैल्ट और एक संगीन खोई गई। वहां पर और मदद भेजी गई है और विद्रोहियों के विरुद्ध और कार्यवाही की जा रही है। १० दिसम्बर की प्रातः मनीपुर राइफ़ल्स के सिपाहियों ने उस क्षेत्र में छानबीन की और कुछ गिरफ्तारियां कीं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार द्वारा नागालैंड का नया राज्य बनाने की घोषणा के बाद मनीपुर में नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियां बढ़ गई हैं। नागा जनता ने इस घोषणा का स्वागत किया है परन्तु विद्रोही चाहते हैं कि नागा पीपुल्स कन्वेंशन के साथ हुये समझौते के कार्यान्वित होने में विलम्ब हो जिससे वह अपने खत्म होते हुये प्रभाव को बनाये रख सकें। इसलिये जो लोग दिल्ली समझौते को क्रियान्वित करने में सहयोग दे रहे हैं उन्हें विद्रोहियों ने डराने धमकाने के प्रयत्न किये हैं। इस प्रकार के दुष्कृत्यों में अभी तक विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली है। अन्तरिम संस्था के चुनाव शीघ्रता से हो रहे हैं और लगभग पूरे हो गये हैं। ४५ में से ३७ सीटें भर चुकी हैं तथा अंगामी और चाकेसांग, दो आदिम जातियों में चुनाव बाकी हैं।

विद्रोहियों के कार्यकलापों के कारण उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिये मनीपुर प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाये हैं। ७ अक्तूबर १९६० से उखरूल सब-डिवीजन को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है जिससे सुरक्षात्मक सेना, जिसकी संख्या बढ़ा दी गई है, अपनी कार्यवाही सुविधा से कर सके।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि मनीपुर एरिया में होस्टाइल्स की क्या ताकत है, कितने लोग हैं जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं ? और इस बात को देखते हुये और गृह-मंत्री की इस स्वीकारोक्ति के बाद कि नागालैंड की घोषणा के बाद यहां पर यह कार्रवाइयां बढ़ गयी हैं, क्या सरकार मनीपुर में प्रतिनिधि सरकार बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और उस पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि इन दो बातों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक तो है नहीं। जहां तक होस्टाइल नागाज का सवाल है, उनकी ज्यादतियों को रोकने के लिये कार्रवाई की जा रही है। जहां तक रेसपांसिबिल गवर्नमेंट या प्रेजेंट सैट अप में कोई बदलाव करने की बात है वह अलग है। मगर उस पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि वहां क्या क्या बदलाव हो सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : उनकी ताकत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वे बहुत से लोग हैं जो इधर उधर घूमते फिरते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि मनीपुर क्षेत्र में कितने विद्रोही हैं।

श्री गो० ब० पन्त : मनीपुर एरिया की कोई मर्दुमशुमारी तो हुई नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : माननीय मंत्री ने बताया कि मनीपुर क्षेत्र के उखरूल सब-डिवीजन को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि तामेंगलोंग सब-डिवीजन का प्रशासन का कार्य सामान्यतः चल रहा है अथवा नहीं और नागालैंड बनाने की घोषणा के कारण जो इन दोनों सब-डिवीजनों में गड़बड़ हुई है उसको दूर करके सुप्रशासन स्थापित करने के बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि तामेंगलोंग सब-डिवीजन भी बीच बीच में अशांत क्षेत्र रहा है। परन्तु उखरूल सब-डिवीजन को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। तामेंगलोंग को अशांत क्षेत्र तो घोषित नहीं किया गया है परन्तु दोनों क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : वक्तव्य में बताया गया है कि कुछ नागाओं को गिरफ्तार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये गिरफ्तार किये गये नागा विद्रोही, नागा पहाड़ियां तुएनसांग क्षेत्र के हैं अथवा मनीपुर पहाड़ी जिलों के हैं। जिससे यह पता लगा सके कि नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियां मनीपुर के पहाड़ी डिवीजनों में फैल गई है अथवा नहीं। और यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो शिष्टमंडल हमारे प्रधान मंत्री से मिलने आया था क्या उसकी यह राय है कि मनीपुर में उत्तरदायी सरकार बन जाने पर वहां के पहाड़ी और आदिम जाति लोग उसमें सहयोग देंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मनीपुर के कुछ नागा वहां पर स्थापित किये जाने वाले किसी भी प्रकार के उत्तरदायी प्रशासन में शामिल होना नहीं चाहते हैं और विपक्षी नागाओं के समर्थक हैं। उनका कहना है कि सभी नागाओं को मिल कर एक नागालैंड बनाना चाहिये।

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब १४ दिसम्बर, १९६० को श्री आबिद अली द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा होगी :—

> "कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके काम की दशा को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री ब्रजराज सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त समिति ने जिस शक्ल में इस बिल को अपनी रिपोर्ट के बाद भेजा है, उसकी अधिकांश व्यवस्थाओं का मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने इतने परिवर्तन इस बिल में किये हैं जितने परिवर्तन संभवतः अन्य किसी बिल में नहीं किये होंगे और यह खुशी की बात है कि सरकार का दृष्टिकोण भी संयुक्त समिति के सामने यह रहा कि उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोकि उठाये गये, उन्होंने उनको मंजूर किया। लेकिन मुझे दुःख है कि कम से कम एक व्यवस्था के संबंध में सरकार ने न तो संयुक्त समिति में विचार किया और न संभवतः यहां विचार करना चाहती है। वह व्यवस्था अपवादों के संबंध में है। इस बिल की व्यवस्थाओं को कहीं कोई प्रांतीय सरकार चाहे तो वह अपने क्षेत्र में कुछ अंडरटेकिंग्स् पर से उसका पालन करना माफ कर सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि प्रांतीय सरकारें जोकि अधिक से अधिक अपनी अंडरटेकिंग्स कायम करती हुई चली जा रही हैं, वे अपनी

---

†मूल अंग्रेजी में

अंडरटेकिंग्स पर इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं को लागू न करें। उनके अन्दर जो कार्यकर्त्ता या कर्मचारी काम कर रहे होंगे उन कर्मचारियों पर इस ऐक्ट की धारायें लागू नहीं होंगी। उदाहरण के लिये संयुक्त समिति के सामने जो गवाही दी गई और जोकि अब सदन के सामने रख दी गई है, यदि उसका अध्ययन किया जाय तो यह पता लगेगा कि विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स चल रही हैं, उनका विचार यह था कि यह ऐक्ट या तो बिलकुल उन पर लागू नहीं होना चाहिये, राज्य अंडरटेकिंग्स पर लागू नहीं होना चाहिये और अगर उन पर लागू किया जाता है तो फिर इस तरह की कोई मोटर वैहकिल न हो जहां कि १, २ आदमी काम करते हों और उन पर यह लागू न हो। इसके माने यह हुये कि वह ऐसा समझते हैं कि जब इस ऐक्ट की व्यवस्थाएं राज्य अंडरटेकिंग्स पर लागू की जायेंगी तो संभवतः उससे उनको नुकसान होगा। साफ इससे यह प्रतीत होता है कि उसकी व्यवस्थाओं को वह अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते हैं। यदि यह अधिकार हम राज्य सरकारों को दे देते हैं कि वे इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं को जिन अंडरटेकिंग्स पर वे लागू न करना चाहें, लागू न करें, तो उसका नतीजा यह होगा कि संभवतः वह अपनी जो अंडरटेकिंग्स चला रहे हैं, उन पर इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं को लागू नहीं करेंगे। यही नहीं इस ऐक्ट में यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर वे चाहें तो न केवल राज्य अंडरटेकिंग्स को बल्कि दूसरी जो उनके वहां पर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं और इस ऐक्ट का जो इम्पलीमेंटेशन है उससे माफ कर सकते हैं और वह उन पर लागू नहीं हो सकेगा।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुये]

बिल में यह व्यवस्था रखी गई है कि जब कोई राज्य सरकार इस तरीके का निश्चय करना चाहे तो वह उस की सूचना केन्द्रीय सरकार को दे दे। केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह बात नहीं है कि अगर वह चाहे तो भी राज्य सरकार के इस तरह के निश्चय को रोक सके। यदि यह व्यवस्था इस बिल में इसी तरीके से रहने दी जाती है तो मैं समझता हूं कि उसका नतीजा यह होगा कि राज्य सरकारें प्रभाव पूर्ण व्यक्तियों को और अपनी जो उनकी अंडरटेकिंग्स हैं उन को इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं द्वारा अमल में आने से रोक सकेंगी, अपवाद मान लेंगी, और उन को लागू नहीं करेंगी और नतीजा यह होगा कि ऐक्ट सब लोगों पर लागू नहीं होगा।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। जो १० कर्मचारियों की पहले व्यवस्था रक्खी गयी थी उस से घटा कर ५ कर दी गई और राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि वे पांच से नीचे के लोगों पर यदि लागू करना चाहें तो लागू कर सकती हैं। मैं मंत्री महोदय से इस वक्त भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें कि क्या इस तरीके की व्यवस्था इस कानून में रखना जिससे कि राज्य सरकारों को पूर्ण अधिकार इस तरह का प्राप्त हो जाय कि जिनको वे चाहें इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं के अन्दर आने से माफ कर सकें, उनको अपवाद में ले आयें कहां तक यह उचित बात होगी? यदि ऐसी व्यवस्था रखी जाती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ अंडरटेकिंग्स् ऐसी होंगी, प्राइवेट भी हो सकती हैं, पबलिक तो अक्सर होंगी जिन पर कि यह व्यवस्थाएं लाग नहीं होंगी। हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पबलिक अंडरटेकिंग्स जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें राज्य सरकारों की अंडरटेकिंग्स कहा जाता है उन में भी कुछ हड़ताल की बातें चल रही हैं। कहीं कहीं भूख हड़तालें हुई हैं। मतलब यह कि इस तरीके का आन्दोलन चल रहा है कि जो उनको सुविधा दी जा रही है अंडरटेकिंग्स के अधिकारियों की तरफ से वह उचित नहीं है और पर्याप्त नहीं हैं। जब ऐसी सूरत

[श्री ब्रजराज सिंह]

है जहां पर एक तरफ तो एक पक्ष हो राज्य सरकार खुद और दूसरी तरफ वह कर्मचारी हों, ऐसी अवस्था में हम यह आशा कर सकते हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कानून को अगर मंजूर न करना चाहे तो वह फिर ऐक्ट की व्यवस्थाओं से अपनी अंडरटेकिंग्स को माफ कर देगी। वह ऐसी आज्ञा दे देगी जिस से कि अपनी अंडरटेकिंग्स पर यह ऐक्ट लागू न हो सकेगा ।

इसी तरीके से कुछ राज्य हैं जहां पर कि प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में मोटर ट्रान्सपोर्ट का धंधा काफी तादाद में है मसलन् पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। यहां पर भी यदि कोई प्राइवेट ऑपरेटर्स इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिवान् हैं कि वे राज्य सरकार में अपना कुछ प्रभाव रख सकते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वे भी राज्य सरकार के इस अधिकार के अन्तर्गत अपने को इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने से माफ करा सकेंगे। इसलिए जो इस ऐक्ट की मंशा है कि मोटर ट्रान्सपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब पर यह कानून लागू हो और सब कर्मचारियों को यह सुविधाएं प्राप्त हो सकें, वह सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं हो सकेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर फिर से विचार कर लें ।

यदि उनका भी यही विश्वास हो जैसा कि मेरा विश्वास है तो इस में इस तरीके की व्यवस्था लाने की कोशिश करें जिस से जब कोई ऐसा हुक्म राज्य सरकार निकालना चाहे तो ऐसा आर्डर निकालने से पहले वह न केवल केन्द्रीय सरकार को उस के बारे में सूचना देगी बल्कि वह केन्द्रीय सरकार की उस सम्बन्ध में सहमति भी प्राप्त कर लेगी, पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेगी । केन्द्र से स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा जिस में कि किसी तरह की अंडरटेकिंग्स के ऑपरेटर्स को इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं से माफ करने की बात चलती हो। यदि यह व्यवस्था इस ऐक्ट में कर देते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जिस किसी को जब भी चाहे इस ऐक्ट की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने से माफ नहीं कर सकेंगी ।

इस के अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे स्प्रैड-ओवर का मामला है । स्प्रैड-ओवर को साढ़े दस घंटे के बजाये बारह घंटे कर दिया गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस बारे में आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून के पास होने के बाद एक आध साल तक इस के अमल को देखा जाये। उस अवधि में यदि यह अनुभव होता है कि बारह घंटे का स्प्रैड-ओवर कर्मचारियों के हित में नहीं जाता है— उस से उन को नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर इस विषय पर फिर से विचार किया जा सकता है । सिलेक्ट कमेटी में हम को यह बताया गया था कि बारह घंटे के स्प्रैड-ओवर से शायद कर्मचारियों को ज्यादा फ़ायदा हो सकेगा और उन को आराम करने का ज्यादा मौका मिल सकेगा । यदि अमल में यही प्रकट होता है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को लाभ होगा, तो ठीक है, लेकिन यदि कर्मचारियों को नुक्सान होगा, तो मैं चाहूंगा कि बाद में इस पर सरकार फिर से विचार करे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकारी और निजी दोनों ही परिवहन सेवाओं के कर्मचारी इसका स्वागत करेंगे ।

मैंने संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और उस के साथ संलग्न विमति टिप्पणियों को देख लिया है। मैंने विधेयक का खण्ड १६ भी पढ़ लिया है। मैं श्री रामसिंह भाई वर्मा, श्री त० ब० विट्ठलराव और श्रीमती पार्वती कृष्णन् की विमति टिप्पणियों से सहमत हूं कि काम के घण्टों का फैलाव १२ घण्टे बहुत अधिक है। उनका यह सुझाव बिलकुल उचित है कि इसे १०½ घण्टे रखना चाहिये। अच्छा यही रहेगा कि माननीय मंत्रीइस पर गम्भीरता से विचार करें और विधेयक के पारण से पहले इस सुझाव के अनुसार परिवर्तन कर दें। उससे सभी दल संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री त० ब० विट्ठलराव और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी विमति टिप्पणी में यह भी कहा है कि सड़क परिवहन के कर्मचारियों के लिये साल भर में कम से कम २० दिन की सवेतन वार्षिक छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस सुझाव को भी मान लिया जाये, तो सभी कर्मचारियों को बड़ी प्रसन्नता होगी ।

इससे पहले मोटर परिवहन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये कोई भी विधान नहीं था। इसलिये इस विधेयक के अधिनियम बनने पर उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन कर्मचारियों के बहुत से विवाद चलते रहे हैं, क्योंकि कोई विधि थी ही नहीं। इससे निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के परिवहन कर्मचारियों को लाभ होगा ।

संयुक्त समिति ने सदस्यों के बहुत से सुझाव मान लिये हैं। इस अधिनियम को सभी राज्यों में लागू करने की तिथि का सुझाव मान लिया गया है। इसे ३१ दिसम्बर, १९६१ से लागू किया जायेगा।

यह सुझाव भी मान लिया गया है कि इस अधिनियम को पांच परिवहन कर्मचारियों से भी कम रखने वाले मोटर परिवहन उपक्रमों पर भी लागू किया जा सके।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री काम के घण्टों के फैलाव और वार्षिक छुट्टी के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को भी स्वीकार कर लें। श्री त० ब० विट्ठलराव और श्री रामसिंह भाई वर्मा ने उस के पक्ष में तर्क भी दिये हैं। आशा है उन पर विचार किया जायेगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इसके लिये श्रम मंत्रालय को बधाई देता हूं। मैं उन परिवहन कर्मचारियों का भी आभार मानता हूं जिन्होंने इसके लिये आन्दोलन किया है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : सभापति महोदय, ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट जिसे अन्तिम कानूनी रूप दिया जा रहा है, मैं उसका समर्थन और स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान्, आज दिन तक श्रमिकों के सम्बन्ध में जितने कानून बने हैं, उनमें समय समय पर काफी परिवर्तन होते रहे हैं। किन्तु यह जो बिल हाउस के सामने आया, इसे पहले ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी को सौंपा गया था, वहां पर बहुत ही सावधानी से विचार हुआ, और जो एम्प्लायर्स और एम्प्लायीज़ की आर्गेनाइजेशन्स एवीडेंस में आईं उन्होंने जो भी सुझाव रखे, और ज्वायंट कमेटी में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे, सिवाय मेरे एक दो सुझावों के बाकी सभी सुझाव ज्वायंट कमेटी ने मान लिये और उनके आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की । यह बहुत खुशी की बात है कि सब के सुझावों को मान्यता दी गई है ।

श्रीमान्, आज दिन तक इस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर कानून के अभाव में जो अन्याय होता रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, उन सब बातों को यदि मैं हाउस के सामने रखूं, तो यह एक बहुत बड़ी कहानी हो जायेगी । मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दस बरसों में यह व्यवसाय जितना बढ़ा है, उतना कोई व्यवसाय नहीं बढ़ा है । देश के अन्दर मोटर ट्रांसपोर्ट बेहद बढ़ी है और उसके साथ ही साथ इस में एम्प्लायमेंट भी बहुत बढ़ा है, इस में रोजगार भी काजी बढ़ा है । इस व्यवसाय को हमने अपनी योजनाओं में जो स्थान दिया है, उस आधार पर इसे देखना होगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना अमल में आई, द्वितीय योजना अमल में आई । हमारे देश का उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ देश में निर्माण कार्य हुए, सड़कें वगैरह बहुत बनीं । जहां सड़कें बनीं वहां यह व्यवसाय चलने और बढ़ने लगा । वहां पर ट्रकें चलने लगीं, मोटरें चलने लगीं, बसिस चलने लगीं । इसके साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज़ के अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जोकि या तो अपना ट्रक चला रहे हैं, या कोई अपनी बस चला रहा है और जब एविडेंस ज्वायंट कमेटी के सामने दिया गया तो यह बात भी सामने आई कि उनको सब से पहले लाइसेंस मिल जाता है . . .

†श्री मोरे (पूना) : कांग्रेस में होता होगा, अन्य राजनीतिक दलों में नहीं होता ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी वालों को ज्यादा और जल्दी परमिट और लाइसेंस मिलते हैं क्यों अधिकारी लोग डरते हैं कि ये हाउस में टीका टिप्पणी करेंगे । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह भी कह देना चाहता हूं कि दरअसल में उनसे अधिकारी लोग ही नहीं डरते बल्कि मिनिस्टर भी डरते हैं और हम से भी ज्यादा विरोधी पार्टी वालों की सुनते हैं । हमारी कम सुनते हैं । उनके काम आसानी से हो जाते हैं और हमारे मुश्किल से होते हैं । विरोधी पार्टी वालों की अधिकांश की जो रोज़ी रोटी है, वह इसी व्यवसाय से चल रही है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब हमारी सरकार आई तो उसने देखा कि इस व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, मनचाहे घंटे काम उन से लिया जाता है, मनचाहा वेतन उनको दिया जाता है, समय पर उनको वेतन मिलता है या नहीं इसकी कोई परवा ही नहीं करता, खराब से खराब वर्किंग कंडिशंस इन वर्कर्स की हैं और इन सब चीजों को देखने के बाद और यह भी देख चुकने के बाद कि इस व्यवसाय में वर्कर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है, उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न हुआ । जब मनचाहे घंटे काम उन से लिया जाता है तो इसका नतीजा यह निकलता है कि एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती है । इस अव्यवस्था के होते हुए भी यह व्यवसाय खूब फला फूला । लोगों ने व्यक्तिगत बहुत कमाई की । होते होते यह हालत हो गई कि रेलवे के साथ इसके कम्पीटीशन का सवाल पैदा हो गया और रेल व्यवसाय को भी इस अव्यवस्था के कारण काफी धक्का पहुंचा । यह स्वभाविक ही था क्योंकि ट्रांस्पोर्ट व्यवसाय में कोई कायदे कानून नहीं थे, वेतन कब देना और कब नहीं देना इसका कोई नियम नहीं था, कोई सवाल नहीं था । ऐसी सूरत में देरी से ही सही लेकिन एक कानून हमारे माननीय मंत्री जी इस हाउस में लाये और वह ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी के सामने गया जिसका मैं भी एक सदस्य था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां पर उसकी एक एक धारा पर बहुत सावधानी से विचार हुआ और अब वहां से वह हाउस में आया है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्कर्स के बारे में जो भी एक्ट बने उनमें वर्कर्स की जो संख्या रखी गई, उन सभी एक्ट्स में मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स का यह बिल ही एक ऐसा है कि जिस में सब से कम, यानी पांच की सख्या रखी गई है । अभी तक हमने फक्ट्री एक्ट को भी जहां इतने व्यक्ति काम करते हैं, लागू नहीं किया है लेकिन इस बिल को जहां पर भी पांच या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, लागू करने हम जा रहे हैं । लेकिन मैं समझता हूं इससे भी कम वर्कर्स जहां काम करते हों, वहां पर भी इस कानून को हम लागू करें । उन को भी इस कानून का लाभ मिलना चाहिए । इस तरह से कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर कि माननीय मंत्री जी को विचार करना होगा । मैं समझता हूं कि आगे जा कर इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किये बिना चारा ही नहीं है । आज भी बहुत सी स्टेटों के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट्स इन सेवाओं को जनता को दे रही हैं । कहीं पर कारपोरेशन बन गई हैं और कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट्स खुद चला रही हैं । इस में कुछ छूट के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिये गये हैं । मुझे किसी की ईमानदारी के ऊपर शंका नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहता हूं कि कहीं निन्यानवे के फेर में वे न पड़ जायें और सोचने लग जायें कि इस व्यवसाय के द्वारा स्टेट को ज्यादा से ज्यादा कमाई हो । इसलिए इसमें जो छट देने की बात कही गई है वह छूट न देने लग जायें, इसको केन्द्रीय शासन को और खास तौर पर श्रम मंत्रालय को देखना चाहिये । आपको देखना चाहिये कि वर्कर्स के साथ इंसाफ हो ।

इस व्यवसाय में जहां व्याक्तगत मालिकी है और जिनकी उसकी एक ट्रक या एक बस भी चलती है, उसमें भी जो पांच से कम वर्कर काम करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिये था । वह लाभ उसे मिला नहीं है । जो भी एविडेंस श्रम संस्थाओं की तरफ से या मोटर बस मालिकों की तरफ से आये हैं उन सब से एक बात साफ हो गई है और वह यह कि जो बड़े बड़े कनसर्न हैं उनमें प्राफिट मार्जिन बहुत कम होता है और जितने भी छोटे छोटे व्यक्तिगत कनसर्न हैं, उनमें प्राफिट मार्जिन अधिक होता है । जहां प्राफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को इस कानून का फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि किसी बस के ऊपर, जब एक व्यक्ति एक बस चला रहा होता है, दो या तीन और एक बस या ट्रक पर औसतन दो आदमियों से ज्यादा काम नहीं करते हैं । इस बिल में यह कहा गया है कि जहां पांच या पांच से ज्यादा काम करने वाले होंगे वहीं पर यह लागू होगा हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स को इस रिपोर्ट में यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो उससे कम के ऊपर भी इसे लागू कर सकती हैं, जहां एक आदमी भी काम करता है, वहां भी लागू कर सकती हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन को स्टेटों को यह डायरेक्शन देना चाहिये कि अधिक से अधिक इस व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को इस कानून का फायदा मिले, ऐसी व्यवस्था उन्हें करनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ३१ दिसम्बर १९६१ तक इसे अमल में लाने की मुद्दत रखी गयी है, यानी बारह महीने से भी अधिक का समय है जिस में वे इसको लागू कर सकती हैं । देखना यह है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी के पास अगर दो या तीन या चार बसें हैं और पांच से अधिक आदमी उसमें काम करते हैं, तो एक को वह अपनी पत्नी के नाम कर दे, दूसरी को अपने छोकरे के नाम कर दे, और कई हिस्सों में बांट दे तीसरी को किसी दूसरे के नाम कर दे और अलग अलग उनके नामों से परमिट या लाइसेंस बनवा ले ताकि वह इस कानून की ज़द से छूट जाये । ऐसा न हो कि बड़े बड़े कनसर्न छोटे छोटे रूपों में हमारे सामने आ जायें और इस कानून

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

की पकड़ से बच जायें। भले यह कानून ३१ दिसम्बर १९६१ से लागू हो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी से यह देखने की जरूरत है कि ऐसी हरकतें इस व्यवसाय वाले न करने लग जायें।

कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जिन से इस कानन के बन जाने पर इस व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों के ऊपर अन्याय भी हो सकता है। जो समानता के आधार पर आज काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट की ट्रांस्पोर्ट सर्विस है, उस के दो हिस्से हैं, वे दोनों समानता से काम करते हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि जब इस बिल को कानूनी रूप दे दिया जाय तो उन में भी असमानता पैदा हो जाय। इस दृष्टि से मैं ने कुछ संशोधन क्लाज़िज़ १६ और २६ के अन्दर दिये हैं और जब वे क्लाज़िज़ आयेंगी तो उस वक्त मैं उन संशोधनों के बारे में निवेदन करूंगा। लेकिन ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी के सामने भी मैं ने यह बार बार निवेदन किया था और अब फिर माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि उन संशोधनों के ऊपर वे सहानुभूति के साथ विचार करें . . .

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या हैं ?

श्री राम सिंह भाई वर्मा : एक मेरी अमेंडमेंट—स्प्रेड ओवर के बारे में है। फैक्ट्री एक्ट के अन्दर स्प्रैड ओवर (फैलाव) आज साढ़े दस घंट का है। मजदूरों के सम्बन्ध में और भी अलग अलग कानून बने हैं, खास तौर पर जो फैक्ट्री एक्ट है, उस के आधार पर, अगर गुमाश्तों को छोड़ दिया जाय तो, स्प्रेड ओवर करीब साढ़े दस घंटे के आता है। यह व्यवस्था भी ऐसी है जो फैक्ट्री ऐक्ट से मिलती जुलती है। जैसा इस में है अगर स्प्रैड ओवर बारह घंटे का रख दिया जाय तो उस से वर्कर्स का खर्च भी ज्यादा होगा, उन को नुक्सान भी ज्यादा पहुंचेगा और तक्लीफ भी ज्यादा होगी।

इसी प्रकार से एक जगह वेतन के स्थान पर माइलेज अलाउंस मिलता है। किसी जगह पर डिअरनेस अलाउंस की जगह किसी जगह वेतन के स्थान पर माइलेज अलाउंस मिलता है तो ओवर टाइम के काम का माइलेज अलाउंस को अगर वेतन के अन्दर नहीं गिनेंगे तो उस में लोगों को बहुत कम पैसा मिलेगा क्योंकि कोचीन हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है कि माइलेज अलाउंस वेतन में शामिल नहीं होता। पेमेंट आफ वेजेज़ ऐक्ट में जो वेतन की व्याख्या है उस में माइलेज अलाउंस नहीं है। इस के बारे में भी मैं ने एमेंडमेंट दिया है और जब क्लाज़ेज़ आयेंगे तब मैं इस पर कहूंगा।

मैं मानता हूं कि इन दोनों बातों को देखते हुए इस ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स के सम्बन्ध में जो रखा गया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है और इस धंधे में काम करने वाले हमारे देश के सभी श्रमिकों को इस व्यवस्था में शामिल कर लिया जाय तो लाभ ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

†**श्री गोरे** : मैं इस विधेयक का स्वागत इसलिये करता हूं कि अगले पांच वर्षों में भारत का सड़क परिवहन १००–२०० प्रतिशत विस्तृत हो जायेगा और कर्मचारियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जायेगी। इस से सड़क परिवहन का महत्व और दायित्व बढ़ जायेगा।

इस विधेयक के बारे में शासक दल और अन्य दलों में अधिक मतभेद नहीं है। इसलिये मुझे इस के सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव ही देने हैं। पहला यह है कि राज्यों द्वारा इसे अपने यहां प्रवृत्त करने के लिये एक वर्ष का समय आवश्यकता से अधिक है। मोटर मालिक तब तक अपनी सम्पत्तियों का झूठा बंटवारा दिखाने से नहीं चूकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूरत में शक्तिचालित करघों पर एक अधिनियमन लागू करने पर, सूरत के उद्योगपतियों ने उस से बचने के लिये अपने उपक्रमों को छोटी-छोटी इकाइयों में बांट दिया था। यदि मोटर परिवहन में भी वही हुआ, तो इस विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

इस अधिनियमन को पांच से कम कर्मचारियों वाले मोटर परिवहन उपक्रमों पर लागू करने के सम्बन्ध में एक परन्तुक जोड़ा गया है कि यदि राज्य सरकारें ठीक समझें तो इसे उन पर भी लागू कर सकती हैं। ज्यादा अच्छा यह रहता कि सीधी व्यवस्था की जाती कि इसे सभी उपक्रमों पर समान रूप से लागू किया जायेगा।

इस में दूसरी त्रुटि यह है कि शहरों और देहातों या पर्वतीय प्रदेशों के परिवहन के लिये काम के घंटों का समान फैलाव रखा गया है। सभी जानते हैं कि पर्वतीय इलाकों में चार घंटे मोटर चलाना शहरों में दस घंटे मोटर चलाने के बराबर है।

इसी तरह बम्बई जैसे बड़े शहरों में और छोटे शहरों में मोटर चलाने में भी बड़ा अन्तर है। इन सभी पर विचार करना चाहिये। इन में विभेद किया जाना चाहिये।

काम के घंटों का फैलाव १२ घंटे के स्थान पर १०॥ घंटे ही रहना चाहिये। विभिन्न राज्यीय सड़क परिवहन अधिकारियों और कर्मचारी यूनियनों के बीच अब तक हुए करारों में १०॥ घंटे ही माने गये हैं। पता नहीं सरकार ने इस विधेयक में उसे १२ घंटे क्यों कर दिया है। इस अवस्था पर भी उसे बदल देने में कोई हानि नहीं।

इस विधेयक को प्रभावी बनाने में बड़ी अड़चनें सामने आयेंगी। संयुक्त समिति में कुछ सदस्यों ने कहा था कि इस के पालन से अधिक इस का उल्लंघन होगा। मैं उस से सहमत नहीं, क्योंकि आखिर कहीं से शुरूआत तो करनी ही पड़ेगी। सभा का कर्त्तव्य है कि देश के औद्योगिक प्रसार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के साथ बराबर न्याय करती रहे। हमें इन कर्मचारियों से बड़ी-बड़ी आशायें हैं।

श्री आसर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स बिल, जो सदन के सामने आया है उस का मैं स्वागत करता हूं। वर्कस की ओर से बहुत दिनों से यह मांग थी कि ऐसा एक कंसालिडेटेड बिल सेंटर की ओर से आना आवश्यक है। उस मांग को आज हम पूरा करने जा रहे हैं।

इस बिल को प्रवर समिति को भेजा गया और वहां बहुत सी बातों पर विचार किया गया। लेकिन इस में कुछ कमियां रहने के कारण आज उन के बारे में यहां चर्चा हो रही है। अगर इन कमियों पर भी प्रवर समिति ने विचार कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता।

एक तो इस में यह कमी है कि एक वर्ष का समय इस के इम्प्लीमेंटेशन के लिये दिया गया है। यह बहुत ज्यादा है। सरकार जानती है कि आज हमारे प्राइवेट सेक्टर वालों की यह प्रवृत्ति है कि जो भी लूपहोल होता है उस का लाभ उठाते हैं। इसलिये वे इस एक वर्ष के समय का भी लाभ उठावेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस पर विचार करें और जो यह एक वर्ष का समय रखा गया है इस को कम करें।

दूसरे मुझे अवर्स आफ वर्क (काम के घंटे) के बारे में कहना है। हम ने इस में आठ घंटे का समय काम करने के लिये रखा है। लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिये कि मोटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उन का काम कितनी परेशानी और जिम्मे-

[श्री आसर]

दारी का है। जिन रास्तों पर मोटर चलते हैं वे कितने खराब होते हैं। हम भी जब प्रवास करते हैं तो दो चार घंटे के बाद हम थक जाते हैं। लेकिन इन लोगों को तो आठ घंटे काम करना पड़ेगा। तो इन के काम के घंटे कम करने पर विचार किया जाय। मेरा तो कहना है कि आठ घंटे के बजाय सात घंटे का समय रखा जाय। बम्बई में स्टेट ओन्ड मोटर ट्रांस्पोर्ट है वहां भी आठ घंटे का काम बताया जाता है। मैं अपने स्थान से बम्बई आता हूं तो उस में दस घंटे का समय लगता है। मैं ने ड्राइवर से पूछा कि पहले तो तुम महाड में चेंज करते थे अब क्यों नहीं करते। तो उस ने कहा कि हमारी सरविस आठ घंटे की ही गिनी जाती है और जो बीच में आध आध घंटे के लिये तीन जगह गाड़ी रुकी रहती है उस को हमारी सरविस में नहीं गिना जाता और कहा जाता है कि यह स्टापेज तो मुसाफिरों की सहूलियत के लिये है और इस को सरविस में नहीं गिना जायगा। इस तरह से उन की सरविस में डेढ़ घंटा कम हो जाता है और उन की सरविस ८ घंटे की ही मानी जाती है और उन को ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता। यह स्थिति तो आज सरकार द्वारा चलाई गई कम्पनियों की है। जैसे प्राइवेट सेक्टर इस का लाभ उठाता है उसी तरह गवर्नमेंट कारपोरेशन इस का लाभ उठाते हैं। इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। हम ने आठ घंटे का समय रखा है लेकिन इस में छुट्टी को शामिल नहीं किया जाता। बीच में जो गाड़ी रुकती है उस को सरविस में नहीं गिना जाता। इस के बारे में विचार करना चाहिये। यह भी एक लूपहोल है।

जो मोटरें हिली रास्तों पर चलती हैं उन का काम बहुत ज्यादा परेशानी और जिम्मेदारी का है। वहां आठ घंटे का काम करना बहुत कठिन है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाय। उन पर काम बहुत ज्यादा पड़ता है और इसी कारण रोज सुनने में आता है कि एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अनेक पैसिंजर मरते हैं। इस का मुख्य कारण ओवरटाइम काम है। उन को बहुत ज्यादा काम दिया जाता है जिस को वह नहीं कर सकते। इस पर ध्यान देना चाहिये। जैसा मैं ने कहा आप को काम के घंटे आठ के बजाय ७ करने चाहियें।

दूसरे पीक अवर में जो दस घंटे का समय रखा गया है मैं इस का विरोध करता हूं। पीक अवर कौन सा हो कौन सा न हो यह हम ने तो तै किया नहीं है। जो अफसर होंगे वही तै करेंगे कि पीक अवर क्या है। बम्बई और अन्य बड़े शहरों में ट्रांस्पोर्ट इतना बढ़ गया है कि हर समय पीक अवर रहा करता है। मेरा विचार है कि इस पीक अवर का नाम ले कर ज्यादा ड्यूटी लेने का प्रयत्न किया गया है। तो इस बारे में भी विचार किया जाय।

इस बिल में स्प्रैड ओवर की जो बात बताई गई है मैं उस का विरोध करता हूं। मोटर ट्रांस-पोर्ट वर्कर्स का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बस औपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स का काम बड़ा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है और एक कठिन काम है और इस नाते स्प्रैड ओवर में उन के लिये ज्यादा काम के घंटे नियत करना ठीक और उचित नहीं होगा और यह जो उन के वास्ते १२ घंटे का स्प्रैड ओवर रक्खा है वह ज्यादा है। इस सम्बन्ध में जैसे श्री रामसिंह भाई वर्मा ने अपने नोट आफ डिस्सैंट में बताया है कि फैक्ट्रीज़ में भी और अन्य स्थानों पर भी जहां पर कि विशेष जिम्मेदारी का काम नहीं रहता है वहां पर भी वर्कर्स के लिये साढ़े दस घंटे का स्प्रैड ओवर रहता है। फिर यह तो बस औपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स का जोकि ट्रान्सपोर्ट में काम करते हैं विशेष महत्व का काम है और इन के कुशलतापूर्वक ड्यूटी अंजाम देने पर सैकड़ों, हजारों और लाखों यात्रियों की जान की सुरक्षा का हमेशा सम्बन्ध रहता है इसलिये उन के वास्ते साढ़े दस घंटे या दस घंटे का ही समय रक्खा जाय और मैं चाहता हूं कि यह स्प्रैड ओवर में जो साढ़े १२ घंटे रक्खे हैं उन को घटा कर साढ़े १० घंटे का समय रक्खा जाय।

क्लाज़ नम्बर २७ में वर्कर्स की छुट्टी का जिक्र आया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय स्वयं वास्तविक स्थिति से पूरी तरह परिचित होंगे और मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये कि यह मोटर ट्रांसपोर्ट का काम इतना कठिन और परेशानी का काम है कि वहां पर १०, १५ दिन की छट्टी की व्यवस्था रखना पर्याप्त नहीं होगा। १०, १५ दिन की छट्टी उन के वास्ते काफी नहीं होगी, कम होगी और उनकी छुट्टियों की तादाद बढ़ा कर २० दिन कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस का पता ही होगा कि ओपरेटर्स, बस ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह को अक्सर करके टी० बी० हो जाया करती है, वे ज्यादातर टी० बी० में सफर करते हैं और ऐसा इस कारण होता है कि उन को जितना आराम मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। केवल १०, १५ दिन की छुट्टी देने से उन को आवश्यक विश्राम नहीं मिल पायेगा और उन के स्वास्थ्य के हित में यह जरूरी है कि उन के लिये २० दिन की छट्टी की व्यवस्था हो जैसाकि डिस्सैंटिंग नोट (विमति टिप्पणी) में लिखा है।

जहां तक इस बिल की मूल भावनाओं का सम्बन्ध है मैं उन का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस धंधे में लगे वर्कर्स की हालत को बेहतर बनाया जाय और उन को उचित और आवश्यक सुविधायें दिलवाई जायें। लेकिन इस के साथ यह भी जरूरी है कि इस बिल में जो लूपहोल्स हैं और जिन में से कि कुछ का मैं ने संकेत भी दिया है उन को ठीक करने का प्रयत्न किया जाय ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। यह जरूरी हो जाता है कि जब हम इस ऐक्ट का अमल राज्य सरकारों, कारपोरेशन्स और अन्य लोगों से कराना चाहते हैं तब इस में जो अभी लूपहोल्स बाकी रह गये हैं उन को ठीक किया जाय।

मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं लेकिन स्वागत करते समय मैं ने जो चन्द एक सुझाव दिये हैं मसलन् उन के काम के घंटों में कमी, छुट्टी की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

†**श्री ओझा** (झालावाड़): सभी जानते हैं कि भारत में सड़क परिवहन पर इतने सारे प्रतिबन्धों के बावजूद उस का भविष्य उज्जवल है। पाश्चात्य देशों का भी यही अनुभव है कि, रेल परिवहन के मुकाबले सड़क परिवहन कहीं अधिक सुविधाजनक है। इसलिये यह अच्छा ही है कि सरकार ने सड़क परिवहन के लिये यह विधान रखा है।

यह बिल्कुल सही है कि सड़क परिवहन के कर्मचारी बड़े शोषित हैं, क्योंकि हर उपक्रम में उन की संख्या बड़ी छोटी होती है और इसलिये वे संगठित यूनियनें बना कर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते। इसीलिये उन के अधिकारों की रक्षा के लिये ऐसे एक विधान की बड़ी आवश्यकता थी।

हमारे देश में सड़कों की दशा बड़ी खराब है, जिस के कारण गाड़ियां खराब हो जाती हैं और कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन के मालिक गाड़ियों की दशा सुधारने के लिये एक पाई भी नहीं खर्चना चाहते। उन को तो बस मुनाफे काटने की पड़ी रहती है। नतीजा भुगतना पड़ता है चालकों और क्लीनरों को।

संयुक्त समिति ने इस के लिये इस में कोई भी व्यवस्था नहीं की। ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि कोई गाड़ी बार बार बिगड़ जाती है तो मालिक की ओर से कर्मचारियों को कुछ अधिक पारिश्रमिक देना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों का मत है कि सरकार ने इस अधिनियमन को राज्यों में प्रभावी बनाने की तिथि एक वर्ष बाद की रख कर गलती की है, क्योंकि इस बीच में मालिक लोग इस की त्रुटियों का पता लगा लेंगे और बचने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं इस से सहमत नहीं। किसी भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओझा]

अधिनियम को तब तक प्रभावी नहीं बनाना चाहिये जब तक उस के लिये समुचित व्यवस्था न कर ली जाये। आशा है कि इस एक वर्ष में सरकार पूरी व्यवस्था कर लेगी, जिस से कि तब पर्यवेक्षक कर्मचारियों की कमी न पड़े ।

इस विधेयक की सब से अच्छी व्यवस्था खण्ड ८ में की गई है। जहां भी १०० से अधिक परिवहन कर्मचारी हों, वहां उन के लिये कैण्टीन बनाये जायें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उद्योग की और अधिक प्रगति होने पर कर्मचारियों की संख्या और घटा दी जायेगी । खण्ड ९ में भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि मोटर परिवहन कर्मचारियों को जिन स्थानों में रात को रुकना पड़ता है उन स्थानों में विश्रामालयों की या ऐसी ही कोई अन्य व्यवस्था मालिकों द्वारा होनी चाहिये इस की बड़ी जरूरत थी। वर्दियों और उन की धुलवाई के प्रबन्ध की व्यवस्था, और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था भी बड़ी लाभदायक है।

मैं इन व्यवस्थाओं का स्वागत करता हूं। इन को प्रभावी बनाने के लिये सरकार को पर्यवेक्षण का समुचित प्रबन्ध पहले कर लेना चाहिये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इस विधेयक के आने में विलम्ब तो हुआ है, फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। सड़क परिवहन के कर्मचारियों की दशा में सुधार के लिये श्री अ० क० गोपालन ने १९५७ में एक विधेयक सभा में रखा था।

विधेयक की अच्छाई-बराइयों की चर्चा से पहले मैं भारतीय उत्पादकता दल के प्रतिवेदन की कुछ बातें सभा के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय उत्पादकता दल ने पश्चिमी जर्मनी, इंगलैंड और अमरीका के सड़क परिवहन की समस्याओं का अध्ययन किया था। दल ने सितम्बर, १९६० के अपने प्रतिवेदन में उन देशों के परिवहन-कर्मचारियों के सम्बन्ध में कई विचारणीय बातें कही हैं। दल ने लिखा है कि परिवहन कर्मचारियों का ठोस कार्मिक संघीय आन्दोलन उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। पाश्चात्य देशों में परिवहन कर्मचारियों के काम की परिस्थितियां अच्छी हैं। और कर्मचारी बड़े मेहनती हैं। वे अनुशासन मानते हैं। अनुशासन होने से उन की दक्षता बढ़ती है। वे अपना दायित्व महसूस करते हैं। उनको भविष्य से अधिक आशंका नहीं रहती क्योंकि हर कर्मचारी बीमा-शुदा है। उन का विश्वास है कि श्रम-विवाद आपस में बैठ कर तय किये जा सकते हैं। उन को कार्य संबंधी अनेकों सुविधायें रहती हैं।

इस से स्पष्ट है कि अर्थ व्यवस्था के विकास के साथ-साथ मजदूरों के काम की परिस्थितियों में भी सुधार होते चलना चाहिये ।

हमारे देश में अभी तक परिवहन कर्मचारियों की काम की परिस्थितियों का नियमित रूप से सर्वेक्षण नहीं होता। अभी कुछ ही दिन पहले मसानी समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने आया है। उस से इतना तो पता चल ही जाता है कि अन्य देशों के मुकाबले हमारा परिवहन-उद्योग कितना अधिक पिछड़ा हुआ है ।

इस से यह भी पता चलता है कि लगभग हर राज्य में यह उद्योग चन्द मालिकों के हाथों में सिमटता जा रहा है। उन का एकाधिकार कायम होता जा रहा है।

दूसरी ओर रेलवेज हमारी परिवहन-आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। भारी उद्योगों के विकास के साथ साथ, रेलवेज की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई। मसानी समिति ने परिवहन-उद्योग

---

†मूल अंग्रेजी में

के सामने पड़ने वाली बाधाओं पर अधिक जोर दिया है, पर उन के बावजूद मालिकान इस में रुपया लगाने को तैयार हैं, जिस से सिद्ध है कि यह उद्योग विकास करता जा रहा है।

पर जरूरत इस बात की है कि उद्योग के विकास के साथ ही, सड़कों की दशा में और कर्मचारियों के काम की परिस्थितियों में भी सुधार हो और सरकार तेल तथा पुर्जों के मूल्य-निर्धारण की नीति अपनाये। उद्योग के प्रसार से होने वाले मुनाफों का एक अंश कर्मचारियों की दशा सुधारने पर भी खर्च किया जाना चाहिये ।

एक ओर तो रेलवेज की शिकायत है कि सड़क परिवहन ने यात्री-यातायात का एक बड़ा भाग हथिया लिया है, जिस से उस के लाभ में काफी कमी हो गई । और दूसरी ओर सड़क परिवहन-उद्योग के सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, जिन का सामना मालिकों को नहीं, मुख्यतया कर्मचारियों को ही करना पड़ता है ।

लारियों और ट्रकों पर केवल ३ टन बोझ लादा जा सकता है, लेकिन अक्सर पांच टन तक भी लादा जाता है। नतीजा यह होता है कि लारिया और ट्रकें अक्सर बिगड़ जाती हैं और कभी कभी तो सड़कों के ठीक बीचोंबीच, सारा रास्ता रोक कर, आधी रात में चालकों तथा क्लीनरों को उन की मरम्मत में जुटना पड़ता है ।

लारियों और ट्रकों के पुर्जे अलग से मिलते ही नहीं । बेकार बसों को ट्रक बना दिया जाता है इसीलिये खचड़ा बसें और ट्रकें माल-यातायात का काम करती हैं ।

सड़क-परिवहन के सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों में कई तरह के कार्यालय स्थापित किये गये हैं। लेकिन उन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं रहते। उत्पादकता दल ने इसका भी उल्लेख किया है और सिफारिश की है कि उन कार्यालयों के सम्बन्ध में विनियमन किया जाना चाहियें, जिस से कि उन को ठीक दशा में रखा जाये और जनता तथा परिवहन अभिकरणों को उन से लाभ पहुंच सके। संयुक्त समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन इस में किये हैं।

सड़क परिवहन उद्योग में कुल मिला कर ८ लाख कर्मचारी काम करते हैं। चूंकि अलग से पुर्जे नहीं मिलते, इसलिये कुछ देशीय तरीकों से ट्रकों और बसों को किस तरह चलने योग्य बना दिया जाता है और फिर उन को चलाते रहने की जिम्मेदारी चालकों और कंडक्टरों पर डाल दी जाती है। ऐसी दशा में उद्योग की जांच कराना आवश्यक है। तभी पता चल सकेगा कि इस उद्योग के कर्मचारियों को इस अधिनियम से कितना लाभ पहुंचेगा। मोटर परिवहन कर्मचारियों के लिये यह विधेयक एक नयी चीज है। इसलिए इस को लागू करने के बाद ही पता चलेगा कि इस में कौन से संशोधन और किये जाने चाहियें।

अब मैं इस विधेयक ही को लेता हूं। इसे संयुक्त समिति को सौंपते समय श्री तंगामणि ने जो सुझाव रखे थे, उन में से कुछ समिति ने स्वीकार कर लिये हैं।

उन का एक सुझाव था कि इसे जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू किया जाये। पता नहीं उस में क्या कानूनी पेचीदगी है। आशा है, कुछ दिन बाद इसे जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू करने की व्यवस्था की जायेगी ।

इस अधिनियमन को ३१ दिसम्बर, १९६१ तक सभी राज्यों में प्रवृत करने का सुझाव मान लिया गया है ।

मैं ने अभी अभी जिन नये नये कार्यालयों का उल्लेख किया था, उन में काम करने वाले कर्मचारी "मोटर परिवहन कर्मचारी" की परिभाषा में सम्मिलित है या नहीं ? उन को भी इस में शामिल किया

[श्री वारियर]

जाना चाहिये। यदि वे इस की परिभाषा में शामिल नहीं हैं तो माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

सभी मोटर परिवहन कर्मचारियों को एक ही लाठी से नहीं हांका जाना चाहिये। काम के अनुसार उन की विभिन्न श्रेणियां होनी चाहियें। और उसी के आधार पर उन के काम के घण्टे निर्धारित किये जाने चाहियें। यह इसलिये जरूरी है कि सभी प्रदेशों में सड़कों की दशा समान नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों में चालक और क्लीनरों का काम करने वाले कर्मचारियों की एक अलग श्रेणी होनी चाहिये। उन को पग पग पर खतरों का सामना करना पड़ता है राज्य सरकारें सड़कों की मरम्मत करा ही नहीं पातीं। इसलिये उन के काम के घण्टे ४ या ५ प्रति दिन होने चाहिये और उन को अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें ।

शहरों की बस सेवाओं में काम करने वालों को बारबार रुकना और बस स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिये उन को भी एक अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिये। उन के काम के घंटे भी कम होने चाहियें। बड़ी लम्बी दूरियों वाली सेवाओं जैसे दिल्ली से कलकत्ता तक की सेवा—के कर्मचारियों को बीच बीच में विश्राम देने के लिये कुछ और कर्मचारियों की भी व्यवस्था रहनी चाहिये ।

मैं अन्य माननीय सदस्यों के इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि काम के घंटों का फैलाव १२ घंटे नहीं होना चाहिये। पता नहीं इस के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश क्यों नहीं मानी गयी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने अभिसमय में इस के बारे में सिफारिश की है भारत भी उस का एक सदस्य है। मेरा ख्याल है कि यह व्यवस्था उस सिफारिश से मेल नहीं खाती।

†**श्री आबिद अली** : यह सूचना गलत है।

†**श्री वारियर** : यदि गलत है, तो माननीय मंत्री हमें सही स्थिति बतायें। यदि १२ घंटे के फैलाव की व्यवस्था उस सिफारिश से मेल न खाती हो, तो माननीय मंत्री को दोनों का मेल बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि लम्बे सफर के लिये १०॥ घंटे का फैलाव भी ज्यादा है।

इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक १९५७ में प्रस्तुत किया गया था। सरकार को उस के बाद पांच वर्ष से तैयार करने में लग गये हैं। इन पांच वर्षों में इस उद्योग में बड़े बड़े परिवर्तन हो गये हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि काम के घण्टों का फैलाव ८ घंटे ही रखा जाये।

फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आशा है कि इस को यथा शीघ्र सभी-राज्यों में प्रभावी बनाया जायेगा। और इस को ऐसे ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा कि अधिक से अधिक लाभ कर्मचारियों को ही हो ।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : इस विधेयक द्वारा मोटर परिवहन कर्मचारियों के लिये काफी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि मोटर परिवहन के प्रसार और मोटर परिवहन कर्मचारियों की सुविधाओं की आवश्यकता में परस्पर संतुलन कायम किया जाये। सुविधायें इतनी अधिक न हों कि उद्योग का विकास ही शिथिल पड़ जाये। इस लिये इस की कार्यान्विति के मामले में राज्य सरकारों के लिये भी कुछ गुंजाइश रखनी चाहिये। संयुक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति में यह आशंका प्रकट की गई थी कि राज्य सरकारें परिवहन कर्मचारियों के कल्याण और हितों के प्रति सदय नहीं है। समिति ने इसीलिये इस में राज्य सरकारों के लिये अधिक गुंजाइश नहीं छोड़ी है। स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है कि ३१दिसम्बर, १९६१ तक इसे सभी राज्यों में प्रभावी बना दिया जाना चाहिये ।

इस अधिनियमन को प्रभावी बनाने तथा इसके कार्य संचालन के बारे में राज्य सरकारों की चहलकदमी के लिये भी कुछ गुंजाइश रखनी चाहिये थी। इसलिये कि बड़ी बड़ी दूरियों के माल तथा यात्री यातायात के मामले में विधि का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने में बड़ी कठिनाइयां सामने आयेंगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि पर्वतीय सेवाओं और शहरी सेवाओं के कर्मचारियों को अलग श्रेणियों में रखा जाये और उन के काम के घंटे भी कम हों पहले ऐसा विभेद था। इस विभेद को मिटा कर, गलत किया गया है विधि का इस प्रकार अतिसरलीकरण करने से आगे चल कर कई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी ।

हमारे देश में कुछ ऐसे भी इलाके हैं, जहां वर्ष भर परिवहन सेवायें नहीं चलतीं। वहां कर्मचारियों के लिये उपयुक्त सुविधायें वर्ष भर कैसे जुटाई जायेंगी। जिस मौसम में परिवहन सेवा चालू रहती है, उस मौसम में तो उन की व्यवस्था होनी ही चाहिये। कहीं कहीं यह भी होगा कि बहुत छोटे छोटे मोटर मालिकान इन सुविधाओं को जुटाने में अपने को असमर्थ पा कर, सेवायें ही बन्द कर देंगे ।

विधेयक में व्यवस्था है कि १५ से १८ वर्ष तक की अवस्था के किशोर काम पर लिये जा सकते हैं। यह उचित नहीं, क्योंकि मोटर परिवहन सेवा का काम काफी भारी पड़ता है।

काम के घंटों का फैलाव १२ घंटे बहुत ज्यादा है। सरकार को स्वयं उसे घटा कर यदि १० नहीं तो कम से ११ घण्टे तो कर ही देना चाहिये ।

†**पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय** (प्रतापगढ़) : मोटर परिवहन की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है। अब तक इस दिशा में न कोई कानून है न कोई संहिता और न कोई नियम, उपनियम ही बनाया गया है। और यह कार्य बड़े अनियमित ढंग से चल रहा है। लोग गाड़ियां ले लेते हैं और सड़कों पर चलाने लगते हैं। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं कि क्या कर रहे हो ? कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में दो तीन गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि वहां किसी सरकार अथवा निगम की बस सर्विस नहीं है। कई जगह कुछ चालक मिल कर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस विषय सम्बन्धी जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के बारे में बहुत अच्छे उपबंध हैं। यह उपबन्ध उन इकाइयों पर भी लागू होंगे जिनमें काम करने वालों की संख्या ५ है और सभी प्रकार के परिवहन कर्मचारी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे यह भी मांग की जा रही है कि यह विधेयक छोटी से छोटी इकाइयों पर भी लागू किया जाये। इस विधेयक के अनुसार किसी वर्ग के कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जायेगा। काम के घंटों का फैलाव १२ घंटे रखा गया है। इस पर कुछ मतभेद है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इन घंटों के बीच काफी समय आराम करने के लिए प्राप्त हो जाता है। मेरे विचार से काम करने के घंटों की सीमा ८ घंटे ठीक है। यह न तो कम है और न ज्यादा ही। ओवर टाइम दुगना कर दिया गया है। विमति टिप्पण में एक सुझाव दिया गया है कि सामान्य मजूरी निर्धारित करते समय यात्रा की दूरी पर भी विचार किया जाना चाहिये। मेरे विचार में यात्रा की दूरी नियमित मजूरी का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय]

अंग नहीं है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं उनके कल्याण के लिये विशेष उपबन्ध किये गये हैं। जहां तक इस अधिनियम के लागू करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समुचित तिथि की घोषणा मंत्री महोदय द्वारा की जा सकती है। यदि कुछ भागों में तिथि जल्दी निश्चित करने की आवश्यकता हो तो यह वहां जल्दी की जा सकती है इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

मैं इस सम्बन्ध की महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सड़कों पर यातायात बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दुर्घटनायें प्रायः हो ही जाती हैं और उससे धन और जन की अपार हानि होती है। अतः यह व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी भी मालिक को ऐसे किसी भी कर्मचारी को रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जो बेतहाशा अथवा लापरवाही से मोटर गाड़ी आदि चलाने के किसी मामले में अपराधी सिद्ध हो चुका हो अथवा इस प्रकार के दोष के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका हो अथवा वह किसी भी प्रकार से सजा पा चुका हो साथ ही १५ वर्ष से कम आयु वाले और बहुत अधिक आयु वाले जिनका स्वास्थ्य अच्छा न हो ऐसे पुरुषों को ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जानी चाहिये इन प्रतिबन्धों की जांच करने के लिये निरीक्षकों को पूरे अधिकार दिये जाने चाहियें।

विधेयक का यह उपबन्ध भी ठीक है कि निरीक्षकों को तलाशी आदि लेने का भी अधिकार दिया गया है ताकि इस बात की पूरी जांच पड़ताल हो सके कि अधिनियम को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त छुट्टी जमा करने का उपबन्ध है जो कर्मचारी किसी वर्ष में छुट्टी नहीं ले सकता वह उन छुट्टियों को जमा कर सकता है और आगामी वर्ष में अथवा आगामी तीन वर्षों में उन्हें ले सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की कुशलता कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि मोटर परिवहन कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष में एक मास की अथवा उतने दिनों की जो कि आपने निर्धारित किये हैं छुट्टी दी जाये। परन्तु उसकी छुट्टी को जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कर्मचारियों को 'कदाचरण' के लिये दंड देने का एक उपबन्ध भी होना चाहिये था। इस विधेयक को ऐसे संस्थापनों पर भी लागू किया जाना चाहिये जिनमें पांच से कम कर्मचारी काम करते हों।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक का सदन ने स्वागत किया है और मैं भी इसका स्वागत करता हूं। इस देश में यातायात के क्षेत्र में मोटर ट्रांसपोर्ट अपना खास स्थान रखता है और वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे विधेयक की अति आवश्यकता थी और यह आया है, यह बहुत शुभ चिन्ह है।

इस विधेयक में जो सुविधायें दी गई हैं, वे मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज़ की योग्यता और एफिशेन्सी में वृद्धि करेंगी, यह आशा की जाती है। लेकिन और कुछ कहने से कब्ल मैं एक बात की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्करों को सब सुविधायें दी गई हैं, लेकिन उनकी क्या लायबिलिटी होगी, यह इस विधेयक में दिखाई नहीं देता है। मसलन ड्राइवर को ले लीजिए। एक मेडिकल अफसर रहेगा, जो यह टेस्ट करेगा कि कोई व्यक्ति एडालेसेंट है या नहीं। वह यह देखेगा कि किसी व्यक्ति की उम्र नियमों के अनसार ठीक है या नहीं और अगर वह उस उम्र से नीचे होगा, तो एम्पलायर को सज़ा होगी। लेकिन ड्राइवर की अवस्था क्या हो, उसकी आंख की दृष्टि कितनी हो, इसको टेस्ट करने की व्यवस्था कहीं नहीं रखी गई है। रेलवे में यह नियम है कि ड्राइवर के लिये एक टैस्ट रखा गया है कि वह नग्न आंख से इतनी दूर और चश्मा लगा कर इतनी दूर देख सकता है। मैं समझता हूं कि ड्राइवर के लिये कुछ पावंदी होनी चाहिये। अगर उसकी आंख में कोई कमी या दोष

है, तो उसको ड्राइवर के बजाये किसी और पद पर लगाया जाये। रेलवे के नियमों में यह व्यवस्था है कि अगर गार्ड और ड्राइवर की दृष्टि में कमी आ जाये, तो उनको उस पद से हटा कर उसी विभाग में कहीं अन्यत्र लगा दिया जाता है। उसको हटाया नहीं जाता है। उसको कोई और समकक्ष काम दे दिया जाता है। लेकिन उन को वह काम नहीं दिया जाता है, जिसमें उनकी दृष्टि की कमी के कारण लोगों को नुकसान होने की आशंका हो। हम देखते हैं कि बहुत सी मोटरों में स्पीड के रेगुलेटर लग गये हैं, लेकिन बावजूद इसके कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो रास्ता चलने वालों की गलती की वजह से एक्सीडेंट होता है और कभी कभी ड्राइवर द्वारा दूर की चीज़े न दिखने से भी एक्सीडेंट होता है। इसलिए इस विधेयक में ऐसा प्राविज़न होना चाहिये कि अगर ड्राइवर की आंख में कोई खराबी हो, तो .....

श्री आबिद अली : उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा।

श्री सिंहासन सिंह : लाइसेंस के लिये विधेयक में प्राविज़न नहीं है।

श्री आबिद अली : उसके लिये मोटर व्हीकल्ज़ एक्ट है।

श्री सिंहासन सिंह : वह तो ठीक है, लेकिन जिस तरह इस विधेयक में एडालैसेन्ट्स के सम्बन्ध में मेडिकल टैस्ट की व्यवस्था की गयी है, वैसे ही ड्राइवर के बारे में भी एम्पलायर को इस बात का जिम्मेदार ठहरा दिया जाये कि वे ऐसे आदमी को ही ड्राइवर के पद पर रखें, जिसकी दृष्टि सही हो।

इस विधेयक में दो तीन बातें वाकई स्वागत-योग्य हैं, जिनके सम्बन्ध में पहले वर्कर्ज़ को पहले बहुत तकलीफ़ थी। तकरीबन हर प्रदेश में रोडवेज़ चालू हो गये हैं, लेकिन वर्कर्ज़ के लिये रहने का कोई स्थान नहीं है। वे दूर दूर से आते हैं, लेकिन उनके लिये कहीं भी रेस्ट हाउस नहीं हैं। अब उनके लिये रेस्ट हाउसिज़ का प्राविज़न किया गया है। प्राईवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्ज़ की बात तो दरकिनार रही, सरकारी रोडवेज़ के वर्कर्ज़ के लिये भी ऐसी सुविधा नहीं है। अब तो सरकारी रूप से ही ट्रांसपोर्ट का ज्यादा काम हो रहा है। अगर वे हर जगह अपने टरमिनस पर रेस्ट-हाउस की सुविधा कर देते हैं, तो बड़ी सुविधा हो जायेगी।

इसी प्रकार कैन्टीन की सुविधा भी बड़ी अच्छी है। हमारे देश में जहां कहीं खाद्य पदार्थ मिलते हैं, वे शुद्ध नहीं मिलते हैं, हालांकि शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर जगह मिलावट है बावजूद फूड एडलट्रेशन एक्ट के और दूसरे कानूनों के, जिनकी कि कोई कमी नहीं है। यह ज़ाहिर है कि सही तरीके से उनका उपयोग नहीं होता है, या उन को उपयोग करने वाले अधिकारी उनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिये अगर कैन्टीज़ में शुद्धता की भावना हो, तो यह बहुत लाभदायक होगा। उसमें वर्कर्ज़ के रिप्रज़ेन्टेटिव्ज़ रहेंगे। अगर उनकी को-आपरेटिव सोसाइटी बना दी जाये, तो वहां से सस्ते दाम पर चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। हम ने रेलवे में देखा है कि जो चीज़ बाजार में दो तीन आने को मिलती है, वही चीज़ उससे आधे दाम पर और अच्छी क्वालिटी की उन की कैन्टीन से मिलती है। कैन्टीन की स्थापना वर्कर्ज़ के हित में है और संभव है कि यात्री भी उस को उपयोग कर सकेंगे। स्थान स्थान पर अच्छी कैन्टीन्ज़ बना दिये जाने के बाद यह भी व्यवस्था कर दी जाय कि यात्री भी वर्कर्ज़ की कैन्टीन को उपयोग में ला सकेंगे। इसमें यह कहा गया है कि कैन्टीन्ज़ वर्कर्ज़ के लिए हैं, लेकिन केवल वर्कर्ज़ के लिये वे क्यों रहें? यदि यात्रियों को भी उन्हें उपयोग करने का अधिकार हो, तो दोनों को अच्छी क्वालिटी की चीजें सस्ते दाम पर मिल सकती हैं। मैं समझता हूं कि कैन्टीन का विचार अच्छा है।

[श्री सिंहासन सिंह]

रेस्ट हाउसिज़ की व्यवस्था वर्कर्ज़ के लिये की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट ज़ोरों से डेवेलपमेंट कर रहा है और वह रेलवे से काम्पीटीशन कर रहा है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि यात्रियों के लिये भी रेस्ट हाउसिज़ की व्यवस्था की जाये। यद्यपि इसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जहां वर्कर्ज़ के लिये रेस्ट हाउस हों, वहां यात्रियों के लिये भी रेस्ट हाउस हों, तो और अच्छा हो सकता है और काम में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।

इस विधेयक में कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है, जिसका विरोध किया जाये। वर्कर्ज़ को सुविधायें पहुंचाने के लिये बड़ी व्यवस्था की गई है। अब वे लोग निश्चित नियमों से गवर्न होंगे और उनको छुट्टियां मिलेंगी। जहां तक आवर्ज़ आफ ड्यूटी का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि सम्बद्ध धाराओं में पहले आठ घंटे रखा गया है, फिर दस घंटे और फिर बारह घंटे। आठ घंटे की नार्मल ड्यूटी होगी। अगर कोई ख़ास बात हो गई, तो ड्यूटी दस घंटे की हो जायेगी, लेकिन दफा १६ में बारह घंटे का स्प्रैड ओवर रखा गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि दफा १३ में तो दस घंटे रखे गये हैं और कहा गया है कि इससे अधिक काम नहीं होगा, लेकिन दफा १६ में स्प्रैड ओवर को बारह घंटे कर दिया गया है। उसके अन्तर्गत एडल्ट्स के लिये बारह घंटे का स्प्रैड ओवर और एडालेसेंट्स के लिये नौ घंटे का स्प्रैड ओवर रखा गया है। दफा १४ में एडालेसेंट के लिये काम के घंटे छः रखे गये हैं और एडल्ट्स के लिये आठ घंटे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों का सम्बन्ध कैसे होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने जवाब में यह समझायें। दफा १३ में कहा गया है कि उस के काम के घंटे आठ से अधिक न होंगे, लेकिन कोई ख़ास काम होने पर दस घंटे तक काम हो सकता है। क्लाज़ १३ के दूसरे प्रावाइज़ो में यह कहा गया है कि टूट जाने, या बिगड़ जाने की अवस्था में ज्यादा घंटे काम लिया जा सकता है। उस की तो कोई बात नहीं है। इस के बाद दफ़ा १६ में इन्टरवल को मिला कर बारह घंटे का स्प्रैड ओवर रखा गया है। अब क्लाज़ १५ में यह है कि वह पांच घंटे तक काम करेगा और उसके बाद उसे आध घंटे का कम से कम इंटरवल दिया जाएगा और फिर आगे चल कर कहा गया है कि इंटरवल के साथ जो स्प्रैड ओवर होगा वह १२ घंटे से अधिक का नहीं होगा। आपने यह भी कहा है कि उससे अगर ज्यादा काम लिया जाएगा तो उसका वेज दुगुना हो जाएगा। यह चीज़ जो वर्कर के इंटिरेस्ट में है। लेकिन मालिक जो है वह कितना काम ले सकेगा, इसके बारे में कुछ साफ साफ तय होना चाहिये। क्लाजिज़ १३, १५ और १६ में मुझे कुछ भिन्नता मालूम देती है और इस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। १० घंटे और १२ घंटे में से कितना मालिक काम ले सकता है और क्या रेस्ट उसको मिलेगा, इसके बारे में समन्वय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको आप देखें।

अब मैं फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, एडोलसैंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपका इंस्पैक्टर जा कर किसी को भी कह सकता है कि तुम १८ बरस के नहीं हो, १६ के हो, डाक्टरी सर्टिफिकेट लाओ। आपने कहा है कि जो एडोलसेंट होगा, उसको सर्टिफिकेट लाना होगा जो कि डाक्टर का होगा। अब सर्टिफिकेट लाने के बाद जब वह भरती कर लिया जाता है तो उसके बाद भी आपका इंस्पैक्टर यह कह सकता है कि जाओ दुबारा एग्जेमिनेशन करवाओ। इससे मुझे डर है कि कुछ हैरेसमेंट होगा, इस का नाजायज़ फायदा उठाया जाएगा। आपने एक दफा रखी है कि वह सर्टिफिकेट लेकर आवेगा तभी उसको नौकरी दी जाएगी और जब इसके बाद उसको नौकरी दे दी जाती है और सर्टिफिकेट मौजूद है तो फिर उसके बाद भी आप क्यों इंस्पैक्टर को अधिकार दे रहे हैं कि वह चाहे तो मजबूर एम्प्लायर को कर सकता है कि उस आदमी का फिर से एग्जेमिनेशन करवाये। इसका

दुरुपयोग हो सकता है। १६ साल की उम्र के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि वह आदमी १६ साल का है या १८ साल का है या १९ साल का है। डाक्टर १८ साल के आदमी को १६ साल का और १६ साल के आदमी को १८ साल का कर सकते हैं। ऐसी हालत में इस धारा से कुछ दिक्कत पेश आएगी। आपको इस पर विचार करना है कि टैस्ट एक बार हो, बार बार टैस्ट की नौबत न आवे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): मैं इस विधान का स्वागत करता हूं क्योंकि यह मोटर कर्मचारियों की काफी समय से चली आ रही कुछ शिकायतों को दूर करता है। परन्तु इसके कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है। प्रथम बात तो यह है कि यह बात स्पष्ट नहीं है कि चालकों तथा दिल्ली से कलकत्ता जैसे लम्बे मार्गों पर चलने वाले सब कर्मचारियों के काम के घंटों का विनियमन कैसे किया जायगा। उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। अगर विधेयक में ऐसा करना संभव नहीं है तो यह व्यवस्था नियमों में की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह मामला भी काफी परेशान करने वाला सिद्ध होगा कि नौकरी में रखा हुआ कोई व्यक्ति किशोर वय का है अथवा नहीं। यह सिद्ध करने के मामले को लेकर अनेक विवाद पैदा होने की सम्भावना है। इसके केवल कर्मचारियों को ही नहीं प्रत्युत नियोजकों को भी परेशानी हो सकती है।

सरकार का वर्तमान रवैया यही है कि वह एक व्यक्ति को एक ही बस अथवा ट्रक के लिए लाइसेंस देती है ताकि कोई व्यक्ति एकाधिकार कायम न कर सके। स्वाभाविक है, कि नियोजक ५ से कम कर्मचारियों को नौकरी में रखेंगे। अतः, यदि इन उपबन्धों को और भी छोटे छोटे एककों पर लागू नहीं किया गया, तो बहुत से कर्मचारी इसके लाभों से वंचित रह जायेंगे। इसके अतिरिक्त अपरेन्टिस कर्मचारियों का प्रश्न है। अपरेन्टिस कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते, अतः बहुत से नियोजकों ने यह रवैया अपना रखा है कि वे अपने कंडक्टरों में से एक को अपरेन्टिस ही कहते हैं, चाहे वह ५ अथवा ६ वर्षों से काम करता आ रहा हो। ऐसी बातों को रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

यह बात भी स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि क्या इस उद्योग में उत्पन्न होने वाले विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन बने न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जायेगा।

बहुत से मालिक चालकों को ठेके पर रख लेते हैं। अर्थात् वे इस शर्त पर रखे जाते हैं कि वे कलकत्ता से दिल्ली व दिल्ली से कलकत्ता तक वापस आयेंगे और इसके लिए उन्हें कुछ धन दे दिया जाता है। और इस प्रकार वे महीनों तक काम करते हैं। लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं रखा जाता। इस प्रकार ऐसा करके उन्हें उन लाभों से वंचित रखा जाता है जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं। अतः इस विधेयक के अधीन नियम बनाते समय इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि जो लाभ हम उन परिवहन कर्मचारियों को देना चाहते हैं, ये कहीं इससे वंचित ही न हो जायं। इस सम्बन्ध में सावधान रहने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

इस विधेयक के लिए मैं माननीय मंत्री जी और संयुक्त प्रवर समिति को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो पहले विधेयक प्रस्तुत किया था उसमें काफी कुछ सुधार और संशोधन किए हैं। मैं केवल एक बात को माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस बिल की १३वीं धारा में काम करने के घंटों का विवरण दिया गया है । उसमें यह अन्तर नहीं बताया गया है कि पहाड़ों में जो मोटर चलाते हैं, उनके काम के क्या घंटे होंगे । उनको मोटर चलाते वक्त संकट का सामना करना पड़ा है । जो माननीय सदस्य बद्रीनाथ या केदारनाथ तशरीफ ले गए हैं, वे इस बात के साक्षी होंगे कि हिमालय की घाटी में और चोटियों पर मोटर चलाना एक तरह से मौत को नियंत्रण देने के समान है। प्रत्येक मोड़ पर मृत्यु मुंह बाये खड़ी रहती है, इसलिये वहां के कर्मचारियों के लिये भी वही काम के घंटे रखना या वही सेवा की शर्तें रखना, मैं समझता हूं, अधिक न्यायपूर्ण नहीं है । इस सम्बन्ध में मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि जो आल इंडिया नेशनल फेडरेशन आफ रोड ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स है, उसने अपनी गवाही में इस बात पर जोर दिया था उनके काम के घंटों में अन्तर रक्खा जाय और कमेटी में भी इस पर काफी बहस हुई थी । मुझे बता नहीं किन कारणों से सब बातों पर विचार करने के बाद यह अन्तर नहीं रक्खा गया । मैं माननीय मंत्री महोदय से खास तौर पर अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पहाड़ों पर मोटर व्यवसाय में काम करने वाले हैं उनके लिये आवश्यक है कि मूल धारा में कुछ संशोधन किया जाय, या इसमें जो रूल मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है उस के अन्दर ऐसी व्यवस्था की जाय कि आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन किया जायेगा । इसलिये मैं सदन का अधिक समय न ले कर मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वे अपनी ओर से उचित समझें तो रूल मेकिंग पावर्स में ऐसी व्यवस्था करें कि जहां पर इस तरह की परिस्थितियां हों वहां केन्द्रीय सरकार के आदेश से राज्य सरकारें इस तरह की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगी, ताकि यह जो बड़ा भारी संकट है वह दूर हो सके ।

इस सम्बन्ध में मैं देश भर में जो मोटर व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वे इतने परिश्रम से कार्य करते हैं। आज मोटर का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ वह महत्व और भी बढ़ता जा रहा है । मुझे बहुत से मोटर कर्मचारियों से बातचीत करने का मौका मिला । मैं जानता हूं कि उनके अन्दर बहुत सी कमियां हैं। कई बार यह कहा जाता है कि शराब पीने की वजह से मोटर का ऐक्सिडेंट हुआ । ऐसे केसेज हो जाया करते हैं यह ठीक है, लेकिन जब मैं ने उनसे बातें कीं तो अपना तर्क देते हुए उन का कहना था कि वे दिन भर काम करने के बाद बहुत थक जाते हैं और जब वे चारपाई पर लेटने जाते हैं तो लेटते नहीं, गिर पड़ते हैं । वे इतने अधिक थक जाते हैं । इसलिये बाज वक्त इस थकान को दूर करने के लिये उनको कोई न कोई मनोरंजन करना पड़ता है । यह उन का तर्क है । मैं उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनको इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है । इसलिये उन के काम की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, और इसके लिये यदि आवश्यक हो तो कानून में भी संशोधन किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि ड्राइवरों का काम बहुत कठोर होता है । लगातार यह काम करते रहने से

---

†मूल अंग्रेजी में

उनकी जीवन अवधि काफी कम हो जाती है। मन्त्रालय को इस तथ्य की छानबीन करनी चाहिए। यदि यह बात सही है तो उनको कुछ विशेष लाभ देने की बात सोची जानी चाहिये।

खण्ड ४ में चीफ इंसपेक्टर अथवा इन्सपेक्टरों की योग्यताओं के बारे में कोई भी संकेत नहीं किया गया है। साथ ही उन्हें बहुत व्यापक अधिकार दिये गये हैं—यहां तक कि वे तलाशी आदि के लिये निजी मकानों में भी घुस सकते हैं। ये अधिकार उन्हें दण्ड संहिता के अधीन दिये गये हैं। इन व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग होने की पूरी सम्भावना है। इस सम्बन्ध में काफी सावधानी बरती जानी चाहिये। मैं यह तो नहीं कहता कि ऐसे उपबन्ध नहीं होने चाहियें क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक हैं। मेरा निवेदन तो केवल यही है कि इस सम्बन्ध में जब नियम इत्यादि बनाये जायं तो जो योग्यतायें उनके लिये निर्धारित की जायं, वे काफी उच्चकोटि की होनी चाहियें।

एक बात बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं कि दूर दूर के स्थानों तक जाने वाले ट्रकों, जिनकी दूरी कभी कभी ५ अथवा ६ सौ मील से भी अधिक होती है—के मामलों में इन उपबन्धों को कैसे लागू किया जायेगा। क्या ऐसे दूरस्थ स्थानों पर विश्रामगृह बनवाना किसी मालिक के लिए सम्भव होगा। मुझे इसमें सन्देह है। जबकि उपबन्धों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि रात को आराम करने के लिये उन्हें सुविधा दी जाये। दूसरी बात यह है कि ये विश्रामगृह कितनी कितनी दूरी पर बनाये जायेंगे। इन सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रीमान्, मैं प्रसन्न हूं कि इस विधेयक को सभा के सभी पक्षों का समर्थन मिला है जबकि यह अपने प्रकार का पहला विधेयक है। जैसा कि मैं अपने प्रारम्भिक भाषण में बता चुका हूं यद्यपि संयुक्त समिति में इस विधेयक के बारे में कितने ही संशोधन आये थे लेकिन वहां पर हुए विवाद से माननीय सदस्यों को विश्वास हो गया था कि इस विधेयक के अधिकांश उपबन्धों की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि यह विधेयक कारखानों के बारे में न होकर परिवहन उद्योग के बारे में है। इसी विचार से इसमें काम के घण्टों के फैलाव की व्यवस्था की गई है।

प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पण अवश्य दिये हैं परन्तु मेरी राय में यह एक औपचारिकता मात्र ही है क्योंकि उन्होंने भी अपने दृष्टिकोण की पुष्टि के लिये कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

इस विधेयक को लागू करने की तिथि के सम्बन्ध में यहां कहा गया है कि यह अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९६१ तक कभी भी लागू कर दिया जायेगा। ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकारों का ३१ दिसम्बर तक प्रतीक्षा करना ज़रूरी है। यदि कोई राज्य सरकार इसके उपबन्धों के अधीन अपेक्षित व्यवस्था और नियम पहले ही बना लेगी तो वह राज्य उसे पहले ही लागू कर सकता है। ३१ दिसम्बर, १९६१ तो हमने अन्तिम तिथि रखी है कि इस तिथि तक सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर देंगी। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है इसके उपबन्धों को लागू करने के लिये विशद व्यवस्था करनी होगी। हमने नियम बनाने शुरू कर दिये हैं और ज्यूंही वह बन कर तैयार हो जायेंगे वह राज्य सरकारों को भेज दिये जायेंगे और आगे का काम शुरू हो जायेगा।

यह बताया गया कि अधिनियम के लागू होने से पहले ही सम्भव है कुछ यूनिट अपना विभाजन कर लें। बागान श्रमिक अधिनियम के बारे में हमें अनुभव है कि बाद में इसी कारण

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री आबिद अली]

उसका संशोधन हमें करना पड़ा था, इसीलिये हमने इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी है कि राज्य सरकारें, अधिसूचना के द्वारा थोड़े कर्मचारियों अर्थात् ५ से अधिक कर्मचारियों वाले उपक्रमों पर भी इसे लागू कर सकती हैं राज्य सरकारों को यह अधिकार देने के कारण मैं समझता हूं कि कोई भी मालिक ऐसा करने का प्रयत्न नहीं करेगा।

यह कहा गया कि राज्य सरकारें इसको लागू करने के लिये अधिक उत्सुक नहीं हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य में यह पता लगा है कि सौभाग्य से अधिकांश स्थानों पर स्थिति उससे अच्छी है जिसको दृष्टि में रख कर विधेयक में उपबन्ध किये गये हैं। पहले बम्बई राज्य में, जो अब महाराष्ट्र तथा गुजरात में विभाजित हो गया है, कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अच्छी थीं इसलिये जिन राज्य सरकारों के पास बहुत मोटरें हैं और जिनमें बहुत से कर्मचारी नियुक्त हैं, वहां ये लोग ससंगठित हैं और अपने संगठनों के ज़रिये वे अपने लिये उचित व्यवस्था करवा सके हैं। समस्त देश के लिये अधिनियम बनाते समय हमें समस्त देश की जरुरतों का ध्यान रखना आवश्यक है, केवल बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता की स्थिति का ही ध्यान नहीं रखना है।

काम के फैलाव की अवधि बारह घंटे रखने के बारे में बताया गया कि कहीं कहीं पर छोटे नगरों से मोटरें शहरों में, आफिस में काम करने के लिये व्यक्तियों को लाती हैं। वहां पर वह सारे दिन रहती हैं और शाम को लौट कर जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में आना जाना नौ तथा ग्यारह बजे के बीच में बहुत रहता है। इस अवधि में गाड़ियां ८ बजे गैराज से निकाली जाती हैं तथा मध्याह्न के समय गैराज में वापस पहुंचाई जाती हैं। इसी प्रकार मध्याह्न पश्चात् ४ बजे गाड़ियां बाहर लाई जाती हैं और ८ बजे रात में गैराज में वापस ले जाई जाती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस स्थिति को नहीं समझा है । यह बात नहीं है कि कर्मचारियों को बारह घंटे काम करना पड़ता है। साधारणतः उनको आठ घंटे से अधिक के लिये काम पर नहीं लगाया जाता है। काम के बारह घंटों के फैलाव में आठ घंटे काम तथा ४ घंटों का विश्राम शामिल होता है।

मेरा परिवहन कर्मचारियों के संघों से सम्बन्ध रहा है। हमारा हमेशा यही सुझाव रहा है कि काम के घंटों का जब भी फैलाव किया जाये तो बीच की अवधि थोड़ी नहीं होनी चाहिये। क्योंकि मान लीजिये यदि बारह बजे मुझे काम से छुट्टी मिली और १ बजे अथवा २ बजे काम पर आने को कहा गया तो मैं यह एक या दो घंटे डिपो के निकट बरबाद ही करूंगा। परन्तु यदि चार घंटों का विश्राम का समय है तो मैं बारह बजे घर जाकर ४ बजे काम पर लौट सकूंगा। इसीलिये हमारा यह विचार है कि या तो काम के बीच में कोई छुट्टी न दी जाये या छुड्टी दी जाये तो अधिक समय के लिये दी जाये। उस विचार से और जनता की जरूरतों को देखते हुए हमने यह आवश्यक समझा कि काम के घंटों का फैलाव बारह घंटे रखना जरूरी है।

मेरे माननीय मित्र ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने काम के आठ घंटे ही स्वीकार किये हैं तथा विधेयक में साप्ताहिक अड़तालीस घंटों की व्यवस्था रखी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी समस्त विश्व में प्रचलित व्यवस्था के आधार पर तथा जनता की तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं के आधार पर काम के घंटों का फैलाव बारह घंटे रखना ही ठीक बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका अधिक काम का भत्ता भी सामान्य दर से १½ गुने से कम नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्यों को इसलिये समझना चाहिये कि हम प्रगतिशील भी हैं।

मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने। उनसे मुझे यह पता लगा कि माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी है। उनका सम्भवतया यह विचार है कि यह अधिनियम केवल कर्मचारियों की आवश्यकताओं उनके कल्याण, काम के घंटों आदि के लिये ही है। हम हाल में ही मोटरगाड़ी अधिनियम पारित कर चुके हैं जिसमें ड्राइवरों, कन्डक्टरों के लाइसेंसों, और लाइसेंसों के लिये गाड़ियों उपयुक्तता आदि की व्यवस्था है। इसीलिये हमने उन उपबन्धों को दोबारा इसमें नहीं रखा है। लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी ड्राइवर न बनने योग्य व्यक्ति को अनर्ह कर सकता है। अपराधी अथवा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देना अस्वीकार किया जा सकता है। इसीलिये उन बातों को इस विधेयक में नहीं रखा गया है।

यह बताया गया कि किशोरावस्था वाले किसी व्यक्ति को यदि लाइसेंस मिल जाता है तो इंस्पैक्टर को उसे तंग नहीं करना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। परन्तु हमने यह व्यवस्था रखी है कि यदि मालिक की राय के अनुसार किसी व्यक्ति को वयस्क के रूप में नियुक्त किया गया है परन्तु इंस्पैक्टर यह समझता है कि वह व्यक्ति किशोर है तो फैसला सर्जन करेगा। किसी व्यक्ति को तंग करने का उद्देश्य नहीं है। ऐसे मामलों में उपबन्धों का पालन कराया जाता है। परन्तु यदि सभा यह चाहती हो कि इसके बारे में कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने को वयस्क बताता है और मालिक भी ऐसा ही समझ कर उसे नौकर रख लेता है तो इंस्पैक्टर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभा ऐसी राय दे हम उसका निस्सन्देह अनुसरण करेंगे।

जहां तक काम के घंटों का सवाल है, यह सच है कि कारखाना अधिनियम में १०½ घंटों की व्यवस्था है। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं।

छुट्टियों का जिक्र किया गया। इसके बारे में हमने कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, तथा बागान श्रमिक अधिनियम आदि के अनुसार ही व्यवस्था की है। इनमें वयस्क के लिए १६ दिन, बच्चों के लिए २१ दिन तथा खान के ऊपर काम करने वालों के लिए १६ दिन की व्यवस्था है। बागान श्रमिक अधिनियम में भी वयस्कों के लिए १६ दिन और बच्चों के लिए २१ दिन की व्यवस्था है। हमने भी यहां इसी व्यवस्था का अनुसरण किया है।

यह सुझाव दिया गया कि कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी इसे लागू करना चाहिए। खण्ड २(ज) में क्लर्कों के बारे में व्यवस्था है। ऐसा विचार है कि मोटर परिवहन उद्योग में लगे हुए सभी कर्मचारियों पर या तो यह अधिनियम अथवा दूकान और स्थापना अधिनियम अथवा कारखाना अधिनियम लागू होना चाहिए।

मील भत्ते के बारे में मैं अपने मित्र से सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार अधिक काम के लिये कहीं पर भी मील भत्ता नहीं दिया जाता है। परन्तु देश में किसी स्थान पर यदि मील भत्ता मिलाकर अधिक काम का भत्ता दिया जाता है तो खण्ड ३७ के अधीन उस स्थान पर ऐसी ही व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उसमें स्पष्टतः दिया है कि कर्मचारियों की अच्छी दशा सुधारी ही जायेगी, वर्तमान सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जायेगी।

पहाड़ी स्थानों पर परिवहन सेवाओं के कर्मचारियों के बारे में मेरा अपना अनुभव है कि वह बड़ा कठिन काम करते हैं और बड़े सावधान रहते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पहाड़ों पर दुर्घटनायें मैदानों की अपेक्षा कम होती हैं। वहां के ड्राइवर जानते हैं कि यदि जरा सी असावधानी हुई तो वह खड्ड में गिर जायेंगे और परलोक सिधार जायेंगे।

[श्री आबिद अली]

विधेयक में व्यवस्था है कि कोई भी ५ घंटे से अधिक मोटर नहीं चलायेगा। यह संतोषजनक व्यवस्था है।

लम्बी दूरी की सेवा का प्रश्न उठाया गया। हमें पता है कि लम्बी दूरी के मालवाही ट्रकों में दो ड्राइवर रहते हैं। अथवा उचित दूरी के बाद उनको छट्टी दे दी जाती है जिससे उनको विश्राम मिल सके। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद किसी व्यक्ति से भी निर्धारित घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस समय मोटर परिवहन अधिनियम में काम के घंटे नौ हैं जिन को घटा कर आठ घंटे कर दिया गया है। शहरी सेवाओं, लम्बी दूरी की यात्रा सेवाओं तथा माल सेवाओं के बारे में मूल विधेयक में परिवर्तन समिति में बहुत सोच विचार के बाद किये गये हैं और इन को सभी ने प्रगतिशील माना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके काम की दशा को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से १५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १६ (काम के घंटों का फैलाव)

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान्, मेरा अमेंडमेंट यह है कि ज्वायंट स्लेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो बारह घंटे का स्प्रैड ओवर रखा गया है वह घटा कर साढ़े दस घंटे कर दिया जाये। फैक्ट्री एक्ट में भी साढ़े दस घंटे का स्प्रैड ओवर रखा गया है और यह सर्विस भी उसी प्रकार का एक उद्योग है।

उपाध्यक्ष महोदय : बारह घंटे का अन्दाज़ा तो बग़ैर घड़ी के भी लग जायेगा। साढ़े दस घंटे के लिए इतनी घड़ियां चाहिएं कि बहुत रुपया ख़र्च होगा।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : इस सम्बन्ध में कुछ ग़लतफ़हमी हो रही है। बारह घंटे का स्प्रैड ओवर ऐसी सर्विसिज़ में हो सकता है, जिन्होंने अपने यहां पर वर्कर्ज़ के रहने की क्वार्टर्स की व्यवस्था की हो। मोटर ट्रांस्पोर्ट सर्विस ऐसी है कि वर्कर को एक स्थान से १२० मील दूर तक प्रतिदिन गाड़ी ले जाना पड़ता है। ऐसी हालत में चार घंटे का बीच में जो ब्रेक डाउन स्प्रैड ओवर किया जाता है, तो वे चार घंटे वर्कर के वेस्ट होते हैं। बल्कि उस को इस व्यवस्था से ज्यादा खर्च भी करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां दिल्ली में डिपो निज़ामुद्दीन में है और वर्कर्ज़ फ़रीदाबाद से आते हैं और डिपो से बस लेकर वे चलते हैं। अगर बीच में चार घंटे का ब्रैक डाउन हुआ और स्प्रैड ओवर किया गया, तो उस में फ़रीदाबाद से आने के लिए एक घंटा और यहां से फ़रीदाबाद जाने के लिए एक घंटा लगता है। माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि वे बस में आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह जब वे डिपो पर सर्विस पर आते हैं, तो उन के लिए बस नहीं होती है। वे रेल में आते हैं और डिपो पर आ कर बस स्टार्ट करते हैं। इस तरह उन को आने जाने का खर्चा भी बहुत देना पड़ता है। जिन ग़रीब लोगों को कम वेतन मिलता है, उन के पास इतना पैसा नहीं है कि वे बड़े बड़े शहरों में डिपो के पास मकान ले कर रह सकें। इसलिए वे लोग शहरों से दूर रहते हैं। इसी तरह बम्बई में डिपो माटुंगा में है और वर्कर कल्याण से आते हैं। वे कल्याण से गाड़ी में बैठ कर आते हैं और माटुंगा में बस लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर चार घंटे का ब्रेक डाउन हुआ और बीच में स्प्रैड ओवर किया गया, तो कल्याण से आने के लिए एक घंटा और वापस जाने के लिए एक घंटा चाहिए। आठ घंटे ड्यूटी के, चार घंटे स्प्रैड ओवर के, सुबह एक घंटा ड्यूटी पर आने का और शाम को एक घंटा वापस जाने का, इस प्रकार आठ और छः, चौदह घंटे की ड्यूटी हो जाती है। इस स्थिति में वे क्या घर में बाल-बच्चों को सम्भाल सकते हैं और क्या नींद ले सकते हैं ?

इस बारे में आई० एल० ओ० के कन्वेन्शन की बात की गई है। दरअस्ल आई० एल० ओ० के बहुत से कन्वेन्शन्ज़ ऐसे हैं, जिन का हम पालन नहीं कर रहे हैं। इस के साथ ही उन लोगों के रहने की व्यवस्था भी डिपो के पास ही बराबर होनी चाहिए। मैं ने ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी में भी इस बात को समझाने की कोशिश की। यह बात तमाम माननीय सदस्यों के गले उतरती थी। एविडेंस में भी न तो एम्पलायर्ज़ की तरफ़ से और न एम्पलाईज़ की तरफ़ से यह मांग की गई कि बारह घंटे का स्प्रैड ओवर होना चाहिए। बल्कि एम्पलाईज़ की तरफ़ से यह कहा गया कि हम ने एग्रीमेंट से साढ़े दस घंटे स्प्रैड ओवर किये हैं। एक जगह साढ़े दस घंटे का स्प्रैड ओवर हो रहा है और दूसरी जगह कानून के द्वारा, जहां एग्रीमेंट नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है, बारह घंटे का स्प्रैड ओवर होगा। जहां यूनियन है और एग्रीमेंट कर लिया गया है, वहां साढ़े दस घंटे का स्प्रैड ओवर है। मेरा निवेदन है कि वर्कर्ज़ में इस तरह का भेद नहीं होने देना चाहिए। जब न्याय करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्कर्ज़ की काम की शर्तों में यह भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ने रिपोर्ट में भी अपना नोट आफ़ डिसेंट दिया है। उसको यहां पर पढ़ कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह माननीय सदस्यों के सामने रिपोर्ट में है। माननीय मंत्री जी बरसों तक रोड ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज़ यूनियन के प्रेज़िडेंट के नाते काम करते रहे हैं। वह उन के लिए लड़े हैं उन्होंने स्ट्राइक कराई और सब काम उन के हित में किये। वह उन सर्विसिज़ में डायरेक्टर भी रहे हैं। मैं भी ट्रांस्पोर्ट यूनियन का वर्कर हूं। कईयों का मैं प्रेज़िडेंट हूं। मैं एक ट्रड यूनियन वर्कर के तौर पर काम कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने भी स्ट्राइक कराई या नहीं ?

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं ने अपने जीवन में एक स्ट्राइक कराई, जो दस महीने चली, जिस में श्री नन्दा जी खुद पिकटिंग करते थे। और स्ट्राइक भी ऐसी वैसी मिल में नहीं कराई, अहमदाबाद के बैरोनेट, सर चीनूभाई बरोनेट, की मिल में कराई। गांधी जी ने स्वयं कहा कि यह मामला पंच के सामने जाना चाहिए। मालिक पंच के सामने नहीं गया और वह मिल हमेशा के लिए बन्द हो गई। मेरा निवेदन है कि स्ट्राइक कराओ, लड़ना है, तो बहादुर की तरह लड़ो, यह नहीं कि

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

कायरों की तरह से हड़ताल करा दी, दूसरों को बहका कर पत्थर फेंकवाये, मारपीट कराई । यह हमारा काम नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम हड़ताल में नहीं, पंच में विश्वास रखते हैं ।

अगर माननीय मंत्री जी चाहें कि उन्हें इसका कुछ और तजुर्बा लेना है, कुछ जानकारी लेनी हैं, तो मैं विचारों की हिंसा नहीं करूंगा । मैं अपनी अमेंडमेंट को वापस लेने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे माननीय मंत्री जी की ओर से आश्वासन दिलाया जाये कि इस विषय में जानकारी लेकर उचित कदम उठाया जायगा, श्रमिकों में भेद नहीं होगा, उन के साथ इंसाफ किया जायगा और बाद में अमेंडमेंट ला कर स्प्रैड ओवर को साढ़े दस घंटे किया जायेगा ।

इस निवेदन के साथ मैं कहूंगा कि या तो मेरे इस अमेंडमेंट को मन्जर कर लिया जाये, या मुझे इस बारे में आश्वासन दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि या तो उन के अमेंडमेंट को मान लिया जाये, या वह वापस लेते हैं ।

श्री आबिद अली : इस बारे में भेद जरूर रहेगा । मैं इस बारे में अर्ज कर चुका हूं कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक भिन्न भिन्न दस्तूर और तरीके चल रहे हैं । यह भी सही नहीं है कि ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी के सामने यह बात नहीं आई थी । वहां यह कहा गया कि बारह घंटे का स्प्रैड ओवर होना चाहिये क्योंकि बगैर इस के कई सिटीज़ में ट्रांस्पोर्ट सर्विस नहीं चल सकती है, असम्भव है । यह भी नहीं है कि एम्पलायर ही यह स्प्रैड ओवर रखना चाहते हैं । जहां मजबूरी है, वहां वे रखेंगे और जहां मजबूरी नहीं है, वहां वे कम करेंगे । यह अनुभव है और कई जगह एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और एम्पलायर्ज भी चाहते हैं कि खास तौर पर लांग डिस्टेंस सर्विसिज़ में स्प्रैड ओवर ज़रा कम ही होता है । उम्मीद है कि जो कुछ मैं ने अभी अर्ज़ किया है और जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं और ज्वायंट कमेटी में जिस तरीके से इस बारे में बहस हुई थी, जहां यह बात बिल्कुल सर्वसम्मति से मंज़ूर हुई थी, उस की कद्र करते हुए माननीय सदस्य अपनी अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, उस को दृष्टि में रखते हुए मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हाउस की तरफ़ से माननीय सदस्य को यह अमेंडमेंट वापस लेने की इजाज़त है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ से २५ विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ से २५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २६—(अधिक-काम के लिए अतिरिक्त मजूरी)

†श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से मेरा यह संशोधन इसी प्रकार का है जिस प्रकार का कि स्प्रैड ओवर का था । शायद इसे समझने में कुछ गलतफहमी हो रही है क्योंकि पेमेंट आफ वेजिज़ एक्ट के अन्दर जो वेतन की व्याख्या की गई है, उसमें माइलेज एलाउंस नहीं आता । जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कोचीन का एक मामला हाई कोर्ट के सामने गया था । उन्होंने माइलेज एलाउंस जो है उसको वेतन की व्यवस्था में शामिल नहीं किया । आज हालत यह है कि इस व्यवसाय में कई जगह श्रमिकों को माइलेज एलाउंस मिलता है और माइलेज एलाउंस भी इस तरह से मिलता है कि दूसरों को वेतन और डीयरनेस एलाउंस जो मिलता है, उन दोनों को मिला कर जो रकम होती है उनके बराबर ही माइलेज एलाउंस सहित उसका वेतन पड़ जाता है । दोनों प्रकार के वेतन पाने वाले एक बराबरी में, समानता में आने के हिसाब से वह मिलता है । मेरे प्रदेश में गवर्नमेंट की दो सर्विसिस हैं । एक मध्य भारत की है जिसका नाम मध्य भारत रोडवेज़ है और दूसरा जो हिस्सा महा कौशल का आया वहां पर सी० पी० टी० ऐस० है । अब जो हमारे यहां मध्य भारत का हिस्सा है उसमें रोडवेज़ है और वहां वेतन और डियरनेस एलाउंस मिलता है । दूसरे को वेतन माइलेज एलाउंस और डियरनेस एलाउंस कहीं कहीं वेतन और माइलेज एलाउंस किन्तु सब रकम तीनों प्रकार से जो प्रत्येक को मिलती है बराबर होती है । मसलन एक बर्कर को अगर ४५ रुपये वेतन मिलता है तो ३५ रुपये डी० ए० मिलता है इस तरह से उसको ८० रुपये मासिक मिले ।

अब जिस को ८० रुपये मिलते हैं अगर उस को ओवर-टाइम काम करना पड़ता है तो ८० रुपये के हिसाब से डबल वेतन उस को ओवर टाइम का मिलेगा ।

जो दूसरा वर्कर है, उस को मान लीजिये ४७ रुपये मासिक है और उस का महंगाई भत्ता नहीं है लेकिन एक नया पैसा प्रतिमील उस को माइलेज अलाउंस मिलता है । अगर वह १२० या १२५ मील रोज़ाना गाड़ी ले जाता है, तो उस का टोटल मासिक वेतन भी ८० रुपये हो जाता है । इसी प्रकार के एक और वर्कर हैं जिस को ४२ रुपये वेतन मिलता है, १५ रुपये उस को एलाउंस के तौर पर मिलता है और ६० मील के ऊपर जब वह गाड़ी ले जाता है तो ६० मील के बाद एक नया पैसा प्रति मील के हिसाब से उस को माइलेज एलाउंस मिलता है, इस तरह से उस का भी मासिक वेतन ८० रुपये टोटल हो जाता है । अब इस कानून के हिसाब से ओवर टाइम का जब पैसा मिलेगा तो जिस को माइलेज एलाउंस नहीं मिलता है, टोटल ८० रुपये मासिक वेतन ही मिलता है उस को तो ८० रुपये के हिसाब से मिलेगा लेकिन दूसरे को जिसे माइलेज एलाउंस मिलता है, उसे ४७ रुपये के हिसाब से ओवर-टाइम का पैसा मिलेगा और तीसरे को जिसे १५ रुपये एलाउंस मिलता है और ४२ रुपये वेतन मिलता है उसे ५७ रुपये के हिसाब से ही ओवर-टाइम का पैसा मिलेगा । अब हम देखें कि यह कितनी बेइंसाफी की बात है कि जिन तीनों को बराबर वेतन मिलता है, एक सा तीनों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

को काम करना पड़ता है, लेकिन उन तीनों को ओवर-टाइम अलग अलग हिसाब से मिलेगा। अभी उन से ओवर-टाइम काम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यह कानून बन जाने के बाद गवर्नमेंट उन से ओवर-टाइम काम लेना शुरू कर दिया जायगा। एक सा वेतन पाने वाले, एक सा काम करने वाले और एक सा ही ओवर-टाइम देने वालों को अलग अलग ओवर-टाइम एलाउंस मिलेगा। अगर कोई ज्यादा काम करता है तो उस को ज्यादा पैसे ओवर-टाइम के मिलेंगे लेकिन एक को कम दूसरे को ज्यादा इस प्रकार से उन के साथ अन्याय होगा। किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, केवल मेरे प्रदेश में ही है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं आप ऐसी व्यवस्था करें कि उन के साथ अन्याय न हो और यह तभी हो सकता है जबकि माइलेज एलाउंस को वेतन की व्याख्या में डाला जाय और उस हिसाब से उन को ओवर-टाइम दिया जाय।

श्री आबिद अली : ज्वायंट कमेटी में भी माननीय सदस्य ने इस बारे में काफी जोर दिया था और अब भी जो उन्हों ने फरमाया है वह बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं माइलेज एलाउंस है और ओवर-टाइम एलाउंस देते वक्त उस को भी वेतन में शामिल किया जाना चाहिये। इस बिल के पास होने के बाद आशा तो हमारी यही है कि वर्कर्स की हालत सुधरे और आज जो उन्हें मिल रहा है उस से ज्यादा ही मिले और अगर ज्यादा नहीं मिल सकता है तो ऐसा न हो कि कम मिले। इस की वजह से अगर कहीं नुक्सान हो तो मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य हमें बतायें हम जरूर उन की सेवा करेंगे, नुक्सान नहीं होने देंगे।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है और आश्वासन दिया है उस को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७ से ४० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २७ से ४० विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री आबिद अली : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जावे "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निवेली लिगनाइट निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†श्री तंगामणि (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वह सभा निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे सहित, पर—जो २९ फरवरी, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

यह निवेली लिगलाइट निगम का तीसरा प्रतिवेदन है । जब पहला प्रतिवेदन पेश किया गया था तो माननीय सदस्यों ने यह असंतोष व्यक्त किया था कि प्रतिवेदन बहुत समय बीत जाने के पश्चात् सभा में रखे जाते हैं । इस पर माननीय मंत्री ने यह कहा था कि वह शीघ्रता करने का प्रयत्न करेंगे । परन्तु यह प्रतिवेदन फरवरी में सभा में रखा गया जबकि लेखा वर्ष जुलाई में ही खत्म हो गया था । मेरा निवेदन है कि अब तक चौथा प्रतिवेदन (वर्ष १९५९-६०) भी सभा में पेश हो जाना चाहिये था ताकि हमें यह मालूम हो सकता कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अन्त तक की क्या प्रगति है । इसलिये मेरा सुझाव है कि कम से कम अगले वर्ष १९६०-६१ का प्रतिवेदन १९६१ के अन्त के पूर्व सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय ।

निवेली परियोजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना है जिस पर दक्षिणी क्षेत्र की समस्त औद्योगिक आशायें केन्द्रित हैं । इस का महत्व खास तौर से इसलिये है कि यह एक एकीकृत परियोजना है जिस के साथ उर्वरक संयंत्र, तापीय बिजली संयंत्र तथा कार्बनाइजिंग संयंत्र आदि जैसे अन्य उद्योग भी सम्बद्ध हैं ।

मुझे पहले प्रतिवेदन पर भी बोलने का अवसर मिला था और मैंने यह कहा था कि हम कार्य की गति से संतुष्ट नहीं हैं,चाहे वह खनन् से संबंधित हो अथवा अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं से । पहले हम खनन के प्रश्न को लेंगे । वैसे तो हमारे देश में अन्य भागों में भी लिगनाइट मौजूद है परन्तु अभी उस के निकालने का कार्य केवल दक्षिण में ही प्रारम्भ किया गया है । मद्रास सरकार के अनुमान के अनसार निवेली में २०००० लाख टन लिग्नाइट निकलने की संभावना है । मूल परियोजना के प्रतिवेदन के अनुसार हमें आशा थी कि प्रतिवर्ष ३५ लाख टन लिग्नाइट निकाला जायगा । परन्तु पिछले अवसर पर माननीय मंत्री ने यह कहा था कि इसे बढ़ा कर ७० लाख टन के लगभग कर दिया जायगा । पर अब उन्हों ने यह कहा है कि यदि केवल ४० लाख टन लिगनाइट निकाला गया तो इस से ही उन्हें सन्तोष हो जायगा । इसलिये हम यह जानना चाहेंगे कि कितना लिगनाइट निकालने का विचार है क्योंकि इसी बात पर अन्य कई सम्बद्ध उद्योग भी निर्भर हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

जहां तक खुदाई का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री द्वारा ८ दिसम्बर, १९६० को अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक में दिये गये वक्तव्य से पता लगता है कि ऊपर की तह हटाने में १५० फीट की गहराई तक पहुंचा जा चुका है और जून या जुलाई,१९६१ तक लिगनाइट की पर्त दिखाई पड़ने लगेगी और लिगनाइट निकाला जा सकेगा। यहां मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक १०० या ११० लाख घन गज मिट्टी हटाई जा सकी है जब कि मूलतः हम २७० लाख घन गज मिट्टी हटाना चाहते थे। इसलिये हमें यह स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिये कि हम अपने लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा हम खानों की खुदाई नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी संकेत करना चाहता हूं कि जब तक कार्बनसाजी और चूरे से ईंटें बनाने का संयंत्र, तापीय बिजली संयंत्र और उर्वरक संयंत्र चालू नहीं हो जाते तब तक खानों की खुदाई का कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि हम खानों की खुदाई किस तारीख तक शुरू कर सकेंगे ?

जहां तक इस लिगनाइट की सहायता से दक्षिण भारत में एक इस्पात कारखाना बनाने की संभावना का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाना है। उन्होंने १००० टन लिग्नाइट पूर्वी जर्मनी भेजने के लिये कहा है ताकि यह परीक्षण हो सके। इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने पर माननीय मंत्री ने कहा कि उसके भेजने में कम से कम छै महीने लगेंगे अर्थात् १९६१ के मध्य तक ही यह कार्य किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि यह बात सर्वथा स्पष्ट की जाए कि क्या हम १९६१ के मध्य तक १००० टन लिगनाइट परीक्षण प्रयोजन के लिए पूर्वी जर्मनी भेज सकेंगे क्योंकि माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि जुलाई, १९६० तक हम खानों की खुदाई ही शुरू कर सकेंगे ? यह प्रश्न इसलिये आवश्यक है कि इन खानों में १७ करोड़ रुपये का विनियोजन किया जा रहा है।

जहां तक तापीय बिजली स्टेशन योजना का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण योजना १९६२ के मध्य तक चालू होने वाली है। इसके लिये सरकार ने २२.५६ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस कार्य के सम्बन्ध में रूस के साथ जो ठेका हुआ है उसमें यह कहा गया है कि पहला यूनिट अप्रैल, १९६१ में चालू होगा और समस्त बिजली स्टेशन जुलाई, १९६२ के लगभग। हमें बताया गया है कि लेनिनग्रेड के एक कारखाने में ५ टरबाइन बनाए जा रहे हैं। अतः हम यह जानना चाहेंगे कि इसमें ५ टरबाइन होंगे या ८ टरबाइन।

यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि विवरण में यह कहा गया है कि अग्रिम संयंत्र से जो २०० टन लिगनाइट निकाल कर परीक्षण के लिये मद्रास भेजा गया था उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इस प्रकार का व्यर्थ का काम नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक उर्वरक योजना का सम्बन्ध है, सरकार ने १,५२,००० टन प्रति वर्ष यूरिया खाद के उत्पादन के लिए २६.१० करोड़ रुपये की लागत की एक योजना मंजूर की है। इसके लिए मशीनों और प्रविधिज्ञों के संभरण के लिए एक जर्मन फर्म तथा एक इटेलियन फर्म के साथ ठेका किया गया है। इसके सम्बन्ध में १९५८-५९ के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अक्तूबर, १९६२ में उत्पादन शुरू हो जाएगा और मार्च, १९६३ में पूरा उत्पादन होने लगेगा। परन्तु सलाहकार समिति में हमें यह बताया गया था कि संयंत्र १९६३ के अन्त तक तैयार होगा और आशा है कि १९६४ में यरिया खाद का उत्पादन शरू हो जाएगा। हम किस बात को सही मानें ?

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम जर्मनी, रूस अथवा इटली का जो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हम उन देशों के बहुत आभारी हैं। परन्तु क्या हम अभी तक ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंच पाये हैं कि अपने उर्वरक संयंत्र का स्वरूप स्वयं निर्धारित कर सकें ?

जहां तक चूरे से ईंटें बनाने और कार्बनसाजी के संयंत्र का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री ने यह बताया था कि उसमें लगभग ११ करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसे हम अपने ही विशेषज्ञों की सहायता से बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें यह बताया जाना चाहिए कि यह संयंत्र किस तारीख से चालू हो जाएगा और उस पर कितना खर्च होगा ?

अन्त में मैं मिट्टी सफाई योजना पर आता हूं। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि मिट्टी सफाई संयंत्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के सम्बन्ध में १९५९ के अन्त तक अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के सम्बन्ध में अभी क्या स्थिति है ? यह भी बताया जाना चाहिए कि इस एकीकृत परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, श्री मुरारका के प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर में यह बताया गया है कि मशीनों की पहली पेटी जनवरी, १९६१ तक मद्रास पहुंचने की संभावना है। नवीनतम स्थिति यह है।

निवेली संयंत्र के सम्बन्ध में इतना कहने के पश्चात् मैं कुछ सामान्य विचार पेश करना चाहता हूं। इस परियोजना के सम्बन्ध में निवेली तथा बंगलौर जैसे सरकारी उद्योग क्षेत्र के दो केन्द्रों के बीच रेलवे लाइन बनाने की बहुत जरूरत है। इसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका उत्तर यह नहीं दिया जाना चाहिये कि यह रेलवे मंत्रालय का काम है वरन् इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए।

फिर प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुछ किसानों को वहां से हटा दिया गया था। उन्होंने मुकदमा चलाया और कुछ लोग उच्च न्यायालय में विजयी हो गए हैं और अब निगम इन मामलों को उच्चतम न्यायालय में ले जाने की बात सोच रहा है। हमें व्यर्थ की मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए वरन् उन लोगों को कुछ धन देकर उनसे समझौता कर लेना चाहिए।

जहां तक श्रमिकों की सुख सुविधा का सम्बन्ध है, पीने का पानी जैसी सामान्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। हां प्रतिवेदन में यह अवश्य कहा गया है कि बोर्ड ने कर्मचारियों की पत्नियों के लिए एक सीने की मशीन की व्यवस्था की है।

फिर प्रदर्शनी का प्रश्न है। निगम ने उसमें तनिक भी उत्साह नहीं दिखाया। उसे अखिल भारतीय खादी तथा स्वदेशी प्रदर्शनी में ले जाया गया तथा एक अन्य प्रदर्शनी में भी। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का लाभ किसी एक दल अथवा संगठन को ही नहीं मिलना चाहिए।

फिर मैं भर्ती के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि निगम में देश के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को ही काम दिया जाना चाहिये। हमें भर्ती के सम्बन्ध में भेदभाव की अनेक शिकायतें मिली हैं। निवेली एक राष्ट्रीय उपक्रम है इसलिए उसमें देश के सभी योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से यही कहूंगा कि वह निवेली परियोजना की ओर विशेष ध्यान दें। जर्मनी ने अपने धातु कार्मिक कोयले की कमी की पूर्ति लिगनाइट से कर ली है जिनसे अनेक उद्योग चल रहे हैं। हम भी निवेली के लिगनाइट से दक्षिण का औद्योगीकरण कर सकते हैं। मैं आशा करता

[श्री तंगमणि]

हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और इस योजना की प्रगति की नवीनतम स्थिति सभा को बताई जाएगी ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री नरसिंहन (कृष्णगिरि): मैं इस बहस का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे निवेली योजना की प्रगति जानने का अवसर मिलेगा। आज इस विषय पर बोलते हुए मुझे वह दिन याद आ रहा है जब रेलवे बहस के दौरान मैंने यह कहा था कि लिगनाइट का इस्तेमाल रेलवे द्वारा किया जा सकता है। उस समय रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारी ने मुझसे यह कहा था कि ये सब चीजें आपको जब प्राप्त होंगी जब कि आपके और मेरे प्रपौत्र पढ़ रहे होंगे । वह निराशा गलत सिद्ध हुई है और हम देखते हैं कि यह परियोजना मद्रास राज्य की औद्योगिक अवस्था में क्रान्ति करने जा रही है। मैसूर, केरल तथा आन्ध्र जैसे पड़ोसी राज्यों को भी इससे अनेक तरह के लाभ होंगे । यदि परीक्षण सफल हो जाता है तो रेलें भी ईंधन के रूप में लिगनाइट का इस्तेमाल कर सकेंगी ।

प्रतिवेदन के प्रथम पृष्ठ में डायरेक्टरों की सूची दी गई है जिसमें श्री एन० एस० मणि, श्री ए० वी० वेंकटेश्वरन, डा० नागराज राव, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री एस† आर० कैवट और श्री टी० एम० एस० मणि के नाम उल्लेखनीय हैं । यद्यपि ये सब बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति हैं पर वे अन्य निगमों के भी डायरेक्टर हैं। कई काम होने के कारण इन व्यक्तियों के लिए अपना समस्त समय, शक्ति और रुचि इस परियोजना में लगा पाना कठिन है ।

यह परियोजना स्वयं तो व्यापक है ही, साथ ही उसकी बहुत सी अधीनस्थ योजनायें भी हैं जैसे तापीय बिजली स्टेशन और उर्वरक परियोजना । इनमें से प्रत्येक योजना करोड़ों रुपये की है। उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारिक प्रबन्ध तथा ज्ञान की आवश्यकता है । पर अभी उन सभी को एक ही निगम के अधीन रख लिया गया है । विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उनमें से प्रत्येक को पृथक पृथक एक-एक विशेषज्ञ को दिया जाना चाहिए। प्रारम्भिक अवस्था में तो कुछ भी किया जाए परन्तु योजनाओं के विकसित होने पर उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देना वांछनीय है। अन्यथा एक में गलती होने से दूसरों पर असर पड़ेगा ।

पृष्ठ ४ में विदेशी मुद्रा का निर्देश है और यह कहा गया है कि उसमें विलम्ब होना अपरिहार्य है। मैं नहीं समझता कि उसे अपरिहार्य क्यों कहा गया है ? यदि विभिन्न विभाग और विशेषकर वित्त मंत्रालय सहयोग करें तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

श्री तंगामणि ने भूमि के अर्जन में विलम्ब का निर्देश किया। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जिन लोगों की भूमि अर्जित कर ली गई है उनके साथ मुकदमेबाजी करने के बजाय सरकार को उनके साथ कुछ समझौता कर लेना चाहिए। यदि उन्हें थोड़ा सा अधिक भुगतान कर दिया जाएगा तो कोई विशेष हानि नहीं होगी वरन् कार्य शीघ्र हो सकेगा। जिन लोगों की भूमि ली जाती है उन्हें बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । इसलिए उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ।

श्री तंगामणि ने कर्मचारियों की कमी का भी निर्देश किया। यह कहा गया है कि क्लर्कों और एकाउन्टेंटों के मिलने में कठिनाई हो रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। प्रविधिक योग्यता वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्तियों का मिलना कठिन हो सकता है परन्तु ऐसे लोगों का नहीं। ऐसा लगता है कि भरती का प्रबन्ध ठीक नहीं है। जहां तक प्राविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्णय का सम्बन्ध है वह बड़ी अच्छी बात है और वैसा व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये।

मुझे निवेली लिग्नाइट परियोजना के सम्बन्ध में अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक संसद् पुस्तकालय में मिली। उसमें भारत सरकार की ईंधन गवेषणा संस्था के डायरेक्टर श्री लाहिड़ी के कुछ वाक्य उद्धृत किये गये हैं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि लिग्नाइट के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये एक पृथक् अनुसन्धान संस्था होनी चाहिये ताकि लिग्नाइट तथा उसके उपोत्पादों का पूरा लाभ उठाया जा सके। इस्पात, खान तथा ईंधन मन्त्रालय को इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि हमें विदेशियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये वरन् अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करना चाहिये।

इसके बाद मैं बकेट व्हील एक्सकेवेटरों के विषय का संक्षिप्त निर्देश करूंगा। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या आरम्भिक अवस्था में इस बात पर विचार कर लिया गया था कि सभी अवस्थाओं पर बकेट व्हील एक्सकेवेटर उपयोगी होंगे ? पहले यह सोचा गया था कि उनसे जमीन को भी तोड़ा जा सकेगा परन्तु वैसा नहीं हो सका। इसका कारण यह है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में योरप में विचार किया गया था जहां की भूमि भारत जैसी कड़ी नहीं है। अब बताया गया है कि भूमि को तोड़ने के लिये बारूद तथा अन्य विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में पहले भली प्रकार विचार नहीं किया गया था ?

अन्त में मैं यह कहूंगा कि डायरेक्टरों तथा मैनेजिंग डायरेक्टरों का कार्य प्रशंसनीय रहा है। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह अत्यन्त कठिन है। अतः जितनी सफलता मिली है उसका श्रेय उनको अवश्य दिया जाना चाहिये।

†श्री सम्पत (नामक्कल) : हम एक ऐसी परियोजना के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं जिसके सफल क्रियान्वयन पर तामिलनाड की औद्योगिक प्रगति निर्भर है। जहां तक इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के गठन का प्रश्न है, हमारा विचार है कि मद्रास सरकार को उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। हमारी ओर के अधिकांश लोगों का यह मत है कि परियोजना के क्रियान्वयन में मद्रास सरकार को और भी सक्रिय रूप में शामिल किया जाना चाहिये। अतः कोई ऐसा उपाय निकाला जाना चाहिये जिससे राज्य सरकार के दो मन्त्रियों को निवेली निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित किया जा सके।

हम दक्षिण के सदस्य इस योजना के क्रियान्वयन पर इतना जोर इसलिये देते हैं कि हमारे राज्य में बिजली की बहुत कमी है। इसके कारण हम कोई भी औद्योगिक उपक्रम चालू नहीं कर पाते हैं। प्रतिवेदन के पृष्ठ ५ में यह कहा गया है कि बिजली की भारी कमी होने के कारण मिट्टी हटाने की भारी मशीनों को लगातार चालू रखने में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। इसलिये बिजलीघर की पहली यूनिट की स्थापना में तनिक भी देर नहीं की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इसके सम्बन्ध में समुचित ध्यान रखेंगे।

जहां तक श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रश्न है, प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ में यह कहा गया है कि मिट्टी हटाने वाली मशीन के चालक-कर्मचारियों का काय बहुत अच्छा रहा है। परन्तु खेद है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सम्पत]

कि फिर भी उन्हें आकस्मिक श्रमिक माना जाता है जबकि कई अन्य सरकारी उपक्रमों में उस वर्ग के कर्मचारियों को महावारी वेतन पर रखा जाता है और उसी के अनुसार सुविधायें भी दी जाती हैं। यह बात भी माननीय मन्त्री को ध्यान में रखनी चाहिये।

श्री तंगामणि ने बसीन पुल वाले बिजली घर सम्बन्धी प्रयोग की असफलता का भी उल्लेख किया। हम जानना चाहते हैं कि उस प्रयोग की असफलता के बाद क्या स्थिति है। प्रतिवेदन में केवल इतना कहा गया है कि मास्को के 'टेक्नोएक्सपोर्ट' से यह प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि उनसे प्रयोग कराने में कहीं बहुत अधिक विलम्ब न हो जाये ?

फिर जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं उनसे हमें यह आशंका होने लगी है कि चूरे की ईंट बनाने और कार्बनसाजी की योजनाओं को उठा कर ताक में न रख दिया जाय। टेंडर मांगने, उनकी जांच करने तथा अन्य कार्यों में बहुत विलम्ब किया जाता है। इस प्रकार की सुस्ती ठीक नहीं है क्योंकि राज्य की औद्योगिक प्रगति इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन पर निर्भर है। सरकार यह बताए कि इन योजनाओं को लागू करने में देर होने के क्या कारण हैं और इस समय उनकी क्या स्थिति है ?

जहां तक उपनगर की इमारतों का सम्बन्ध है, खराब ढंग से निर्माण होने के कारण बहुत सी नई इमारतें चूने लगी हैं। मैं जब हाल में वहां गया था तो मुझे भी यह देखने को मिला। मैं जानना चाहता हूं कि इन खराबियों के लिये कौन जिम्मेदार है ? इस सम्बन्ध में समुचित जांच की जानी चाहिये क्योंकि हाई स्कूल की नई इमारत तक में कई दरारें पड़ गई हैं।

फिर उपनगर में आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है। पहले वहां केवल एक सहकारी दुकान थी और लोगों को वहीं से सारी आवश्यकता की चीजें खीदनी पड़ती थीं। उसकी शाखायें खुलवाने के लिये श्रमिकों को काफी संघर्ष करना पड़ा। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हाल में जब मैं वहां एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने गया तो मुझे बहुत से दाढ़ी बढ़ाए लोगों को देख कर आश्चर्य हुआ। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वहां नाई की कोई दुकान नहीं है। इसके अतिरिक्त वहां के प्राधिकारी मजदूरों की मांग भी नहीं सुनते हैं। उन्हें सभायें आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है क्योंकि प्राधिकारी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं।

परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विलम्ब को यथासम्भव रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। हम देखते हैं कि एक प्रतिवेदन में कोई कार्य १९६० में खत्म करने के लिये कहा जाता है परन्तु अगले प्रतिवेदन में १९६१ कर दिया जाता है। प्रधान मंत्री के कार्यालय में यह लिखा हुआ है कि मैं विलम्ब की सफाई नहीं सुनना चाहता वरन् कार्य किया हुआ देखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस सिद्धान्त पर अमल करने का प्रयत्न किया जाएगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : निवेली प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थान रहा है अब तो आधुनिक दृष्टिकोण से भी वह एक तीर्थ बन गया है, मैं आशा करता हूं कि सरकार का पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान देगा तथा भाखड़ा नंगल की तरह यह स्थान भी वैज्ञानिक तथा आधुनिक विचार के युवकों के लिये एक तीर्थ बन जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह स्मरण रखना चाहिये कि लिग्नाइट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसके कारण ही उत्तर जर्मनी को समृद्धि प्राप्त हुई है,लिग्नाइट तत्काल जल उठने वाला पदार्थ है इसलिये इसे डिब्बों में नहीं लादा जा सकता है न ही खुली जगह में ही छोड़ा जा सकता है । इसलिये इसकी खुदाई के लिये एक एकीकृत योजना बनानी होती है । इस सम्बन्ध में जो विलम्ब हुए हैं उसके कई कारण हैं इसके प्रयोग में आने वाली विशाल मशीनें मद्रास बन्दरगाह में आ गयी हैं तथापि मार्ग में पुलियों के कमजोर होने के कारण वह अभी खुदाई के स्थान तक नहीं पहुंचायी जा सकीं । श्री सम्पत ने इस बात का जिक्र किया है कि खुदाई स्थान के निकट लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जाता है, ऐसा इस कारण किया जाता है कि वहां पर चट्टान उड़ाने का मसाला और बहुमूल्य उपकरण इत्यादि रखे रहते हैं । तापीय संयंत्र और ईंटें बनाने का संयंत्र लग चुके हैं मिट्टी धोने और उर्वरक संयंत्र के लिये विश्व के देशों से टेंडर आमन्त्रित किये गये हैं । अत: इस सम्बन्ध में जो अफवाहें उड़ी हैं वे गलत हैं ।

निवेली लिग्नाइट परियोजना उन थोड़ी सी परियोजनाओं में से एक है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पहला कदम उठाया है, इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । अत: निगम के निदेशक बोर्ड में उनके मन्त्री के रहने पर श्री सम्पत को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मद्रास सरकार के दो असैनिक अधिकारी भी बोर्ड में मौजूद हैं ।

जहां तक खुदाई के काम का सम्बन्ध है, संशोधित लक्ष्य के अनुसार ४४ लाख घन गज की खुदाई होनी चाहिये थी जबकि अभी तक ४५ . १ लाख घन गज की खुदाई हो चुकी है, अत: इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जहां तक मशीनों की मरम्मत का प्रश्न है उनकी मरम्मत उसी स्थान पर होने लगी है और हमारे युवक इस सम्बन्ध में बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक तापीय संयंत्र का प्रश्न है, इसमें २२ . ५६ करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश १४ . ६ करोड़ रुपये होगा, इसमें से १४ करोड़ रुपये रूस से मिलने वाले ऋण से प्राप्त हो जायेंगे ।

विश्व के सभी देशों से आमन्त्रित किये हुये टेंडरों के आधार पर सरकार ने निवेली में एक उर्वरक संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत २६ . १० करोड़ होगी, इसमें विदेशी मुद्रा का अंश १७ करोड़ रुपये होगा । अब मैं ईंटें बनाने सम्बन्धी संयंत्र को लेता हूं, इस सम्बन्ध में अग्रिम संयंत्र १९५८ में ही निर्मित हो चुका था, इस सम्बन्ध में विलम्ब नहीं होना चाहिये क्योंकि इसके विलम्ब से सम्पूर्ण परियोजना के विकास में धक्का पहुंचेगा ।

जहा तक श्रमिकों का सम्बन्ध है निचले स्तर के मजदूरों की नियुक्ति रोजगार दफ्तरों से की जाती है, प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के लिये देश के समाचारपत्रों में विज्ञापनों पर ५०,००० रु० व्यय किया जाता है ।

इसमें सन्देह नहीं कि निवेली को रेल सम्पर्क का निर्माण करना बहुत आवश्यक है । श्री नरसिंहन् इस बात के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि वे अपने प्रयत्नों में सफल होंगे,माननीय मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

मैं सरदार स्वर्ण सिंह को बधाई देता हूं कि वे दक्षिण की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, हमें आशा है कि उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप दक्षिण का उचित विकास हो जायेगा । मैं इन प्रयत्नों के लिये मन्त्रालय को बधाई देता हूं ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं मंत्रालय का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं, प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि परियोजना के लिये उचित संख्या में विभागीय अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क इत्यादि मिलने में बहुत कठिनाई हुई है, यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि दक्षिण भारतीय समस्त उत्तरी भारत में फैले हुए हैं। कई राज्यों की यह शिकायत है कि उनके यहां दक्षिण भारतीय इतनी अधिक संख्या में हैं कि उनके राज्य के लोगों को उचित स्थान प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि संवरण समितियों का यह कहना है कि प्रार्थियों का स्तर अपेक्षित नहीं पाया गया। यह एक आश्चर्य का विषय है। दक्षिण भारत के लोग देश की समस्त परियोजनाओं के लिये योग्य समझे जाते हैं तो भला वे इस परियोजना के कार्य के अयोग्य क्योंकर समझे जाते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि चुनावों में कौनसा मापदंड रखा जाता है।

इस परियोजना में लगभग ८००० नैमेत्तिक कर्मचारी और ३००० ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूं कि यदि उक्त वर्गों के कर्मचारियों को स्थायी न भी बनाया जाय तो भी उन्हें मजूरी, आवास तथा अन्य वही सुविधायें देने का प्रबन्ध किया जाय जो कि अन्य मजदूरों को मिलते हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं अन्य वर्गों के कर्मचारियों में भी अनुसूचित जातियों की संख्या पृथक से दिखायी जाय।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि ईंटों के संभरण के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हो रहा है, इस सम्बन्ध में मैं आप को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह कार्य ठेकेदारों के स्थान पर विभागीय तरीके पर करवाया जाय। ईंटें बनाने का कार्य बहुत आसान होता है इसे बिना किसी परेशानी के विभागीय रूप से किया जा सकता है, क्योंकि यदि ईंटें तैयार नहीं होंगी तो मशीनों के आने पर उन्हें स्थापित करना कठिन हो जायेगा।

अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार इस योजना का कार्य दूसरी परियोजना की समाप्ति के पूर्व आरम्भ हो जाना चाहिये था, तथापि कई अपरिहार्य कारणों से देर होती जा रही है, इस सम्बन्ध में हम परियोजना में हुए कार्य की भर्त्सना नहीं करना चाहते हैं, हमारा सुझाव केवल यह है कि परियोजना के कार्य में और शीघ्रता की जाय।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग) : दक्षिण भारत में कोयले की खानें न होने के कारण वहां का औद्योगिक विकास लिगनाइट के खानों और बिजली के विकास पर निर्भर करता है क्योंकि इन दोनों साधनों से हमें औद्योगिक विकास के लिये अपेक्षित शक्ति प्राप्त हो सकती है।

लिगनाइट खानों के विकास में कई कठिनाइयां आती हैं। पहिली कठिनाई यह है कि हमें बहुत अधिक मिट्टी हटानी पड़ती है। इसके पश्चात् लिगनाइट के बहुत अधिक ज्वलनशील होने के कारण उसे बाहर नहीं रखा जा सकता है, इसको तुरंत ईंटों के रूप में बदलना होता है, तथापि अभी तक ईंटें बनाने वाला संयंत्र यहां पर नहीं पहुंचा है, जो छोटा अग्रिम संयंत्र यहां पहुंचा भी है उसने भी काम करना आरम्भ नहीं किया है, तथापि हम १७ करोड़ रुपये अभी तक खर्च कर चुके हैं, अभी

†मूल अंग्रेजी में

लगभग १८ करोड़ रुपये और भी व्यय किये जायेंगे । इस प्रकार जो भी कार्य हो रहा है वह पूरी लगन के साथ नहीं हुआ है ।

निदेशक-बोर्ड के संगठन से मुझे ज्ञात हुआ है कि बोर्ड में रिटायर्ड असैनिक अधिकारी हैं, मेरे विचार से ऐसी परियोजना में हमें अनुभव प्राप्त इंजीनियरों को अधिक महत्व देना चाहिये । अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि यह एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण खान है अतः इसे योग्य टैक्नीकल हाथों में ही सौंपा जाना चाहिए । इसके लिये आवश्यक मशीनें, संसाधन तथा आवश्यक उपकरण भी समय पर उपलब्ध किये जाने चाहिये, जिससे कि खान का कार्य तत्काल आरम्भ किया जा सके ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लिग्नाइट निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे अब तक हुए काम का मूल्यांकन हो जायगा । प्रतिवेदन के अतिरिक्त कार्य की प्रगति के बारे में यहां भी काफी कुछ कहा गया है । अब तक कुल कितनी प्रगति हुई है और क्या क्या आशाएं थीं, इसी प्रकार के प्रश्न उठाये जा रहे हैं । सामूहिक रूप से वादविवाद स्वस्थ रहा है और सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं और वस्तुतः निवेली जैसी परियोजना के काम में ऐसा ही ढंग उचित भी है ।

माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देने से पूर्व मैं समझता हूं कि मैं सदस्यों को वहां होने वाले काम के स्वरूप, अब तक की प्रगति और भविष्य के कार्यक्रम की सूचना दूं । उससे पहले मुझे परियोजना की मुख्य बातें बताने की आज्ञा दी जाय । मद्रास या अन्य संलग्न राज्यों के प्रतिनिधि परियोजना के बारे में काफी जानकारी रखते हैं परन्तु यही अधिक अच्छा रहेगा कि हम मुख्य बातों की दृष्टि में परियोजना की प्रगति का अवलोकन करें ।

दो तीन चीज़ों का ध्यान सदैव रखना चाहिए । पहली चीज़ तो है लिग्नाइट का स्वरूप । लिग्नाइट आम कोयले जैसी चीज़ नहीं जिसे खान से खोद कर इधर उधर रख लिया जाय । कोयले को भी एक खास मात्रा तक ही खान के निकट जमा किया जा सकता है । किन्तु लिग्नाइट को तो रखा ही नहीं जा सकता। इसका प्रयोग तुरंत करना पड़ता है । चाहे इसे उर्वरकों के कारखाने में प्रयुक्त किया जाय या कहीं और प्रयोग इसे शीघ्रता से करना पड़ता है ।

लिग्नाइट को दूर स्थानों तक ले जाया भी नहीं जा सकता । इस कारण इसका उपभोग खान के निकट ही होना चाहिए । अतः लिग्नाइट के बारे में इन दो चीज़ों की ओर ध्यान रखना चाहिए ।

यद्यपि लिग्नाइट के निक्षेप तो काफ़ी हैं परन्तु इंजिनियरिंग तथा खनन सम्बन्धी समस्यायें काफी कठिन हैं क्योंकि आर्टिजन कुओं के जल का दबाव भी समस्या पैदा करता है । पानी का ऊपरी दबाव इतना ज्यादा है कि यह उस परत को भी नियंत्रित रखता है जो लिग्नाइट सीम के ऊपर है । जैसे ही ऊपरी परत हटाई जाती है तो पानी निकालने के लिए धड़ाधड़ पम्प चालू करने पड़ते हैं; अन्यथा हर चीज़ खिच सकती है । वहां पर पानी ही पानी हो सकता है । अतः चीज यह नहीं कि हम ज्यादा लिग्नाइट नहीं निकाल सकते, वह तो है ही किन्तु खनन आदि की समस्यायें ही कुछ ऐसी हैं जो बड़ी कठिनाइयां उपस्थित कर देती हैं । हमें पानी को निकालना पड़ता है । इस सब काम में समय के साथ साथ समन्वित कार्य की भी आवश्यकता है ।

कुछ और चीजें भी हैं जो बाद में स्वयमेव उत्पादन की सीमा निश्चित कर देती हैं । खनन की कठिनाइयों के अलावा इस के उत्पादन का भी विनियमन करना पड़ता है और लिग्नाइट के तुरंत

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

उपभोग की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इस चीज को दृष्टि में रखते हुए ऊपरी परत को हटाने तथा उपभोग सम्बन्धी अन्य आलोचनायें व्यर्थ दीख पड़ती हैं।

इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि यदि ऊपरी परतों को हटाने की गति तेज भी की जाय तो लिग्नाइट की परत पानी में आ जायेगी और उस पानी को निकालने के लिए ज्यादा पम्पों की आवश्यकता पड़ेगी किन्तु वह काम तब तक व्यर्थ है जब तक उसके उपभोग की सारी व्यवस्था ठीक न हो जाय। मैं विलम्ब के औचित्य के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। वस्तुतः माननीय सदस्य आलोचना करते समय स्वयमेव तनिक संकोचवश बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही था क्योंकि ये बातें कहते समय उन्हें बड़ी चीजों का ध्यान था। हमें किसी भी क्षेत्र की प्रगति दूसरे क्षेत्र की प्रगति से तुलनात्मक रूप में देखनी चाहिए। अतः सारी चीजें एक हो कर रह जाती हैं।

यह कुछ बताने के बाद अब मैं इस सारे काम का स्पष्ट चित्र आपके समक्ष रखूंगा। सब से पहले तो लिग्नाइट तापीय बिजलीघर में प्रयुक्त होगा। तापीय बिजली घर वहां पर रूस वालों की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। हमारा ऋण-प्रबन्ध हो चुका है और असैनिक कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है और टर्बाइनों तथा अन्य सामान के साथ यह और भी ज्यादा ठीक हो जायगा। अनुमान है कि इस बिजली घर का पहला उत्पादन सेट सितम्बर, १९६१ में चालू हो जायगा और शेष सेट सितम्बर, १९६२ तक। इसी से खनन कार्य की सीमा बंध जाती है।

जब ऊपरी परतों को एक निश्चित सीमा तक हटाया जाता है उस समय पम्पिंग पर अत्यधिक दबाव हो जाता है। उस सम्बन्ध में भी मैं पहले तथ्यात्मक जानकारी दूंगा। अक्तूबर, १९६० के अन्त तक १४८५ लाख घन फुट परतें हटाई गयी थीं जब कि १५६९ लाख घन फुट परतें हटाने का लक्ष्य था। इस तरह से केवल ८५ लाख घन फुट की कमी पड़ी। सभा यह तो मानेगी कि यह काम अच्छा रहा है क्योंकि तारों पर चलने वाली बाल्टियों के साजसामान को मंगाने से पहले परतें हटाने का काम पुराने ढंग से ही किया जाता था। हमें पूरा विश्वास हो गया है कि जिस समय तक बिजली घर का पहला सेट तथा बाद के सेट चालू होने को तैयार होंगे तो उसी समय हम ईंधन के लिए लिग्नाइट भी प्राप्त कर लेंगे। यह सारी चीजें तैयार हैं और इससे खोदने आदि के काम में तीव्रता आयेगी।

†**श्री तंगामणि** : क्या सितम्बर, १९६१ तक लिग्नाइट निकल आयेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निश्चित रूप से। हमारे आद्यतन अनुमान के अनुसार सितम्बर, १९६१ तक बिजली घर को ३ लाख टन लिग्नाइट की जरूरत पड़ेगी। आशा है कि दिसम्बर, १९६२ तक समूचा बिजली घर बन कर तैयार हो जायगा और तब इसे १५ लाख टन लिग्नाइट की आवश्यकता होगी। फरवरी, मार्च १९६३ में इसी बिजली घर के लिए ५ लाख टन और लिग्नाइट की आवश्यकता होगी। इस तरह पर कुल मिला कर २० लाख टन लिग्नाइट की जरूरत पड़ेगी। अभी तो परिमाण सम्बन्धी व्योरा तैयार हो रहा है पर बाद में इसका विस्तार भी तो होगा। अतः हमने देख लिया कि हमें उपभोग की मात्रा के अनुसार ही इस के उत्पादन की बात सोचनी पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब सभा उर्वरक संयंत्र के बारे में भी जानना चाहेगी । विश्वव्यापी टेंडरों के आ ार पर सरकार ने २६ करोड़ पया लगा कर नियेली में एक उर्वरक कारखाना लगाने का विचार किया है । संयंत्र तथा मशीनों आदि को मंगवाने के लिए २७ अक्तूबर, १९५९ को एक पश्चिमी जर्मनी तथा इटालियन फर्मों से समझौता हुआ था । योजना के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन किया जा चुका है । उर्वरक संयंत्र के विभिन्न एककों का काम चालू है और आशा है कि १९६३ के मध्य तक यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जायगा ।

ब्रिकेटिंग, कार्बनाइजिंग तथा क्ले वाशिंग संयंत्रों के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ सन्देह प्रकट किये हैं । परन्तु ये सारे निराधार हैं । क्ले वाशिंग संयंत्र के तो टेंडर भी मांगे जा चुके हैं और उनके आधार पर निगम ने कारखाने की मशीनें प्राप्त करने का निर्णय कर लिया है । अन्य चीजें अर्थात् कर्मचारियों आदि की भर्ती भी चल रही है ।

आशा है कि क्ले वाशिंग कारखाना सितम्बर, १९६१ तक तैयार हो जायेगा । अनुमानतः इस पर १५ लाख रुपये का व्यय होगा ।

जहां तक ब्रिकेटिंग तथा कार्बनाइजिंग का सम्बन्ध है, हम यह समझते हैं कि इन के अनुमान तनिक कम ही हैं । ज्यादा अनुमान कर के वास्तविक खर्चा कम कर के दिखाना तो आसान बात है किन्तु यह चीज देश हित में नहीं है । हमारे मौलिक अनुमान विश्वव्यापी टेण्डरों के आधार पर बनाये गये हैं किन्तु यह कम ही हैं । मूल्यों में काफी अन्तर हो चुका है ।

पहले से अब का अनुमान दुगना है । इस मामले पर अब बोर्ड तथा सरकार विचार कर रही है क्योंकि इस में विदेशी मुद्रा के व्यय का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । इन का परीक्षण यह देखने के लिये हो रहा है कि क्या संभरणकर्ताओं द्वारा उल्लिखित मूल्य वास्तविक भी है और क्या कुछ चीजों में कमी करने की गुंजाइश है । अतः इन सब बातों पर अभी विचार होगा । इस से स्पष्ट होगा कि हर संभव कार्य-वाही की जा रही है । माननीय सदस्यों की इच्छाओं का मैं आदर करता हूं । किन्तु इन सब बातों पर विचार करते हुए माननीय सदस्य भी मानेंगे कि हम ने काफी प्रगति की है ।

कुछ सदस्यों ने कुछ बातें कहीं । निदेशक बोर्ड के बारे में भी कुछ बात कही गयी । श्री सम्पत ने कहा कि मद्रास राज्य का एक मंत्री बोर्ड में होना चाहिये । पता नहीं उन्हों ने विधान सभा के सदस्यों के बारे में ऐसे बोर्डों पर काम करने के हेतु अपनी राय बदल ली है । संसद् में हम ने कानून बना दिया है कि संसद् सदस्य का निदेशक बोर्ड में होना उस के लिये अनर्हता होगी । इसी कारण हमें श्री पट्टाभिरामन् की सेवाओं से वंचित रहना पड़ा । उन के होते हुए इस परियोजना में बहुत दृढ़ता आई । किन्तु अनर्हता वाले कानून के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा । चूंकि देश की संसद् ने इस विषय में एक उदाहरण रख दिया है इस कारण आशा की जाती है कि राज्य भी उसी का अनुसरण करेंगे ।

यदि माननीय सदस्य केवल दो सरकारी सदस्यों को ही बोर्ड में चाहते थे तो यह कोई बड़ी चीज न थी । किन्तु वह तो इस से कहीं ज्यादा कह रहे थे । वह तो मंत्री को बोर्ड में चाहते थे । केन्द्रीय बोर्डों में यदि हम न तो मंत्रियों को रखें और न संसद् सदस्यों को वहां वे संतुष्ट हैं । किन्तु मद्रास राज्य में वे एक मंत्री भी बोर्ड में मनोनीत कराना चाहते हैं । यह असंगति हमारी समझ में नहीं आती । मद्रास तथा केन्द्रीय सरकार के बीच पूरा पूरा सहयोग है । मद्रास सरकार पूरी सहायता भी करती है ।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

यदि मद्रास सरकार निवेली परियोजना में हमारी पूरी सहायता न करती तो शायद इसे इतनी सफलता प्राप्त न हो सकती जितनी कि हुई है ।

बोर्डों में असैनिक सेवा कर्मचारियों को रखने का प्रश्न भी उठाया गया । यह मामला बार बार उठाया जाता है । एक विशेष प्रकार के प्रबन्ध के लिये एक सीमा होती है । जहां तक कि टैक्नीकल ज्ञान लाभदायक होता है । अब माननीय सदस्य स्वयं भी टैक्नीकल ज्ञान न रखते हुए उद्योगों के संचालन के बारे में बड़ी मूल्यवान सलाह देते हैं । उसी सिद्धान्त का प्रसार हम दूसरे व्यक्तियों पर भी कर सकते हैं ।

अब हमारे निदेशक बोर्ड में श्री पट्टाभिरामन तो रहे नहीं । बोर्ड की हानि से संसद् को लाभ होगा क्योंकि अब वे अपना समय इधर लगायेंगे । इस के साथ ही हमारे पास डा० नागराज राव के अतिरिक्त डा० केन भी है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार हैं । दो प्रतिनिधि मद्रास सरकार के भी हैं । एक तो श्री जी० आर० दामोदरन हैं और दूसरे हैं श्री जी० रामानुजम । इस प्रकार श्रम, प्रशासन आदि सभी अंगों के लोग उन में हैं । मेरे विचार में बोर्ड ने तो अच्छा काम ही किया है ।

रेलवे लिंक के बारे में भी कुछ कहा गया । मेरे विचारानुसार इस बात पर सहानुभूतिपूर्ण विचार होना चाहिये । संसाधनों की उपलब्धि के अधीन, परिवहन सुविधायें देने की पूरी इच्छा है । वास्तविक रुकावट तो साधनों की कमी की है । अन्यथा सरकार की इच्छा तो बड़ी बलवति है । ऐसी परियोजना में यह चीज आवश्यक है ।

श्रमिकों की सुविधाओं और नगर की कठिनाइयों के बारे में भी कुछ कहा गया । श्री सम्पत तो साहसी हैं और उनका कथन है कि जलसे करने का सुविधा नहीं किन्तु फिर भी उन्हों ने जलसा किया और कर्मचारियों के आगे भाषण दिया ।

खैर मुझे खेद है कि उन्होंने भवनों में कुछ त्रुटियां ढूंढी । मैं परियोजना प्राधिकारियों को वे चीजें लिख दूंगा और जहां कहीं त्रुटियां होंगी उन्हें दूर कर दिया जायेगा । किन्तु सामूहिक रूप से उपनगर की योजना बड़ी प्रभावकारी है । मकानों का निर्माण और स्तर सराहनीय है । निर्माण की लागत भी अन्य स्थानों की तुलना में कम ही है । कहीं कोई छत टपकती है या दर्ज आ गयी है यह साधारण बात है । इन्हें ठीक करा दिया जायेगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उन्हों ने यह शिकायत भी की है कि वहां पर नाइयों की दुकानें कम हैं ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : किन्तु वे कहते हैं कि इस गलती को दूर कर दिया गया है ।

भूमि के अर्जन के बारे में भी कुछ सदस्यों ने हमें सावधान किया कि हमें सरकारी रुपये को सावधानी से ही व्यय करना चाहिये । ऐसा ही होना चाहिये । किन्तु मुआवजे का भी तो कानून है । मद्रास विधान सभा ने भी एक कानून बनाया है । मुआवजे को आंकने की भी प्रक्रिया है । अभी तक संसद् या विधान सभाओं ने यह अधिकार नहीं लिये कि लोगों की इच्छानुसार ही उन्हें मुआवजा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुग्रावजे का हिसाब निश्चित नियमों के आधार पर लगाना पड़ता है। जनता को सरकार के विरुद्ध और सरकार को अपना दृष्टिकोण बताने के लिये न्यायालयों की शरण लेने का अधिकार है। इस में स्वेच्छाचारिता से काम नहीं चल सकता। सरकारी रुपये का सदुपयोग होता है इसलिये किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिये। पता नहीं क्यों कुछ माननीय सदस्यों को यह बात अखरी जब हम ने यह कहा कि उपयुक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते। वैसे तो पढ़े लिखे तथा अपढ़ कर्मचारी काफी संख्या में मिलते हैं और उधर के लोग भी मेहनती हैं और सामान्यतः वह काम भी अच्छा ही करते हैं।

†**श्री तंगामणि** : हम ने तो यह कहा था कि मतभेद हुआ है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस परियोजना के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस में अन्य प्रान्तों के काफी लोग चले गये होंगे। यदि यह आशय माननीय सदस्यों का नहीं है तो यह देखना प्राधिकारियों का काम है कि ठीक काम के लिये ठीक ही प्रकार का व्यक्ति लिया जाय। यदि ठीक व्यक्तियों के न मिलने की बात को हम स्पष्ट रूप से कहें यह बात किसी को अखरनी नहीं चाहिये क्योंकि आखिर सरकारी रुपये का सदुपयोग ही तो करना है। कोई भी आदमी लेखापाल पैदा नहीं होता। उस के लिये प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यदि इन लोगों ने अप्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण दे दिया तो इस पर आपत्ति क्यों की जाये।

माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा कि वहां कितने कर्मचारी स्थायी हैं तथा कितने वेतन के आधार पर काम करते हैं। किन्तु ऐसे कर्मचारी हर उस परियोजना में होते हैं जहां निर्माण का काम साथ-साथ चलता है। हर बड़ी योजना में हमें निर्माण कार्य चालू करना पड़ता है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि निर्माण शुरू होने से पहले कर्मचारियों के लिये स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु ऐसी अवस्था में प्राकृतिक रूप से कुछ लोगों को आवास के सुखों से वंचित रहना पड़ता है और हम उन कठिनाइयों को समझते हैं।

मैंने परियोजना को स्वयं देखा है और मेरे विचार में वहां काफी सुविधायें हैं। यह सुनकर तो मुझे दुख हुआ कि वहां पानी की भी कमी है। यह गलत बात है क्योंकि मैं ने सभी चीजों को खुद देखा है और मैं समझता हूं कि वहां सारी सुविधायें हैं और काफी हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस परियोजना को बहुत महत्व देती है क्योंकि यह क्षेत्र कोयले के मुख्य क्षेत्रों से दूर है। वहां की जनता अच्छी है और यदि वहां विद्युत् आदि का विकास हो जाये तो उस से उस क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति को काफी सहारा मिल जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि थरमल संयंत्र १९६२ के अन्त से कार्य करने लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पांचों संयंत्र कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि विद्युत् की क्षमता में वृद्धि भी की जा रही है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सन् १९५६ से ही चूरे की ईंटों तथा कार्बनसाजी के संयंत्र की बात चल रही है। सन् १९५८ में आयव्ययक के प्रस्तुत करते समय भी माननीय मंत्री महोदय ने इस का उल्लेख किया था। ११ अगस्त को इस के प्रतिवेदन की चर्चा करते समय माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि इस पर ११ करोड़ रुपये व्यय होंगे जिस में से ६$^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय मिलने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

इस के वार्षिक प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि इस विदेशी विनिमय को व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी । आज माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि हम सारी दुनिया से टेन्डर मांग रहे हैं और इनके मिल जाने के बाद इस पर २२ करोड़ या इस से अधिक ही व्यय हो सकता है । मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में जो उत्तर दिया है वह दक्षिण वालों के लिये बहुत ही निराशाजनक है । हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में निश्चित तिथि बतायें कि यह किस तिथि से चालू होगा । मुझे आशा है कि वहां तक रेलवे लाइन बिछाने के बारे में भी वह अपना प्रभाव डालेंगे और रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र ही करायेंगे ।

आकस्मिक श्रमिकों के भर्ती करने का प्रश्न भी परेशानी उत्पन्न करने वाला है । वक्तव्य में कहा गया है कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर और सुपरिनटेंडेंट की भर्ती इसलिये नहीं की गई क्योंकि उन्हें उपयुक्त व्यक्ति मिले नहीं । अगर यह बात ऐसी है कि उन्हें किसी राज्य विशेष अथवा सारे देश से ही अच्छे व्यक्ति नहीं मिले तो चयन करने वाली समिति में ही कुछ दोष है । अतः यह एक ऐसा मामला है जिस की जांच की जानी चाहिये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि निवेली लिगनाइट परियोजना का काम क्लर्कों आदि की कमी के कारण नहीं रुकेगा ।

†**श्री तंगामणि** : प्रविधिक और आकस्मिक श्रमिकों का भी प्रश्न हमारे सामने है । यह एक ऐसा मामला है जिसे आसानी से नहीं टाला जा सकता । वहां पर आजकल ८००० आकस्मिक श्रमिक और २००० ठेके पर काम करने वाले श्रमिक काम कर रहे हैं । क्या वे सभी भवन बनाने के काम में लगे हुए हैं अथवा कोई दूसरे प्रकार का कार्य कर रहे हैं । अन्ततोगत्वा अब यह संयंत्र काम करने लगेगा तो उन्हें वहां खपाया जायेगा । इसलिये इस्पात संयंत्र तथा निवेली परियोजना में इस बात की आवश्यकता है कि वहां कर्मचारियों का एक 'पूल' बनाया जाये, और उन्हें वहां खपाने के लिये सभी संभव सुविधायें दी जायें ।

एक प्रश्न उन कर्मचारियों के बारे में भी उठाया गया है जिन्हें भविष्य निधि का लाभ मिलता है । ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन सभी बातों की जांच करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इसे सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे सहित, पर जो २९ फरवरी १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे माल सम्बन्धी समिति*

†श्री चिंतामणि पाणिग्रही (पुरी) : सरकार ने इस्पात उद्योग के कच्चे माल के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति बनाने का निर्णय किया है । यह कहा गया है कि यह समिति इस्पात उद्योग में कच्चे माल के उत्पादन, संभरण, और कोयला, कच्चा लोहा आदि के यातायात के बारे में निरन्तर अध्ययन करेगी तथा दीर्घकालीन और अल्पकालीन नीति अपनाने के बारे में सरकार को परामर्श देगी ।

प्राक्कलन समिति ने यह टिप्पणी दी थी कि इस्पात कारखानों को कच्चे माल का संभरण बड़े अनियोजित ढंग से किया जाता है । रूरकेला के इस्पात कारखाने को अयस्क का संभरण जिस खान से किया जाता है वह वहां से १४० मील दूर है और अयस्क को वहां तक ले जाने में बड़ा खर्च उठाना पड़ता है । और यातायात पर ही लगभग ६८ लाख रुपये खर्च आता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड एक अल्पकालीन उपाय के रूप में राज्य व्यापार निगम की मार्फत अयस्क खरीदता है । लेकिन इस्पात कारखानों के लिये स्वतंत्र खानों से अयस्क खरीदा जा रहा है । परन्तु यदि सरकार ने अयस्क के संभरण का काम राज्य व्यापार निगम के भरोसे छोड़ने का ही अन्तिम निर्णय कर लिया है तो उसे बताना चाहिये कि निगम को कितने अयस्क के संभरण का काम सौंपा गया है । इस के अलावा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का निज का अपना क्रय संगठन मौजूद है ।

यह देखने में आया है कि विभिन्न कच्चे माल के क्रय के लिये भिन्न भिन्न संगठन हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि क्या जो स्थायी समिति नियुक्त की गई है वह इन सारे कार्यों का समन्वय करेगी । अथवा वह केवल सरकार को परामर्श ही देगी । इस के निर्देश पद क्या हैं ? यदि यह केवल परामर्शदात्री ही समिति है तो मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी के एक प्रतिनिधि को उसमें क्यों रखा गया है ।

राज्य व्यापार निगम को इस्पात उद्योगों को संभरण करने का एक प्रकार से एकाधिकार सा प्राप्त है और वह संभरण करने के लिये निजी अयस्क खानों से माल लेता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले ६ महीनों में कच्चे माल की ढुलाई के लिये कुल जितने वैगन दिये गये थे उन में से ७५ प्रतिशत वैगन अयस्क के लिये अकेले मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी की फर्म को ही दिये गये थे । बडाजमदा की साइडिगें जहां से यह अयस्क माल डिब्बों में भरा जाता है इसी फर्म की मिल्कियत हैं । मुझे एक तार मिला है जिस में कहा गया है कि स्थायी समिति में और भारतीय खदान मालिकों का प्रतिनिधि नहीं लिया गया है । रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन अब मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी के निदेशक हैं । स्थायी समिति में इस फर्म को प्रतिनिधित्व मिल जाने से इस की साख बढ़ गई है और अब वह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों पर प्रभाव डालने की स्थिति में पहुंच गई है । इस से अन्य अयस्क कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अगर मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी का कोई अपना इस्पात संयंत्र होता तो उस का स्थायी समिति में प्रतिनिधित्व पाना ठीक था लेकिन उन का अपना कोई इस्पात संयंत्र नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि स्थायी समिति का बनाना जहां अत्यावश्यक है, क्रय करने सम्बन्धी कार्यवाहियों के समन्वय करने के लिये जरूरी है ताकि हमें उचित दामों पर कच्चा सामान मिल सके, वहां मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी को प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं है क्योंकि वह सभी कोटा हथियाने का प्रयत्न करेगी और इस का प्रतिकूल प्रभाव दूसरे संयंत्रों के मालिकों पर पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

आधे घंटे की चर्चा

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य की आलोचना ने जो उन्होंने परामर्शदात्री समिति के निर्माण के बारे में की है, मुझे काफी आश्चर्य में डाला है। इस बात के बावजूद कि समिति कै, जोकि एक सलाहकार समिति के रूप में होगी और जिस की गठन सम्बन्धी सूचना हाल ही में सभा पटल पर रख दी गई थी, इस आधार पर उस की आलोचना की गई है कि मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी को उस में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान उस संकल्प की ओर जो २९-११-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर में रखा गया था की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस प्रश्न के उत्तर में एक संकल्प सभा पटल पर रखा गया था। भारत सरकार ने इस्पात उद्योग के लिये कच्चे माल के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति निर्माण करने का निश्चय किया था। इस में कई प्रतिनिधि होंगे, कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारिणी के तीन प्रतिनिधि उस में लिये जायेंगे। कोयला उद्योग की इस संयुक्त समिति में देश की कोयला खानों के मालिकों की संख्या काफी है। इस संयुक्त कार्यकारिणी के बहुत से सदस्यों ने अभ्यावेदन भेजा है। अतः श्री पाणिग्रही ने जो आपत्ति की है वह नितान्त निराधार है।

माननीय सदस्य का कहना है कि बर्ड एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि को इस में सम्मिलित कर लेने से समिति का गौरव बढ़ गया और उन्ह सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि गौरव और सुविधाओं से उन का क्या अभिप्राय है। इस समिति का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है और अभी तक उस की केवल एक बैठक हुई है। यह समिति इस्पात उद्योग के लिये कच्चे माल के उत्पादन, संभरण और कोयला अयस्क तथा अन्य कच्चे सामान की स्थिति के बारे में निरन्तर अध्ययन करेगी और सरकार को इन सम्बन्धी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन समस्याओं के बारे में परामर्श देगी। यह बात तो उचित ही है कि इस समिति में ऐसे ही लोगों को रखा जाय जिनका इस्पात उद्योग में कच्चे माल के सम्भरण से कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है। मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी के प्रतिनिधि को समिति में रखने में कोई अनुचित बात नहीं है। क्योंकि यह कम्पनी कच्चे माल के सम्भरण का काम करती है और इस विषय की उनको काफी जानकारी है। मुझे आश्चर्य हुआ है कि श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने इस खान क्षेत्र और यहां के श्रमिकों का ज्ञान होते हुये भी ऐसी बात कैसे कह दी। उन्हें तो इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं एवं उनके काम में आने वाले कच्चे सामान की जरूरत के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिये। इस्पात संयंत्रों के लिए लोह अयस्क तथा कोयला तो बहुत ही महत्व की बात है। इसके सम्भरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुसंगत बात टाल दी है अर्थात् इस्पात संयंत्रों को अयस्क तथा कोयले का संभरण एक सी ही क्वालिटि का होना चाहिये। अतः इसके लिए तो उपलब्ध सम्भरण के अधिक से अधिक साधनों को एकत्रित करना अत्यावश्यक है। इस्पात उद्योग को सही जगह से सही प्रकार का कच्चा माल मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उनकी क़िस्म एक सी बनी रहे। इसके लिए छोटे खान मालिकों को इस सम्भरण में बहुत कम भाग मिल सकेगा। धमन भट्टी के लिए हमें निरन्तर एक ही कोटि की अयस्क का सम्भरण चाहिए। यह बात अच्छी नहीं है कि उन्हें एक दिन तो अच्छे प्रकार का कोयला मिल जाये और दूसरे दिन घटिया किस्म का। इस मामले में सहकारी संस्थाएं लाभदायक सिद्ध नहीं होंगी। ५ बड़ी इकाइयों को अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। इंडियन आइरन और टाटा इसका सम्भरण कर रहे हैं, मुख्यतः वे इसे अपनी ही खानों से प्राप्त करते हैं। इन खानों का विकास भी इन्होंने स्वयं ही किया है, परन्तु कुछ भी हो और कहीं से भी हो यह प्राप्त करें हम इनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे कि ये कहां से लेते हैं अथवा किस प्रकार क्रय करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा

जहां तक सरकारी इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है, हम भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए सारी अयस्क सम्बन्धी आवश्यकताओं को राजहारा खान से पूरा कर रहे हैं। इसे सरकारी क्षेत्र में विकसित किया गया है। रूरकेला को अयस्क बरसूआ से मिलेगा, वहां वैज्ञानिक ढंग से खदान का कार्य आरम्भ भी हो गया है। दुर्गापुर को बोलानी से इस उपक्रम में भी सरकार के अंश अधिक हैं। यह बात सत्य है कि कई बार सम्भरण की स्थिति कमजोर पड़ जाती है और उसके लिये अन्य साधनों से भी खरीद करनी पड़ती है। यह खरीद राज्य व्यापार निगम की मार्फत की जाती है और माननीय सदस्य इस निगम का स्वागत करेंगे क्यों कि यह आपातकाल में जब कि संभरण की कमी हो जाती है हमारी सहायता करता है।

इन परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि केवल समिति में प्रतिनिधित्व मिल जाने से ही मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी अथवा कोई और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों पर प्रभाव डाल सकने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं कड़े शब्दों में इस बात का प्रतिवाद करता हूं इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों और हितों के २० प्रतिनिधि हैं। क्या एक कम्पनी का प्रतिनिधि सब पर हावी हो सकता है। और यदि प्रभाव डाल भी ले तो इन इस्पात संयंत्रों को निरन्तर चालू रखने के लिए जिस प्रकार के कच्चे माल के सम्भरण की आवश्यकता है, वह कोई सरल कार्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता और प्रत्येक साधन से अपेक्षित माल प्राप्त भी नहीं हो सकता। ठीक साधनों से अच्छा माल ही मिलना चाहिये। बर्ड एंड कम्पनी कच्चे माल का सम्भरण कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत से इस्पात संयंत्रों के लिये अधिकांशतः चूने का पत्थर दिया है। हमें इसकी आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि वह अपने काम का अधिक से अधिक विकास करे, परन्तु उनका प्रतिनिधि सब को प्रभावित कर मनमानी करा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो यह आशा थी कि माननीय सदस्य इस समिति का स्वागत करेंगे, परन्तु यहां केवल विरोध करने के लिए समिति के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। जहां तक कच्चे माल के सम्भरण का प्रश्न है इस समिति ने बड़ा व्यवहारिक कार्य किया है। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ता है कि इस्पात संयंत्रों की खपत के लिए अपेक्षित कोटि और मात्रा का कच्चा माल प्राप्त करना ही होता है ताकि यह काम निरन्तर चलता रहे। इनके रूकने का प्रश्न उत्पन्न न हो।

सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि इस्पात कारखानों के लिए बड़े परिमाण में कच्चे माल का यातायात करने के कारण देश की परिवहन व्यवस्था पर बड़ा भार पड़ता है। प्रतिवर्ष ७० लाख टन कच्चा माल इस के लिए लाया ले जाया जाता है तथा तैयार माल भी इधर उधर भेजा जाता है। यद्यपि यह हमारी परिवहन प्रणाली पर काफी भार है परन्तु फिर भी यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास का चिह्न है और विकास तेजी से हो रहा है। मल रूप में यही हम चाहते थे। रेलवे ने परिवहन की मात्रा का जो अनुमान लगाया था वह अर्थ-व्यवस्था की प्रगति से काफी पीछे रह गया। अतः इस दिशा में अवस्था को ठीक ठाक करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि सभी व्यवस्था ठीक प्रकार से चले। इन्हीं बातों के बारे में यह समिति विचार करती है और इस समिति के सभी सदस्यों पर अथवा सरकार की नीति पर एक ही सदस्य प्रभाव डाल लेता है यह बात कहना और समझना भूल है। इस बारे में किसी माननीय सदस्य को भ्रान्ति हो सकती है सरकार को नहीं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि बर्ड एंड कम्पनी के लोह अयस्क का उत्पादन व्यय ८.०६ रुपये है। परन्तु रूरकेला पहुंचने पर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

अथवा अन्य स्थानों पर पहुंचने पर इसके लिए क्या लिया जाता है ? इसके मुकाबले में अन्य खानों वाले क्या वसूल करते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य भूल कर रहे हैं । मैंने यह राशि चूने के पत्थर के बारे में बताई थी न कि अयस्क के बारे में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसे कि हम प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा कार्य मंत्रणा समिति में लोगों को साक्ष्य के लिए बुलाते हैं उसी प्रकार यहां भी हम किसी व्यवसाय के प्रतिनिधि को बुला कर सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें समिति में लेने से तो यह बात हो जाती है कि वे अपने पक्ष में ही मत दें । यही बात है जो कई एक माननीय सदस्यों के मन में चल रही है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस में मत का कोई प्रश्न नहीं है । इसमें खरीद इत्यादि करने का कोई निर्णय नहीं किया जाता । यह समिति तो इस लिए है कि वह निरन्तर उत्पादन एंव संभरण सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करके सरकार को परामर्श दे । मतदान का वहां कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** । चूने के पत्थर का दाम रूरकेला में १५,१६ रुपये है, भिलाई में १३ है और दुर्गापुर ३१ रुपये है, यह अन्तर क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि उस व्यक्ति के होने से सरकार १३,१६ रुपये के स्थान पर ३१ रुपये देने पर बाध्य हो रही है । यह उनका आरोप है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह व्यक्ति तो समिति में केवल चार सप्ताह से है और माननीय सदस्य उससे बहुत पूर्व के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं । यदि इसी तरीके से माननीय सदस्य निर्णय करेंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : जांच होनी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मामलों पर प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति ही विचार कर सकती है । यदि मामला एक ओर १३ और १५ रुपये का है और दूसरी ओर ३१ रुपये के अन्तर का है और इसका कारण केवल एक व्यक्ति है जो कि बर्ड एंड कम्पनी का प्रतिनिधि है और वह रेलवे का भूतपूर्व चेयरमन है तो अवश्य ही इस मामले की जांच की जायेगी । परन्तु माननीय सदस्य को काफी ठोस सामग्री सदन तथा माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखनी चाहिए । वह स्वयं इसकी छानबीन करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह: बिलकुल, मैं जरूर ही इसकी छानबीन करूंगा। माननीय सदस्य यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संसाधन साधन उपभोग के स्थान से काफी दूर है और जब हम मूल कीमत में रेल भाड़ा जोड़ देते हैं तो उपभोक्ता द्वारा जो मूल्य दिया जाता है वह बहुत अधिक है।

†श्री चिंतामणि पाणिग्रही: प्रश्न यह है कि फिर ऐसा हो क्यों रहा है।

†अध्यक्ष महोदय: अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०
२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२७५५—७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
९१७	दिल्ली नगर निगम . . .	२७५५–५६
९१८	मज़गांव गोदी	२७५६–५७
९१९	पहली लाटरी में इनाम जीतने वाले बांड . .	२७५७—५९
९२०	केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड .	२७५९–६०
९२२	रूरकेला उर्वरक संयंत्र . .	२७६०–६१
९२३	"टिस्को" और "इस्को" को ऋण .	२७६१–६६
९२४	प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापक .	२७६६—७०
९२५	आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र . .	२७७०—७२
९२६	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम . .	२७७२—७४
९२९	आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन . . .	२७७४—७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर .		२७७७—२८०९
तारांकित प्रश्न संख्या		
९२१	सीमा-शुल्क विभाग में पड़े हुए पार्सल .	२७७७
९२७	छिद्रण उपकरण .	२७७८
९२८	छोटे पैमाने उद्योग . .	२७७८
९३०	सिविल इंजीनियरी विभाग, रूरकेला . .	२७७८–७९
९३१	लाहौल और स्पिती का भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२७७९
९३२	सेना में अफसर . . .	२७७९
९३३	राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था . .	२७७९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६३४	नागार्जुन कोंडा के अवशेष . . .	२७८०
६३५	नागाओं की हिरासत में भारतीय वायुसेना के चालक .	२७८०
६३६	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये समुद्र पार छात्रवृत्तियां	२७८०—८१
६३७	गृह-कार्य मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग .	२७८१—८२
६३८	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा . .	२७८२—८३
६३९	राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन	२७८३
६४०	निवेली में उर्वरक कारखाना . . .	२७८३
६४१	शिबपुर वानस्पतिक उद्यान, कलकत्ता . . .	२७८३—८४
६४२	लद्दाख का खनिज सर्वेक्षण .	२७८४
६४३	स्नातकोत्तर डिग्रियां . . .	२७८४—८५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८३७	ईसाई मिशनों की शिक्षा संस्थायें . . .	२७८५
१८३८	मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदान . .	२७८६
१८३९	मध्य प्रदेश में श्रम और समाज सेवा शिविर .	२७८६—८७
१८४०	दिल्ली में इंजीनियरिंग कालिज . .	२७८७
१८४१	पंजाब में भूतपूर्व सैनिक . .	२७८७
१८४२	चांदमारी क्षेत्र में दुर्घटना . . .	२७८८
१८४३	उत्तर प्रदेश को नगरपालिका मेहतरों को सुविधायें देने के लिये सहायता	२७८८
१८४४	उत्तर प्रदेश में संरक्षित स्मारकों की मरम्मत . .	२७८८
१८४५	भारत और अमरीका के बीच विद्यार्थियों का आदान-प्रदान .	२७८८—८९
१८४६	उत्तर प्रदेश को कच्चे लोहे का आवंटन . .	२७८९
१८४७	उत्तर प्रदेश में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा . .	२७८९
१८४८	उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियां . .	२७८९—९०
१८४९	उत्तर प्रदेश को कोयले का संभरण . .	२७९०
१८५०	उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	२७९०—९१
१८५१	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर बन्ध-पत्रों की खरीद	२७९१—९२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखत उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८५२	नौसेना प्रशिक्षण	२७९२
१८५३	पंजाब में अल्प बचत योजना	२७९२
१८५४	सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केन्द्र	२७९२–९३
१८५५	भारत में चीनी विद्यार्थी	२७९३
१८५६	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	२७९३
१८५७	नई दिल्ली में तिब्बतियों के लिये विश्रामगृह	२७९३–९४
१८५८	दिल्ली में लड़के और लड़कियों का अपहरण	२७९४
१८५९	छावनी अधिनियम में संशोधन	२७९४
१८६०	कोलम्बो योजना के अधीन सहायता	२७९४–९५
१८६१	कानपुर के कारखानादारों से कर	२७९५
१८६२	पाकिस्तान को भेजा गया धन	२७९५
१८६३	महापुरुषों सम्बन्धी फिल्में	२७९५
१८६४	रूरकेला में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रेजीडैन्ट डायरेक्टर	२७९६
१८६५	आदिवासियों को रोजगार	२७९६
१८६६	दिल्ली में अखबार के प्रतिनिधि को धमकी	२७९६–९७
१८६७	नंदाघुंटी पर्वत को अभियान	२७९७
१८६८	फ्लाइंग साइकिल	२७९७–९८
१८७०	दिल्ली के स्कूलों के बारे में कृपालानी समिति	२७९८
१८७१	कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम	२७९८
१८७२	दुर्गापुर में प्रवीर्ण कर्मचारियों का नियोजन	२७९८–९९
१८७३	प्रतिरक्षा कारखानें	२७९९
१८७४	विश्वविद्यालय	२७९९
१८७५	ऋण पर दिया गया ब्याज	२७९९
१८७६	भूमि सम्बन्धी विवाद	२७९९–२८००
१८७७	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्ष	२८००
१८७८	विद्यार्थियों के लिये नमूने के प्रश्न	२८००
१८७९	केरल सरकार को खेलों के मैदानों के लिये सहायता	२८००–०१
१८८०	आंध्र प्रदेश के महालेखापाल का दफ्तर	२८०१
१८८१	पाकिस्तानी स्त्री तस्कर व्यापारी	२८०१
१८८२	विदेशी मुद्रा प्राप्त करना	२८०१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८८३	दिल्ली में कृत्रिम नभोमंडल (प्लेनेटेरियम)	२८०२
१८८४	अनुड़नशील वनस्पति तेलों पर उत्पादन-शुल्क	२८०२-०३
१८८५	यूनाइटेड-प्राविसेज़ कर्मशियल कारपोरेशन, कलकत्ता	२८०३
१८८६	असम के लिये पुलिस रेजीमेंट	२८०३
१८८७	ललित कला तथा शिल्प विद्यालय	२८०४
१८८८	केरल में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज	२८०४
१८८९	हिन्दी में विज्ञप्तियों का प्रकाशन	२८०४-०५
१८९०	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें	२८०५
१८९१	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के स्कूल	२८०५
१८९२	इनामी बांडों की बिक्री	२८०५-०६
१८९३	सिक्किम लाटरी	२८०६
१८९४	विश्व बैंक की ब्याज दर में कमी	२८०६
१८९५	इस्पात का उत्पादन	२८०७
१८९६	अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजना	२८०७
१८९७	इस्पात की खरीद	२८०७-०८
१८९८	तिब्बत में भारतीय साहित्य	२८०८
१८९९	मध्य प्रदेश में तेल सर्वेक्षण	२८०८-०९
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२८०९-१०

(१) भारत में ईसाइयों के विवाह तथा विवाह-विच्छेद सम्बन्धी कानून के बारे में विधि आयोग के पन्द्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६७ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६० की एक प्रति ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१५ ।

विषय पृ०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(ख) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४१६ ।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी०एस०आर० १४२७ ।

(दो) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी०एस०आर० १४२८ ।

(तीन) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस०आर० १४२९ ।

(५) लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४०६ में प्रकाशित लोक सहायक सेना (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा ७ दिसम्बर, १९६० को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६० के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित २८१०

बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

याचिका उपस्थापित २८१०

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन संख्या १२ के प्रस्तावित बटवारे से संबंधित एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८१०–१२

श्री ब्रजराज सिंह ने मनीपुर राइफल्स के एक अगले दस्ते और नागा विद्रोहियों के बीच ९ दिसम्बर, १९६० को हुई मुठभेड़ में उक्त दस्ते के दो सिपाहियों की कथित मृत्यु और एक अन्य सिपाही को आई चोटों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—पारित २८१२–३९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . २८३९–५२

श्री तंगामणि ने निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री तंगामणि ने वाद विवाद का उत्तर दिया। चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आधे घंटे की चर्चा २८५३–५७

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने कच्चे माल संबंधी समिति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के २९ नवम्बर १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि–

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।

GMGIPND—1679(Ai)LSD—6-1-61.